राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.usfe2021@gmail.com

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/बै.शि./TV दिशा–निर्देश 2024–25/ दिनांक :–

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना– दिशा निर्देश 2024–25

1. **उद्देश्य :–**

- बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।
- आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक–बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

2. **ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –**

सारणी – 1

कक्षा 1 से 8 के बालक–बालिकाओं हेतु	कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 1 किमी की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 2 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	–
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 कि0मी0 से अधिक है।	मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि0मी0 से अधिक है।

3.

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित

RajKaj Ref 8516975

Signature Not Verified
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

3 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :–

सारणी – 2

कक्षा	विद्यालय का प्रकार	वास स्थान से विद्यालय की दूरी	श्रेणी	दर (प्रति उपस्थिति दिवस)	वर्ष / माह में अधिकतम स्वीकृत / देय राशि प्रति विद्यार्थी
1 से 5	राजकीय विद्यालय	1 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	10 रूपये	सत्र पर्यन्त अधिकतम 3,000/– रूपये स्वीकृत।
6 से 8	राजकीय विद्यालय	2 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	15 रूपये	
	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	2 किमी. से अधिक उसी पंचायत समिति	बालिका	15 रूपये	
9 व 10	राजकीय विद्यालय	5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय	बालिका	20 रूपये	सत्र पर्यन्त अधिकतम 5,400/– रूपये स्वीकृत।
	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	5 किमी. से अधिक उसी पंचायत समिति	बालिका	20 रूपये	

4 ध्यान देने योग्य बातें :–

4.1 **सत्र 2024–25 में समग्र शिक्षा की कार्ययोजना में कक्षा 11 एवं 12 की बालिकाओं के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।**

4.2 विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी तथा कारण सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवं अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।

4.3 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

4.4 किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजना से एक साथ लाभन्वित नहीं किया जा सकेगा।

4.5 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जानी है।

4.6 **संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र 'विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र' में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन सीबीईओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग–इन से की जा सकेगी।**

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

5 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन –

5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा, जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जायेगा।

5.2 एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति परिषद कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को दी जायेगी। तद्नुसार जिला/ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालयों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि क्रमशः तीन–तीन दिवस में आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय स्तर पर सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जायेगी।

5.4 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से सारणी–2 में निर्धारित राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/ भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/ जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थिओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

5.5 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–क प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विद्यार्थिओं को सारणी–2 में वर्णित राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5.6 **पात्र विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर राशि शिविरा पंचांग के कार्यदिवसों की गणना के आधार निम्नानुसार जारी की जाएगी।**

शिविरा पंचांग के अनुसार प्रथम किस्त	शिविरा पंचांग के अनुसार द्वितीय किस्त	शिविरा पंचांग के अनुसार तृतीय किस्त
अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024	अगस्त, 2024 से नवम्बर, 2024	दिसम्बर, 2024 से मार्च, 2025

6 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व –

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :–

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि एसएनए से आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय के शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु नियमानुसार पात्र/चयनित बच्चों की सूची को जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
3. शिविरा कलैण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों की गणना अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा एडीपीसी को एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति जारी की जायेगी।
4. ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र/चयनित बच्चों के नाम मय विद्यालयवार इत्यादि की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

B- अति0 जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ के अधीन नहीं है, के पात्र/चयनित बच्चों की सूची का हस्तान्तरण सम्बन्धित विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को करना सुनिश्चित करेंगे।
2. पीईईओ को जारी की गई राशि एवं बच्चों की सूची से सीबीईओ कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग की जा सके।
3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पीईईओ को जारी की गई राशि का संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉकवार प्राप्त करना तथा समीक्षा उपरान्त परिषद कार्यालय को प्रेषित करना।

C- सीबीईओ के दायित्व :–

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि/माध्यमिक/उ0माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा–निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/उमावि से प्राप्त कर समीक्षा पश्चात सूचना को समेकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना।

D- पीईईओ/संस्था प्रधान/एसडीएमसी/एसएमसी के दायित्व :–

सारणी –3

दायित्व	किये /करवाये जाने वाले कार्य	प्रपत्र	उप प्रपत्र	कक्षा
समस्त संस्था प्रधान	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।	1	भाग–क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	प्रपत्र–1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना	1	भाग–ख	समस्त
एसडीएमसी/एसएमसी	दिशा निर्देशानुसार अनुशंषा/अनुमोदन करना	2	भाग–क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।	2	भाग–ख	समस्त
पीईईओ/सम्बन्धित संस्था प्रधान	पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि आहरण स्वीकृति	3	–	पात्र/चयनित बच्चे

1. उक्त प्रपत्र–1 का भाग–क को समस्त संस्था प्रधान प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अभिभावकों/संरक्षकों से भरवाना सुनिश्चित करें तथा शाला दर्पण में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना/आवेदन पत्रों के सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र–1 के भाग–ख में किया जायेगा।
3. प्रपत्र–2 के भाग–क में समस्त एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर अथवा सामूहिक परिवहन सुविधा से लाभान्वित किये जाने की अनुशंषा/अनुमोदन किया जायेगा।

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

4. **प्रपत्र–2 के भाग–ख द्वारा** संस्थाप्रधान के अनुमोदन/स्वीकृति पश्चात सूची के विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट वाउचर की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी।
5. **प्रपत्र–3 द्वारा** पीईईओ व अधीनस्थ/ सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति दी जानी है।
6. पीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा प्रतिमाह की उपस्थिति पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
7. **पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता–पिता/अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिये सम्बन्धित के खाते में एसएनए से राशि जारी की जायेगी। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाये।**
8. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ नहीं हैं। वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र/चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित करने के लिये उक्त सारणी–3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
9. सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंम्भ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जायेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठें, यह प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान पीईईओ द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाते में एसएनए के माध्यम से किया जायेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो, जनसहभागिता/भामाशाह/संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।
11. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार उनके अथवा उनके माता–पिता/अभिभावक के खातों में ऑनलाईन हस्तान्तरित किया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जाये।
12. विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी का सत्यापन सम्बन्धित एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जायेगा।

7 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन–

7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।

7.2 अनुमोदित वार्षिक बजट 2024–25 में कक्षा 1 से 8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम रूपये 3,000/– और कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु अधिकतम 5,400/– रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

7.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत राशि जारी की जायेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार एसएनए से आहरण स्वीकृति के रूप में जारी की जायेगी।

7.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

7.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

7.6 राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

7.7 कार्य में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

7.8 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

8 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण –

8.1 **राज्य स्तर –** परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से।

8.2 **जिला स्तर –** सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।

8.3 **ब्लॉक स्तर –** सीबीईओ कार्यालय द्वारा।

8.4 **विद्यालय स्तर –** संकुल कार्यालय अधिकारी एव विद्यालय के संस्था प्रधान तथा एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा।

9 मांग एवं प्रगति की सूचना–

9.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

9.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल से राज्य स्तर पर की जायेगी।

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

Transport Voucher Target for 2024-25

Rs. in lac

S. No.	Name of District	Transport Voucher Class 1 to 8		Transport Voucher Class 9-10	
		Physical	Financial	Physical	Financial
1	AJMER	9130	273.90000	264	14.25600
2	ALWAR	9331	279.93000	578	31.21200
3	BANSWARA	6185	185.55000	369	19.92600
4	BARAN	5201	156.03000	339	18.30600
5	BARMER	89196	2675.88000	1287	69.49800
6	BHARATPUR	1745	52.35000	30	1.62000
7	BHILWARA	10520	315.60000	561	30.29400
8	BIKANER	37968	1139.04000	1356	73.22400
9	BUNDI	9237	277.11000	302	16.30800
10	CHITTAURGARH	6957	208.71000	545	29.43000
11	CHURU	18914	567.42000	1209	65.28600
12	DAUSA	6766	202.98000	261	14.09400
13	DHAULPUR	3075	92.25000	60	3.24000
14	DUNGARPUR	6107	183.21000	396	21.38400
15	GANGANAGAR	15027	450.81000	1820	98.28000
16	HANUMANGARH	11180	335.40000	1108	59.83200
17	JAIPUR	26489	794.67000	599	32.34600
18	JAISALMER	21387	641.61000	546	29.48400
19	JALOR	46588	1397.64000	450	24.30000
20	JHALAWAR	4914	147.42000	242	13.06800
21	JHUNJHUNU	15588	467.64000	544	29.37600
22	JODHPUR	83366	2500.98000	1348	72.79200
23	KARAULI	3092	92.76000	132	7.12800
24	KOTA	2268	68.04000	151	8.15400
25	NAGAUR	55161	1654.83000	2070	111.78000
26	PALI	10840	325.20000	434	23.43600
27	PRATAPGARH	5646	169.38000	232	12.52800
28	RAJSAMAND	11398	341.94000	371	20.03400
29	SAWAI MADHOPUR	6555	196.65000	507	27.37800
30	SIKAR	42517	1275.51000	2031	109.67400
31	SIROHI	8651	259.53000	168	9.07200
32	TONK	5996	179.88000	519	28.02600
33	UDAIPUR	31288	938.64000	405	21.87000
Total		**628283**	**18848.49000**	**21234**	**1146.63600**

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–1 (भाग–क)
कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र
(विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र / छात्रा का नाम व पता : ....
2. पिता / अभिभावक का नाम : ....
3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : .... कक्षा : ....
4. निवास स्थान का पता : ....
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : .... कि0मी0

A. **कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं:–**

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई / बहन / परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई / बहन / परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

IV. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है। ☐

V.स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 10 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

VII. **ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :–**

- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है। ☐
- स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जानी है। ☐

(अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर) **(छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर)**

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

प्रपत्र – 1 (भाग– ख)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि .... विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में से कुल .... बालक–बालिकाओं ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिये आवेदन किया है। इनके सभी तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है एवं सभी तथ्य सही पाये गये हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024–25 के दिशा–निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है। सत्र 2024–25 के लिये पात्र / चयनित विद्यार्थियों की संख्यात्मक कक्षावार सूचना निम्नानुसार है –

क्र0स0	कक्षा	पात्र / चयनित विद्यार्थी संख्या
1	Class – 1	
2	Class – 2	
3	Class – 3	
4	Class – 4	
5	Class – 5	
6	Class – 6	
7	Class – 7	
8	Class – 8	
9	Class – 9	
10	Class – 10	
	Total	

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र–2

भाग–क

एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा / अनुमोदन

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच की गई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना वर्ष .... के दिशा–निर्देश अनुसार समिति निम्नलिखित विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा की जाती है :–

विद्यालय का नाम– ....

क्र. स.	एस. आर. संख्या	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	कक्षा	बैंक का नाम	आईएफएससी नं0	खाता संख्या खाता धारक का नाम

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

RajKaj Ref
8516975

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–2 (भाग – ख)
संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर अंकन व अनुमोदन/स्वीकृति

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा उपरान्त प्राप्त प्रपत्र–2 भाग–क के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024–25 के दिशा–निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र–3
पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति
(ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आर. संख्या	कक्षा	अवधि	सुविधा (ट्रांसपोर्ट वाउचर (1) / सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (पीईईओ स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड..........................
विद्यालय का प्रकार – पीईईओ / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय
ट्रांसपोर्ट वाउचर प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र .... में ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्राप्त राशि रू. .... में से रूपये ....का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

शैक्षणिक सत्र .... में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	शैक्षणिक सत्र .... में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल उपयोग की गई राशि			शेष राशि
	निःशुल्क सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में	एसएनए से बैंक खाते में सीधे लाभान्वित	कुल उपयोग की गई राशि	

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्था प्रधान

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र .... में .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक,........................... माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के .... विद्यालयों को जारी की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/उमावि	ट्रांसपोर्ट वाउचर			वि.वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र .... में जिला .... को ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले के .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक एवं .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं कुल .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर प्रविष्ट किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है। प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/वैशि/ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा–निर्देश/2024–25/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर को लेख है कि विद्यार्थियों के निवास से विद्यालय की दूरी का आधार अन्य संस्कृत विद्यालय के साथ–साथ शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय की निकटतम दूरी की गणना करते हुये प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8516975

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.01 22:54:48 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

E-mail- [illegible]

क्रमांक: राजस्कूशिप/अ/ग्रे.वि./यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2024-25/ दिनांक –

सदन आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2024–25

"वृक्ष है तो जल है, जल है तो कल है।"

यूथ एवं ईको क्लब –

(1) **यूथ क्लब के तहत** बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी है।

(2) **ईको क्लब के तहत** बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण, जैव–विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।

(3) विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन को लागू करने के लिये ईको क्लब पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्य को यूथ एवं ईको क्लब अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जावे।

(4) ईको क्लब के [illegible] विद्यालय स्तर पर [illegible] जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।

(5) विश्व पर्यावरण की थीम **"ईको सिस्टम रिस्टोरेशनः रीइमैजिन (फिर से बनाना) एवं पुर्नस्थापना"** करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को कायम रखना, जल संरक्षण एवं वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया :–

1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
5. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation: Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

6. इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।
7. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।
8. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को निरूपित नहीं करती है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।
9. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है उसी सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये **भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।**
10. सदस्य विद्यार्थियों को उनके स्वयं के नाम का अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम का महत्व बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
11. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।
12. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
13. समय समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।
14. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।
15. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाए ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाए।
16. विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। **रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा।** रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि अंकित की जायेगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की उपलब्धि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
17. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को "यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर" का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

RajKaj Ref
7397046

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 16:22 IST
Reason: Approved

गतिविधियाँ:–

➤ यूथ क्लब गतिविधियाँ:–

- यूथ क्लब गतिविधियों में <u>क्विज प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, संगीत, कला एवम् सांस्कृतिक गतिविधियां</u> इत्यादि शामिल किया जाए।
- विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक, कार्य कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किये जाए। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन/सहयोग लिया जाये।
- विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दिए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन करवाया जाए।

➤ ईको क्लब गतिविधियाँ:–

- वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल–चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाए।
- विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएँ यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय–मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थाएं क्रियाशील होनी चाहिये।
- **विद्यालय में चारदीवारी, पर्याप्त भूमि एवं जलस्त्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधों एवं किचन गार्डन को लगाया जाये।**
- राशि का उपयोग कचरा पात्र (नीला व हरा), जल निकासी की सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गार्ड इत्यादि में किया जाए।
- विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना अनिवार्य है। चारदीवारी विहीन विद्यालयों में ऐसे पौधे लगाए जाए, जो चारदीवारी का कार्य करें साथ ही जिन्हें पशु नहीं खाते हो।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षों के अभाव में होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा निबन्ध, चित्रकला, भाषण, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन किया जाए।
- बच्चों में अपने स्थानीय पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए वहीं उगने वाले पौधे, घास, फलदार वृक्षों की जानकारी दी जाए तथा इनके संरक्षण के सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए।
- रोपित किए गए वृक्षों के संरक्षण का कार्य पूर्ण आत्मीयता के साथ किया जाए।

राशि उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश व निर्धारित समय सीमा –

1. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –**

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से नवम्बर
80%	20%

2. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्र.स.	सामग्री का नाम	प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान
1	स्टेशनरी, कलम, पेन्सिल इत्यादि	500	500	1000
2	यूथ क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
3	विद्यालय में साफ–सफाई, स्वच्छता इत्यादि हेतु	1500	2500	3000
4	ईको क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
	कुल राशि	5000	[illegible]	[illegible]

RajKaj Ref
7397048

नोट – उक्त टेबल की क्रम संख्या 04 में वर्णित ईको क्लब की गतिविधि की राशि का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाना है।

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य –

- डाइस 2022-23 में प्रविष्ट राजकीय प्राथमिक शिक्षा के 51772 एवं माध्यमिक शिक्षा मद के 17416 विद्यालयों के लिये बजट का प्रावधान स्वीकृत है (शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को छोड़ते हुये)।

Youth & Eco Budget 2024-25

S No.	District	PS	Financial @ Rs. 5,000/-	UPS	Financial @ Rs. 10,000/-	Secondary & Sr. Secondary	Financial @ Rs. 15,000/-	Total School	Total Financial in lac
1	AJMER	658	32.90000	605	60.50000	613	91.95000	1876	185.35000
2	ALWAR	981	49.05000	977	97.70000	686	102.90000	2644	249.65000
3	BANSWARA	2340	117.00000	460	46.00000	521	78.15000	3321	241.15000
4	BARAN	863	43.15000	397	39.70000	331	49.65000	1591	132.50000
5	BARMER	2741	137.05000	1157	115.70000	958	143.70000	4856	396.45000
6	BHARATPUR	626	31.30000	556	55.60000	593	88.95000	1775	175.85000
7	BHILWARA	1373	68.65000	901	90.10000	631	94.65000	2905	253.40000
8	BIKANER	1085	54.25000	453	45.30000	575	86.25000	2113	185.80000
9	BUNDI	604	30.20000	371	37.10000	291	43.65000	1266	110.95000
10	CHITTAURGARH	769	38.45000	619	61.90000	437	65.55000	1825	165.90000
11	CHURU	380	19.00000	471	47.10000	592	88.80000	1443	154.90000
12	DAUSA	715	35.75000	423	42.30000	439	65.85000	1577	143.90000
13	DHAULPUR	534	26.70000	302	30.20000	306	45.90000	1142	102.80000
14	DUNGARPUR	1866	93.30000	418	41.80000	453	67.95000	2737	203.05000
15	GANGANAGAR	870	43.50000	569	56.90000	513	76.95000	1952	177.35000
16	HANUMANGARH	305	15.25000	374	37.40000	431	64.65000	1110	117.30000
17	JAIPUR	1514	75.70000	1142	114.20000	1121	168.15000	3777	358.05000
18	JAISALMER	773	38.65000	285	28.50000	252	37.80000	1310	104.95000
19	JALOR	916	45.80000	515	51.50000	449	67.35000	1880	164.65000
20	JHALAWAR	755	37.75000	594	59.40000	341	51.15000	1690	148.30000
21	JHUNJHUNU	472	23.60000	515	51.50000	557	83.55000	1544	158.65000
22	JODHPUR	1911	95.55000	841	84.10000	851	127.65000	3603	307.30000
23	KARAULI	728	36.40000	366	36.60000	357	53.55000	1451	126.55000
24	KOTA	356	17.80000	410	41.00000	331	49.65000	1097	108.45000
25	NAGAUR	1327	66.35000	889	88.90000	855	128.25000	3071	283.50000
26	PALI	614	30.70000	670	67.00000	558	83.70000	1842	181.40000
27	PRATAPGARH	1189	59.45000	268	26.80000	278	41.70000	1735	127.95000
28	RAJSAMAND	857	42.85000	515	51.50000	362	54.30000	1734	148.65000
29	SAWAI MADHOPUR	460	23.00000	310	31.00000	334	50.10000	1104	104.10000
30	SIKAR	641	32.05000	682	68.20000	684	102.60000	2007	202.85000
31	SIROHI	505	25.25000	278	27.80000	278	41.70000	1061	94.75000
32	TONK	661	33.05000	479	47.90000	376	56.40000	1516	137.35000
33	UDAIPUR	2833	141.65000	788	78.80000	864	129.60000	4485	350.05000
	TOTAL	33222	1661.10000	18550	1855.00000	17418	2612.70000	69190	6128.80000

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation: Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

लेखा सम्बन्धी बिन्दु –

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जावे। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जावे।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जावे।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की आवश्यक पालना सुनिश्चित की जावे।

अन्य निर्देश –

- संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संकलित रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद को प्रेषित करें।

यूथ एवं इको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा:

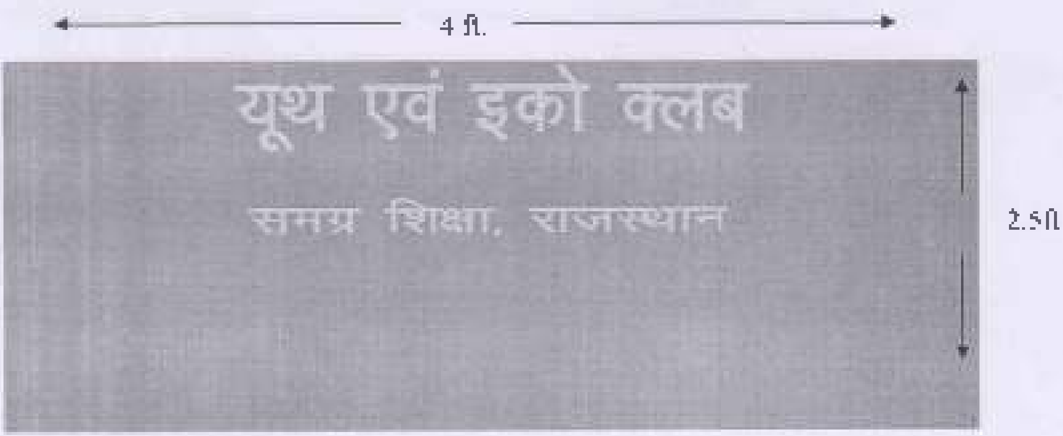

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 ..16:22 IST
Reason: Approved

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) 2024–25

विद्यालय का नाम .... यू–डाइस कोड...................

यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में प्राप्त यूथ एवं ईको क्लब राशि रु. का उपयोग एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि.............रूपये है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	स्टॉक पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृष्ठ	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या ...... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... को किया गया साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

यूथ एवं ईको क्लब

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर) 2024–25

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में ब्लॉक .... जिला .... के .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूथ एवं ईको क्लब हेतु परिषद से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है —

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार मावि / उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	टिप्पणी
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunkar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 16:22 IST
Reason: Approved

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर) 2024–25

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में जिला .... को यूथ एवं ईको क्लब मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... कुल ... . राज्य माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एस.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी	हस्ताक्षर सहायक लेखाधिकारी
हस्ताक्षर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	हस्ताक्षर जिला परियोजना समन्वयक

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम स्तर से अनुमोदित आदेश।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक– रास्कूलशिप/व्यय/औ.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा–निर्देश/2024–25/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशालय निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देश की क्रियान्विति के लिये संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/डी.ई.ओ.मा. एवं प्रा./सीबीईओ/पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunkar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 1[illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक– राज्यकूशिप/जय/AS&FE/F-39/CRC Grant दिशा–निर्देश/2024–25/ 1230 दिनांक– 28/5/2024

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2024–25

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024–25 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह–शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

कन्टेजेन्सी	मीटिंग एवं टीए	टी॰एल॰एम॰	फर्नीचर व कम्प्यूटर	योग
30,000/-	10,000/-	10,000/-	30,000/-	**80,000/-**

समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2024–25 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. <u>कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट</u> से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।
   - <u>पीईईओ/युसीईईओ को उपलब्ध करवाई जा रही राशि में से 15,000/– रूपये पीईईओ/ युसीईईओ सहित अधीनस्थ विद्यालयों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पर आवश्यकतानुसार उपयोग लिए जाने हैं। वृक्षों की देखरेख इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को कम से कम एक वृक्ष गोद लेने हेतु पाबन्द करें। वृक्षारोपण व इससे जुडे कार्यों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों के लिए यूथ व ईको क्लब में भी पृथक से निर्देशित किया गया है।</u>
2. <u>मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स</u> द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर प्रतिमाह एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। बैठक में उपस्थित होने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
3. <u>टीएलएम ग्रान्ट</u> से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर आवश्यक रूप से न्यूनतम दो कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।

RajKaj Ref
7408954

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

4. <u>फर्नीचर व कम्प्यूटर</u> – सीआरसी विद्यालय के संस्था–प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर व कम्प्यूटर के उपयोग हेतु राशि का व्यय किया जाना है। फर्नीचर व कम्प्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाए। सामग्री क्रय में प्रतिष्ठित कम्पनियों को वरीयता दी जाए। राशि उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई जाए–

(1) संस्थाप्रधान	–	अध्यक्ष
(2) एसएमसी/एसडीएमसी	–	2 सदस्य
(3) लेखाकार्मिक	–	1 सदस्य

5. अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ <u>विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य</u> – कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मीड–डे मील की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा/ मॉनीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य–योजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।

(B) **मॉनीटरिंग –**

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2024–25 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से 15 फरवरी तक
40%	30%	30%

4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(C) **राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश –**

1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति० जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः **क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।**
4. मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
5. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र–3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
6. जिला/ब्लॉक/संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref
7408954

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रपत्र –1

ब्लॉक .... जिला ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में प्राप्त संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) राशि रू. .... का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि................ है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र –2

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC .... को सत्र 2024–25 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/सीबीईओ

RajKaj Ref
7408954

प्रपत्र –3

जिला ....

जिला स्तरीय संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में **संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान** मद में प्राप्त राशि रुपये .... में से जिले की कुल .... सीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref
7408954

परिशिष्ट– 1

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2024–25

Academic support through Cluster Resource Center Budget 2024-25											
S.No.	District	Contingency Grant @ 0.30 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.10 (Rs. in lacs)		TLM @0.10 (Rs. in lacs)		Furniture & Computer @0.30 (Rs. in lac)		Total Financial Recurring in lac
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	303	90.9000	303	30.3000	303	30.3000	303	90.9000	242.4000
2	ALWAR	527	158.1000	527	52.7000	527	52.7000	527	158.1000	421.6000
3	BANSWARA	350	105.0000	350	35.0000	350	35.0000	350	105.0000	280.0000
4	BARAN	227	68.1000	227	22.7000	227	22.7000	227	68.1000	181.6000
5	BARMER	494	148.2000	494	49.4000	494	49.4000	494	148.2000	395.2000
6	BHARATPUR	388	116.4000	388	38.8000	388	38.8000	388	116.4000	310.4000
7	BHILWARA	399	119.7000	399	39.9000	399	39.9000	399	119.7000	319.2000
8	BIKANER	303	90.9000	303	30.3000	303	30.3000	303	90.9000	242.4000
9	BUNDI	193	57.9000	193	19.3000	193	19.3000	193	57.9000	154.4000
10	CHITTAURGARH	299	89.7000	299	29.9000	299	29.9000	299	89.7000	239.2000
11	CHURU	268	80.4000	268	26.8000	268	26.8000	268	80.4000	214.4000
12	DAUSA	239	71.7000	239	23.9000	239	23.9000	239	71.7000	191.2000
13	DHAULPUR	176	52.8000	176	17.6000	176	17.6000	176	52.8000	140.8000
14	DUNGARPUR	296	88.8000	296	29.6000	296	29.6000	296	88.8000	236.8000
15	GANGANAGAR	348	104.4000	348	34.8000	348	34.8000	348	104.4000	278.4000
16	HANUMANGARH	260	78.0000	260	26.0000	260	26.0000	260	78.0000	208.0000
17	JAIPUR	583	174.9000	583	58.3000	583	58.3000	583	174.9000	466.4000
18	JAISALMER	144	43.2000	144	14.4000	144	14.4000	144	43.2000	115.2000
19	JALOR	280	84.0000	280	28.0000	280	28.0000	280	84.0000	224.0000
20	JHALAWAR	259	77.7000	259	25.9000	259	25.9000	259	77.7000	207.2000
21	JHUNJHUNU	313	93.9000	313	31.3000	313	31.3000	313	93.9000	250.4000
22	JODHPUR	488	146.4000	488	48.8000	488	48.8000	488	146.4000	390.4000
23	KARAULI	233	69.9000	233	23.3000	233	23.3000	233	69.9000	186.4000
24	KOTA	175	52.5000	175	17.5000	175	17.5000	175	52.5000	140.0000
25	NAGAUR	479	143.7000	479	47.9000	479	47.9000	479	143.7000	383.2000
26	PALI	335	100.5000	335	33.5000	335	33.5000	335	100.5000	268.0000
27	PRATAPGARH	168	50.4000	168	16.8000	168	16.8000	168	50.4000	134.4000
28	RAJSAMAND	213	63.9000	213	21.3000	213	21.3000	213	63.9000	170.4000
29	SAWAI MADHOPUR	203	60.9000	203	20.3000	203	20.3000	203	60.9000	162.4000
30	SIKAR	353	105.9000	353	35.3000	353	35.3000	353	105.9000	282.4000
31	SIROHI	168	50.4000	168	16.8000	168	16.8000	168	50.4000	134.4000
32	TONK	239	71.7000	239	23.9000	239	23.9000	239	71.7000	191.2000
33	UDAIPUR	556	166.8000	556	55.6000	556	55.6000	556	166.8000	444.8000
TOTAL		10259	3077.7000	10259	1025.9000	10259	1025.9000	10259	3077.7000	8207.2000

(कृष्ण कुणाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक: रास्कूशिप / जय / AS&FE / CRC Grant/2024–25 / 1230 दिनांक: 28/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज०, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि राशि का शतप्रतिशत उपयोग लिए जाने हेतु संस्थाप्रधानों को पाबन्द करने का श्रम करें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
10. समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
11. रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
7408954

Document certified by KRISHNA KUNAL
<secy.schooleducation@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation: State Project Director
Date :27-05-2024 04:48:39

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
E-mail : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– रास्कूशिप / जय / वै.शि. /   / CSG दिशा–निर्देश / 2024–25 /   दिनांकः–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2022–23 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / केजीबीवी / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है।

1) वित्तीय प्रावधान :–

S.No.	Enrollment	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– 1) उपरोक्त तालिका की क्रं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम एसएमसी / एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी / एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
6. सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई–मेल आईडी **smsa.asfe2021@gmail.com पर** निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

RajKaj Ref
7399665

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

3) विद्यालय स्तर :– कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दरी पट्टी/दरी।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चॉक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

4) विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :– कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :–

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एंव रख–रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा–कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्त्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये –

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/ स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

RajKaj Ref
7399665

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
2. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
4. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।
5. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –**

जुलाई से सितम्बर	**अक्टूबर से दिसम्बर**	**जनवरी से फरवरी तक**
40%	30%	30%

6. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :–

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के तीन दिवस में राशि को ब्लॉक कार्यालयों को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि डाइस 2022–23 के नामांकन अनुसार विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा राशि का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :–

1. जिला कार्यालय से राशि आहरण स्वीकृति के तीन दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की पीईईओ/यूसीईईओ को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। **विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।**
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2024–25 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :–

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत् मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

RajKaj Ref
7399665

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :–

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

RajKaj Ref
7399665

परिशिष्ट–2

Composite School Grant (Elementary Budget) 2024-25

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	253	25.300	616	154.000	361	180.500	33	24.750	1263	384.5500
2	ALWAR	424	42.400	958	239.500	513	256.500	63	47.250	1958	585.6500
3	BANSWARA	953	95.300	1375	343.750	423	211.500	49	36.750	2800	687.3000
4	BARAN	563	56.300	506	126.500	185	92.500	6	4.500	1260	279.8000
5	BARMER	1070	107.000	2040	510.000	743	371.500	45	33.750	3898	1022.2500
6	BHARATPUR	186	18.600	599	149.750	360	180.000	37	27.750	1182	376.1000
7	BHILWARA	503	50.300	1150	287.500	602	301.000	19	14.250	2274	653.0500
8	BIKANER	603	60.300	668	167.000	249	124.500	18	13.500	1538	365.3000
9	BUNDI	226	22.600	504	126.000	240	120.000	5	3.750	975	272.3500
10	CHITTAURGARH	393	39.300	669	167.250	322	161.000	4	3.000	1388	370.5500
11	CHURU	247	24.700	371	92.750	222	111.000	11	8.250	851	236.7000
12	DAUSA	399	39.900	536	134.000	202	101.000	1	0.750	1138	275.6500
13	DHAULPUR	93	9.300	417	104.250	272	136.000	54	40.500	836	290.0500
14	DUNGARPUR	859	85.900	1059	264.750	342	171.000	24	18.000	2284	539.6500
15	GANGANAGAR	662	66.200	590	147.500	185	92.500	2	1.500	1439	307.7000
16	HANUMANGARH	214	21.400	301	75.250	157	78.500	7	5.250	679	180.4000
17	JAIPUR	1161	116.100	1118	279.500	343	171.500	34	25.500	2656	592.6000
18	JAISALMER	427	42.700	449	112.250	174	87.000	8	6.000	1058	247.9500
19	JALOR	238	23.800	778	194.500	365	182.500	50	37.500	1431	438.3000
20	JHALAWAR	343	34.300	661	165.250	333	166.500	12	9.000	1349	375.0500
21	JHUNJHUNU	546	54.600	379	94.750	58	29.000	4	3.000	987	181.3500
22	JODHPUR	1038	103.800	1255	313.750	438	219.000	21	15.750	2752	652.3000
23	KARAULI	323	32.300	542	135.500	210	105.000	19	14.250	1094	287.0500
24	KOTA	200	20.000	371	92.750	184	92.000	11	8.250	766	213.0000
25	NAGAUR	933	93.300	856	214.000	413	206.500	14	10.500	2216	524.3000
26	PALI	321	32.100	587	146.750	351	175.500	25	18.750	1284	373.1000
27	PRATAPGARH	556	55.600	674	168.500	215	107.500	12	9.000	1457	340.6000
28	RAJSAMAND	322	32.200	737	184.250	303	151.500	10	7.500	1372	375.4500
29	SAWAI MADHOPUR	194	19.400	385	96.250	183	91.500	8	6.000	770	213.1500
30	SIKAR	587	58.700	572	143.000	159	79.500	5	3.750	1323	284.9500
31	SIROHI	151	15.100	335	83.750	224	112.000	23	17.250	733	228.1000
32	TONK	465	46.500	506	126.500	168	84.000	1	0.750	1140	257.7500
33	UDAIPUR	1048	104.800	1803	450.750	716	358.000	54	40.500	3621	954.0500
	Grand Total	**16501**	**1650.100**	**24367**	**6091.750**	**10215**	**5107.500**	**689**	**516.750**	**51772**	**13366.1000**

RajKaj Ref
7399665

परिशिष्ट–2

Composite School Grant (Secondary Budget) 2024-25

Sno.	District	(Enrol 1- 30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	1	0.100	10	2.500	148	74.000	443	332.250	11	11.000	613	419.8500
2	ALWAR	1	0.100	48	12.000	359	179.500	474	355.500	4	4.000	886	551.1000
3	BANSWARA		0.000	1	0.250	96	48.000	413	309.750	11	11.000	521	369.0000
4	BARAN		0.000	2	0.500	131	65.500	195	146.250	3	3.000	331	215.2500
5	BARMER	1	0.100	14	3.500	300	150.000	640	480.000	3	3.000	958	636.6000
6	BHARATPUR		0.000	15	3.750	209	104.500	361	270.750	8	8.000	593	387.0000
7	BHILWARA		0.000	5	1.250	157	78.500	461	345.750	8	8.000	631	433.5000
8	BIKANER		0.000	19	4.750	161	80.500	383	287.250	12	12.000	575	384.5000
9	BUNDI		0.000	2	0.500	72	36.000	213	159.750	4	4.000	291	200.2500
10	CHITTAURGARH	1	0.100	8	2.000	187	93.500	241	180.750		0.000	437	276.3500
11	CHURU	1	0.100	27	6.750	239	119.500	316	237.000	9	9.000	592	372.3500
12	DAUSA		0.000	21	5.250	171	85.500	241	180.750	6	6.000	439	277.5000
13	DHAULPUR		0.000	1	0.250	59	29.500	240	180.000	6	6.000	306	215.7500
14	DUNGARPUR	1	0.100	5	1.250	94	47.000	348	261.000	5	5.000	453	314.3500
15	GANGANAGAR	2	0.200	29	7.250	215	107.500	266	199.500	1	1.000	513	315.4500
16	HANUMANGARH		0.000	20	5.000	157	78.500	250	187.500	4	4.000	431	275.0000
17	JAIPUR	7	0.700	85	21.250	477	238.500	530	397.500	22	22.000	1121	679.9500
18	JAISALMER	1	0.100	7	1.750	101	50.500	140	105.000	3	3.000	252	160.3500
19	JALOR		0.000	3	0.750	68	34.000	374	280.500	4	4.000	449	319.2500
20	JHALAWAR		0.000	5	1.250	85	42.500	246	184.500	5	5.000	341	233.2500
21	JHUNJHUNU	2	0.200	84	21.000	319	159.500	151	113.250	1	1.000	557	294.9500
22	JODHPUR	1	0.100	22	5.500	246	123.000	578	433.500	4	4.000	851	566.1000
23	KARAULI	2	0.200	8	2.000	109	54.500	236	177.000	2	2.000	357	235.7000
24	KOTA		0.000	4	1.000	108	54.000	214	160.500	5	5.000	331	220.5000
25	NAGAUR	1	0.100	21	5.250	342	171.000	489	366.750	2	2.000	855	545.1000
26	PALI		0.000	16	4.000	202	101.000	337	252.750	3	3.000	558	360.7500
27	PRATAPGARH		0.000	3	0.750	68	34.000	204	153.000	3	3.000	278	190.7500
28	RAJSAMAND		0.000	5	1.250	113	56.500	243	182.250	1	1.000	362	241.0000
29	SAWAI MADHOPUR		0.000	3	0.750	120	60.000	207	155.250	4	4.000	334	220.0000
30	SIKAR		0.000	50	12.500	344	172.000	288	216.000	2	2.000	684	402.5000
31	SIROHI	1	0.100	4	1.000	47	23.500	225	168.750	1	1.000	278	194.3500
32	TONK	1	0.100	19	4.750	149	74.500	201	150.750	6	6.000	376	236.1000
33	UDAIPUR	1	0.100	15	3.750	212	106.000	634	475.500	2	2.000	864	587.3500
	TOTAL	**25**	**2.500**	**581**	**145.250**	**5865**	**2932.500**	**10782**	**8086.500**	**165**	**165.000**	**17418**	**11331.7500**

RajKaj Ref
7399665

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड................................
ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रू .... में से राशि .... का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2022–23 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि **<u>सत्र 2024–25 में</u>** सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
..

RajKaj Ref
7399665

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (ब्लॉक कार्यालय स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में कुल .... राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक एवं ....उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि उपयोग का विरण								
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
7399665

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में जिला .... को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर **सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी**	**हस्ताक्षर** **सहायक लेखाधिकारी**
हस्ताक्षर **अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**	**हस्ताक्षर** **जिला परियोजना समन्वयक**

(कृष्ण कुणाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / F-   / CSG दिशा–निर्देश–2024–25 /   **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3- निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक / सीडीईओ / जि.शि.अ. प्रा. एवं मा. / सीबीईओ / पीईईओ / यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम / द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8- समस्त जिला परियोजना समन्वयक / अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
9- कार्यालय उपयोग हेतु।

RajKaj Ref
7399665

Signature Not Verified
Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : State Project
Director
Date :28-05-2024 12:05:34

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141-2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु गति / SMC-SDMC / दिशा-निर्देश / 2024-25 / 1374 दिनांक : 5/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024-25)

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र) / UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं 23 सदस्यीय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के संकुल सन्दर्भ केन्द्रों पर विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग-थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है। उक्त उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2024-25 संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) PEEO (ग्रामीण क्षेत्र) / UCEEO (शहरी क्षेत्र) पर एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों को **दो दिवसीय गैर आवासीय**

RajKaj Ref
7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 17:17:06 IST
Reason: Approved

प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, शिक्षा के अधिकार एक्ट के प्रावधानों, समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों, मिड–डे–मील, बाल अधिकारों, बालसभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, समावेशी शिक्षा (विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिका), वैकल्पिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा (ड्राप आउट बालक–बालिका), स्वैच्छिक अनुदान, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील माहौल तैयार करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण एवं क्रियान्विति करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि सम्मिलित हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी/एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी में से चयनित 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

1- वर्ष 2024–25 में विद्यालय प्रबंधन समिति/ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है:–

(राशि लाख में)

क्र. स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस)	लक्ष्य 2024-25	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण– संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 311862 × 2 × 250 = 1559.310 लाख रुपये	0.00250	311862	1559.310
2	PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय एसडीएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण– संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 104544 × 2 × 250 = 522.72 लाख रुपये	0.00250	104544	522.72
	कुल	**0.00250**	**416406**	**2082.03**

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

2- <u>प्रशिक्षण मॉड्यूल</u> : विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये " **विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल**" के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3- **<u>राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण</u>** :

प्रत्येक जिले से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक हैं वहां से 6 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व के वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैक्ल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के शिक्षा अधिकारी/शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भिजवाया जाना है। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए अपने जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के MMMER मद से देय होगा।

4- **<u>ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण</u>** :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रूचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/UCEEO प्रभारी के अलावा शेष सभी PEEO/UCEEO/उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं **आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें**। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय द्वारा इन चिन्हित 20 संदर्भ व्यक्तियों की सूची अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाई जानी है। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 1?:17:06 IST
Reason: Approved

समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/UCEEO प्रभारी प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोज्य दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2024-25 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। संकुल संदर्भ स्तरीय प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान **नहीं** है।

अतः प्रति व्यक्ति कुल दो दिवस हेतु 500/- रूपये यूनिट कॉस्ट में से 40- रूपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाये तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी दो दिवस का 460/- रूपये व्यय किया जाये। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय नहीं किया जाये अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जायेगी।

5- <u>जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :</u>

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाये ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक एवं प्रभावी योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाये। कार्ययोजना की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाये तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाये। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर

RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

लिये जाये। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों / PEEO / UCEEO को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाये।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : ....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6- **PEEO/UCEEO पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :**

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र) / UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO / UCEEO पर 30 से कम संभागियो के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति तथा 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाये। लेकिन एक बैच में 30 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक बैच बनाया जाये।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO / UCEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher / गतिविधि इन्चार्ज को प्रशिक्षण में दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान **नहीं** है।

7. **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण** : –

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO / UCEEO पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान **नहीं** है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO / UCEEO विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाये।

RajKaj Ref
7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ?:17:06 IST
Reason: Approved

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/UCEEO के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :-

एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	PEEO/UCEEO का नाम	PEEO/UCEEO के अधीन प्रावि. उप्रावि. की एसएमसी और Composite विद्यालयों की एसडीएमसी की संख्या		PEEO / UCEEO का भौतिक लक्ष्य						PEEO / UCEEO के लिये वित्तीय लक्ष्य		PEEO/UCEEO पर प्रशिक्षण की दिनांक	
			SMC	SDMC	प्रा/उप्रावि. प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 6)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO / UCEEO पर कुल SMC संभागी	Composite School प्रशिक्षण में भाग ले रहे SDMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 6)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO/UCEEO पर कुल SDMC संभागी	SMC सदस्यों की संख्या × रूपये 460	SDMC सदस्यों की संख्या × रूपये 460	SMC	SDMC

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के निर्धारण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण **सितम्बर–अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित** किये जायेंगे।
- PEEO/UCEEO पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाये ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सके। **प्रशिक्षण के समस्त चरण अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाये।**
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/UCEEO पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाये।

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर कुल 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी में अन्य कोई **जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर 6** सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाये।
- समस्त एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण मद में से समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जाये। **किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जाये।**

समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :- विद्यार्थी का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, विद्यार्थियों का ड्रॉप-आउट हो जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय परिवर्तन कर लेना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर **रिक्त हुए पदों को** विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर **भरा जाये** तथा **नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाये।**

<u>जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व</u> :

- प्रशिक्षण की टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 3 दिवस पूर्व एवं PEEO/UCEEO पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 5 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/UCEEO तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।

RajKaj Ref
7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 20:17:06 IST
Reason: Approved

- प्रशिक्षण हेतु PEEO/UCEEO हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना।
- **जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि ब्लॉक के माध्यम से PEEO/UCEEO को SNA limit जारी की जायेगी।**
- PEEO/UCEEO केन्द्र पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में संकुल सन्दर्भ केन्द्र/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्रवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/UCEEO से राशि कमी वाले PEEO/UCEEO पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक नही होना चाहिए।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण में वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त **नहीं** किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 10 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनायें, प्रतिवेदन एवं फोटो परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाये।

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

PEEO / UCEEO दो दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण सूचना

प्रपत्र–अ

जिला :–

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसएमसी सदस्यों के PEEO / UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
	योग					

हस्ताक्षर

प्रपत्र–ब

जिला :–

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसडीएमसी सदस्यों के PEEO / UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
	योग					

हस्ताक्षर

प्रपत्र–स

जिला :–

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO / UCEEO को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम / सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक / शिक्षा शास्त्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

9 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–द

जिला :–

क.सं	ब्लॉक का नाम	एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO / UCEEO को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम / सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक / शिक्षा शास्त्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
							पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

प्रपत्र – 1

जिला :–

क.स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–स के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–1 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

प्रपत्र – 2

जिला :–

क.स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–द के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–2 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

10 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

प्रपत्र – 3

जिला :–

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

प्रपत्र – 4

जिला :–

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसडीएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सीबीईओ के दायित्व :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :–

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थायें एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 30 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO / UCEEO पर आयोज्य एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO / UCEEO वार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देशों की PEEO / UCEEO तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- PEEO / UCEEO को जिले से प्राप्त प्रशिक्षण बजट की लिमिट जारी करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2023–24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त **नहीं** किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफ्स आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

<u>PEEO / UCEEO प्रभारी / संस्थाप्रधान के दायित्व</u> :–

- जिला परियोजना / सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2023–24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त **नहीं** किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने कार्यक्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

- अधीनस्थ प्रधानाध्यापक PEEO/UCEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से, कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा-महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त संस्थाप्रधान PEEO/UCEEO पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO/UCEEO प्रशिक्षण की दिनांक पर नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्चार्ज की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा-बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।

13 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा–चाय–नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का वास्तविक किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र सीबीईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO / UCEEO या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :–

विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रूपये प्रति व्यक्ति दो दिवस में से PEEO / UCEEO पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 460/- रूपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार की जाए एवं **शेष * राशि 1200 रू में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।**

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 15000/-
PEEO / UCEEO प्रशिक्षण– संभागी × दिन × दर
30 × 2 × 230 = 13,800/-

क्र.सं.	विवरण	कुल दिवस	दर प्रतिदिन	ईकाई	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान(वास्तविक)	2	140	30	8400
2	जलपान (चाय–नाश्ता)	2	40	30	2400
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO / UCEEO नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	400	2	1600
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	2	550	-	1100
5	व्यवस्थापक को मानदेय	2	150	1	300
	योग				**13800**
	शेष*				**1200**
	महायोग				**15000**

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करायें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से चैक अथवा बैंक खाते में किया जाये।

प्रपत्र

PEEO/UCEEO का नाम :............................ प्रशिक्षण दिनांक :.............

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति /विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी/ एसडीएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी/ एसडीएमसी के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2024–25

S.N o	Activity	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Dec 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25
1	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण	√								
2	एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/UCEEO वार कार्य योजना निर्माण	√								
3	संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण		√							
4	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO/UCEEO विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण			√	√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन					√				

अति महत्वपूर्ण नोट– एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO/UCEEO स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अक्टूबर, 2024 तक कर नवम्बर, 2024 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

15 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / SMC-SDMC / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1374 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

16 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

COMMUNITY MOBILISATION

SMC/PRI Training

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2024-25

S. No.	District	Total identified School (according Plan) SMC Training	Total identified (according Plan) SMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1264	7584	7584	37.92
2	Alwar	1966	11796	11796	58.98
3	Banswara	2806	16836	16836	84.18
4	Baran	1262	7572	7572	37.86
5	Barmer	3908	23448	23448	117.24
6	Bharatpur	1190	7140	7140	35.7
7	Bhilwara	2276	13656	13656	68.28
8	Bikaner	1549	9294	9294	46.47
9	Bundi	976	5856	5856	29.28
10	Chittaurgarh	1389	8334	8334	41.67
11	Churu	857	5142	5142	25.71
12	Dausa	1145	6870	6870	34.35
13	Dhaulpur	837	5022	5022	25.11
14	Dungarpur	2284	13704	13704	68.52
15	Ganganagar	1441	8646	8646	43.23
16	Hanumangarh	680	4080	4080	20.4
17	Jaipur	2671	16026	16026	80.13
18	Jaisalmer	1065	6390	6390	31.95
19	Jalor	1434	8604	8604	43.02
20	Jhalawar	1353	8118	8118	40.59
21	Jhunjhunu	998	5988	5988	29.94
22	Jodhpur	2784	16704	16704	83.52
23	Karauli	1101	6606	6606	33.03
24	Kota	768	4608	4608	23.04
25	Nagaur	2233	13398	13398	66.99
26	Pali	1292	7752	7752	38.76
27	Pratapgarh	1462	8772	8772	43.86
28	Rajsamand	1377	8262	8262	41.31
29	Sawai Madhopur	772	4632	4632	23.16
30	Sikar	1336	8016	8016	40.08
31	Sirohi	733	4398	4398	21.99
32	Tonk	1142	6852	6852	34.26
33	Udaipur	3626	21756	21756	108.78
	Total	**51977**	**311862**	**311862**	**1559.31**

17 RajKaj Ref 7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

COMMUNITY MOBILISATION

SDMC Training

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2024-25

S. No.	District	Total identified School(according Plan) SDMC Training	Total identified (according Plan) SDMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	613	3678	3678	18.39
2	Alwar	886	5316	5316	26.58
3	Banswara	521	3126	3126	15.63
4	Baran	331	1986	1986	9.93
5	Barmer	958	5748	5748	28.74
6	Bharatpur	593	3558	3558	17.79
7	Bhilwara	631	3786	3786	18.93
8	Bikaner	575	3450	3450	17.25
9	Bundi	291	1746	1746	8.73
10	Chittaurgarh	439	2634	2634	13.17
11	Churu	592	3552	3552	17.76
12	Dausa	439	2634	2634	13.17
13	Dhaulpur	306	1836	1836	9.18
14	Dungarpur	453	2718	2718	13.59
15	Ganganagar	513	3078	3078	15.39
16	Hanumangarh	434	2604	2604	13.02
17	Jaipur	1121	6726	6726	33.63
18	Jaisalmer	252	1512	1512	7.56
19	Jalor	449	2694	2694	13.47
20	Jhalawar	341	2046	2046	10.23
21	Jhunjhunu	557	3342	3342	16.71
22	Jodhpur	851	5106	5106	25.53
23	Karauli	357	2142	2142	10.71
24	Kota	331	1986	1986	9.93
25	Nagaur	855	5130	5130	25.65
26	Pali	558	3348	3348	16.74
27	Pratapgarh	278	1668	1668	8.34
28	Rajsamand	363	2178	2178	10.89
29	Sawai Madhopur	334	2004	2004	10.02
30	Sikar	684	4104	4104	20.52
31	Sirohi	278	1668	1668	8.34
32	Tonk	376	2256	2256	11.28
33	Udaipur	864	5184	5184	25.92
Total		**17424**	**104544**	**104544**	**522.72**

 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

एसएमसी / एसडीएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2024–25

1. अवलोकनकर्ता का नाम :– .... पद ....
2. पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
3. अवलोकन की तिथि एवं समय ....
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO / UCEEO विद्यालय का नाम :– ....
....
5. PEEO / UCEEO संस्था प्रधान का नाम ....
मो. न. ....
6. PEEO / UCEEO के अधीन विद्यालयों की संख्या :– ....
7. प्रशिक्षण स्थल :– .... ब्लॉक :– .... जिला ....
8. प्रशिक्षण दिनांक :– ....
7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :–
(अ) नाम :– .... पद :– .... पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
(ब) नाम :– .... पद :– .... पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
8 कुल पंजीकृत संभागी :–. पुरुष .... महिला .... योग ....
9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :–
(अ) जनप्रतिनिधि (PRI):– पुरुष .... महिला .... योग ....
(ब) अभिभावक सदस्य :– पुरुष .... महिला .... योग ....
(स) मनोनीत सदस्य :– पुरुष .... महिला .... योग ....
(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरुष .... महिला .... योग ....
(य) शिक्षक सदस्य :– पुरुष .... महिला .... योग ....
योग :– पुरुष .... महिला .... योग ....
10 संभागियो की बैठक व्यवस्था :– ....
11 मॉड्यूल की उपलब्धता :– ....
12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :– ....
13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :– ....
14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे संभागियों के विचार :–
----
15 प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :–
----
16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी / सुझाव :–

प्रशिक्षण आयोजक PEEO / UCEEO प्रभारी के हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :–

19 RajKaj Ref 7517104

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:17:06 IST
Reason: Approved

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प / जय / गुण.शिक्षा / निपुण मेला / 2024–25 / 7285355 दिनांक

निपुण मेला दिशा–निर्देश

सत्र 2024–25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंषा के अनुसार प्रारम्भिक कक्षाओं में वर्ष 2026–27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरूआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे 2026–27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्षीय गतिविधियां कराई जानी है साथ ही विद्यार्थियों की रूचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024–25 में नवाचारी गतिविधि के रूप में प्रत्येक PEEO / UCEEO के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है।

निपुण मेला बच्चों के सम्पूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषायी एवं सामाजिक विकास) में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। निपुण मेले में टॉय मेकिंग, आर्ट, खिलौने बनाना, मॉड्ल बनाना, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क एवं रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां सम्मिलित की जानी है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चों को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे को समझने एवं आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे।

उद्देश्य –

- निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना।
- निपुण भारत मिशन के प्रचार–प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना।
- समुदाय में जागरूकता एवं सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल।
- समुदाय की भागीदारी के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना एवं सीखने को प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय को बढ़ाना।
- मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनन्दायी वातावरण प्रदान करना।
- बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना ।
- छात्रों को अपने आप को प्रस्तुत करने व करके सीखने जैसे गुणों का विकास करना।
- अभिभावकों को ऐसे कार्यों या गतिविधियों से अवगत करना जिन्हें वे विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरितः कर सकते है।

RajKaj Ref
7285355

- बच्चों व अभिभावको की सहभागिता से आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना।
- बच्चों में सृजनात्मकता, कला, बौद्धिक विकास, भाषायी विकास, संख्याज्ञान विकास आदि में रूचि पैदा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।

आयोजन की संभावित दिनांक –

- निपुण मेला नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है। निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीईईओ, यूसीईईओ विद्यालय स्तर पर माह नवम्बर 2024 में आयोजित किया जाना है। आयोजन तिथि की सूचना पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रस्तावित गतिविधियां –

निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जायेगी। जहां बच्चों के स्तरानुसार कुछ खेल, गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जायेंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है। जिनमें ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) से गतिविधियां आयोजित की जायेगी जो कम लागत से बनी हो, और विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सकें। आयोज्य गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया जाए। प्रस्तावित गतिविधियां निम्नानुसार है –

1. **शारीरिक विकास आधारित गतिविधियाँ** – निशाना लगाना, ब्लाइन्ड फोल्ड, म्यूजीकल चेयर, नीबू दौड, लटकन जलेबी, बॉल डालो सिक्का निकालो आदि।
2. **मानसिक/बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियाँ** – देखो और बताओ, ABL KIT आधारित पहेली खेल, हल करो और आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो, डिजिटल गेम आदि।
3. **सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियाँ** – मिट्टी/क्ले से खिलौने बनाना, पेन्टिंग करवाना, कॉलाज बनाना, स्वतन्त्र पेन्टिंग।
4. **भाषायी विकास आधारित गतिविधियाँ** – कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना आदि।
5. **सामाजिक विकास आधारित गतिविधियाँ – Family tree,** रिश्ते नाते पट्टिका मिलान कराना, अपने अभिभावक, भाई–बहिन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना ।

नोट –

1. निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। गतिविधि विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

निपुण मेला 2024–25 हेतु पूर्व तैयारी –

- निपुण मेला अकादमिक मेला है जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रख कर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय कों जिला एवं ब्लॉक स्तर से आवश्यक तैयारियों हेतु निर्देशित किया जाए।

RajKaj Ref
7285355

- निपुण मेले का आयोजन FLN की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीईईओ, यूसीईईओ के स्तर पर किया जाना है।
- निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली सामग्री बजट प्रावधान में दिए गए विवरणानुसार क्रय की जाए। अतिरिक्त राशि/सामग्री की आवश्यकता होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है।
- मेले में स्टॉल पर गतिविधि एवं खेल कराने हेतु आवश्यक टीएलएम, चार्ट, पोस्टर, कॉलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया जाए।
- आवश्यकतानुसार पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों से एफएलएन मेंटोर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों के सहयोग हेतु नामित किया जाए।
- मेले में पीईईओ, यूसीईईओ परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 3 तक के समस्त विद्यार्थी तथा समन्वित आंगनबाडी केन्द्र के बालक, बालिका भी भाग लेगें।
- गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए।
- स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिए जाए।
- पीईईओ/यूसीईईओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन मय फोटो व उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय को प्रेषित करें।
- ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट मय फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस में जिला कार्यालय को प्रेषित की जाए।
- प्रत्येक स्तर पर आयोजित निपुण मेले के कार्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को कार्य समाप्ति के 10 दिवस के अन्दर प्रेषित की जानी है।
- गणित – पहाड़े सुनाना, ईबारती प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना आदि गतिविधियों की जा सकती है।

उक्त गतिविधियों के अतिरिक्त शिक्षक अन्य साथी शिक्षकों, बच्चों से चर्चा कर गतिविधियों को सूचीबद्ध करें और मेले में शामिल करें।

वित्तीय प्रावधान –

क्र.	विवरण	राशि
1	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना। जैसे – रंगीन कागज, चार्ट, कलर, क्ले, पिक्चर चार्ट इत्यादि	3000
2	थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री जैसे– पानी की बोतल, पेन/पेन्सिल, लंच बॉक्स इत्यादि (पुरस्कार की संख्या अधिक होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जाए)	3000
3	अल्पाहार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों अध्यापक व अभिभावक	2000
4	स्टॉल हेतु आवश्यकतानुसार टेंट सामग्री	2000
	कुल राशि	**10000**

RajKaj Ref
7285355

जिला स्तर के दायित्व–

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से गतिविधि आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर 3 दिवस में ब्लॉक, पीईईओ/यूसीईईओ हेतु स्वीकृति जारी करना।
- ब्लॉक एवं विद्यालय तक दिशा–निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना ।
- मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी नियुक्त करना ।
- निपुण मेले के प्रभावी आयोजन हेतु समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी गुणवत्ता के साथ मिलकर कार्ययोजना निर्माण करना।
- निपुण मेले के आयोजन दिवस को प्रभावी मॉनिटरिंग कराना।
- प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर परिषद को प्रेषित करना।
- प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट परिषद को कार्य समाप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करना।

ब्लॉक स्तर के दायित्व–

- गतिविधि आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर 03 दिवस में पीईईओ/यूसीईईओ हेतु स्वीकृति जारी करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय तक दिशा–निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक विद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर जिला स्तर को प्रेषित करना ।
- निपुण मेले के आयोजन दिवस को प्रभावी मॉनिटरिंग कराना।
- प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर जिला कार्यालय को प्रेषित करना ।
- प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट जिला कार्यालय को कार्य समाप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करना।

पीईईओ स्तर के दायित्व–

- परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन कराना।
- परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- निपुण मेले के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- पीईईओ, यूसीईईओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन मय फोटो व उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। (परिशिष्ट–1)
- प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को कार्य समाप्ति के 3 दिवस के अन्दर प्रेषित की जानी है।

RajKaj Ref
7285355

- विशेष–
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ब्लॉक में निपुण मेला अन्तर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधियों का 5 से 10 मिनट का वीडियों बनाये जिसे भविष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकें। साथ ही उक्त वीडियों की सॉफ्ट कॉपी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा सम्बन्धित जिले को प्रेषित करें।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2024–25 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है–
  - 5- Quality Intervention
    - 5.1- NIPUN Bharat Mission
    - 5.1.1 - Nipun Bharat Mission (FLN)
    - 1-Teaching Learning Materials for implementation of Innovative pedagogies

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक-I

क्रमांक – रास्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/निपुण मेला/2024–25 7285355 **दिनांक** 17/5/2024
प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक– प्रथम/द्वितीय राज. स्कूल शि. परिषद, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शि. परिषद, जयपुर। ।
10. समस्त डाइट प्राचार्य।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलें।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
16. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref
7285355

गतिविधि प्रपत्र

- ❖ सृजनात्मक – मिटटी/क्ले से खिलौने बनवाना, पेन्टिंग करवाना/कॉट्न, लीफ, थ्रेड, veg, Finger, Thumb- आदि।

- ❖ **कॉलाज बनवाना** – स्वतन्त्र रूप से पिक्चर कटिंग देकर उनका कॉलाज बनवाना जैसे–फल, सब्जी, अनाज के पिक्चर एक डिब्बे में डाल कर रखना और फिर उन्हें एक निश्चित समय देकर सब्जीयों का कॉलाज बनवाना दूसरे से फल और तीसरे से अनाज का जो निश्चित समय में सबसे ज्यादा पिक्चर लगाएगा वह विजेता होगा।

- ❖ **भाषायी विकास** – जंगली, पालतु जानवरों के समान ध्वनि निकालना, समान आकृतिया को बताना,
  - कॉलाज के चित्रों के आधार पर कम समय में कहानी बुलवाना।
  - अलग–अलग पिक्चर लगाकर कॉलाज तैयार करके रखना।
  - पिक्चर व चार्ट देना स्वंय लगाकर कहानी बनवाना।
  - उक्त कार्य समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप से कराये जा सकते है।

(मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईईओ हेतु)

कार्यालय..

क्रमांक : **दिनांक :**

उपयोगिता प्रमाण पत्र

वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 में अनुमोदित गतिविधि के आयोजन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक................. की अनुपालना में विवरणानुसार राशि का उपयोग किया गया।

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	वित्तीय स्वीकृति		स्वीकृत राशि	उपयोग राशि	शेष राशि	शेष का कारण
		क्रमांक	दिनांक				

हस्ताक्षर मय सील

RajKaj Ref
7285355

Document certified by POONAM PRASAD SAGAR <ds1industriesrajasthan@gmail.com>.

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date :17-05-2024 05:53:16

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 06

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प / जय / गुणवत्ता / रंगोत्सव / 2024–25 / F-00601/ 1053 दिनांक 20/5/24

रंगोत्सव 2024–25 हेतु दिशा–निर्देश

रंगोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में कलात्मक प्रतिभा को पहचानने पोषित करने, प्रस्तुत करने तथा कला को बढ़ावा देने की पहल है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 में अनुमोदित गतिविधि रंगोत्सव का आयोजन नवाचारी गतिविधि के रूप में किया जाना है। **रंगोत्सव की परिकल्पना एक समन्वित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जहाँ शिक्षक / शिक्षिका एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सकें। यह शिक्षकों की प्रतिभा को पोषित करने एवं व्यक्त करने हेतु उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मूर्त, रचनात्मक एवं आनन्ददायी बनाएगा।**

रंगोत्सव गतिविधि को आयोजित करने के लिये निम्न निर्देशों की पालना की जाए :–

- रंगोत्सव राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- रंगोत्सव 2024–25 का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जायेगा।
- एक शिक्षक / शिक्षिका एक ही गतिविधि (कला) में भाग ले सकेगा / सकेगी।
- रंगोत्सव के प्रत्येक स्तर पर 06 विधाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा।

प्रत्येक कला क्षेत्र की प्रस्तुति / प्रतियोगिता एकल रहेगी, प्रतियोगिता में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मलित की गई हैं–

क्र.	श्रेणी	प्रविष्टि	विवरण
1	संगीत (गायन) शास्त्रीय संगीत	1 शिक्षक / शिक्षिका	हिन्दुस्तानी / राजस्थानी संगीत
2	संगीत (गायन) पारंपरिक लोक गीत	1 शिक्षक / शिक्षिका	कोई भी शैली / उपभाषा
3	संगीत (वादन) शास्त्रीय संगीत	1 शिक्षक / शिक्षिका	हिन्दुस्तानी / राजस्थानी संगीत
4	संगीत (वादन) पारंपरिक लोक वाद्य	1 शिक्षक / शिक्षिका	कोई भी शैली / उपभाषा
5	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	1 शिक्षक / शिक्षिका	2डी / 3डी / पेंटिंग / मॉडल
6	शिक्षण प्रतियोगिता (अध्यापन प्रतियोगिता)	1 शिक्षक / शिक्षिका	सम्बन्धित विषय की पाठ्य सामग्री का अध्यापन

RajKaj Ref
7322375

- जिला स्तर पर रंगोत्सव का आयोजन दिनांक 1–15 अगस्त 2024 के मध्य (एक दिवसीय) किया जाना है।
- रंगोत्सव गतिविधि में राजकीय विद्यालयों के शिक्षक /शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया जाए।
- जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागियों का विवरण दिनांक 25 अगस्त 2024 तक **परिशिष्ट–02** में राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा।
- राज्य स्तर पर रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 05–10 सितम्बर 2024 के मध्य किया जायेगा। आयोजन स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचना **परिशिष्ट–01** में भिजवाई जाये। जिसके साथ वीडियो क्लिप की समय सीमा निम्नानुसार रहेगी–

क्र.स	श्रेणी	वीडियों प्रविष्टि समय
1	संगीत (गायन) – शास्त्रीय संगीत	4 से 6 मिनिट
2	संगीत (गायन) – पारंपरिक लोक गीत	4 से 6 मिनिट
3	संगीत (वादन) – शास्त्रीय संगीत	4 से 6 मिनिट
4	संगीत (वादन) – पारंपरिक लोक वाद्य	4 से 6 मिनिट
5	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	4 से 6 मिनिट
6	शिक्षण प्रतियोगिता	4 से 6 मिनिट

वित्तीय प्रावधान:–

जिला स्तर

- जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यय वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024–25 में अनुमोदित रंगोत्सव गतिविधि से किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिले को 10,000/– रूपये कार्यक्रम आयोजन हेतु आवंटित किए गये है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- जिला स्तर पर प्रत्येंक विधानुसार (शिक्षक/शिक्षिका) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को प्रमाण–पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जायेगी।

निर्णायक मण्डल

1. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में निर्णायक मण्डल का गठन होगा – जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), प्रधानाचार्य डाइट एवं कला/गतिविधि से सम्बन्धित विशेषज्ञों को शामिल किया जाये।

RajKaj Ref
7322375

राज्य स्तर पर निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :–

राज्य परियोजना निदेशक/प्रतिनिधि – समग्र शिक्षा	अध्यक्ष
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, (आयोजक जिला से संबंधित संभाग)	सदस्य
प्रतिनिधि – निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर	सदस्य
प्रतिनिधि – आरएससीईआरटी, उदयपुर	सदस्य
राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञ	सदस्य (प्रत्येक श्रेणी के अनुसार)

प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश

1. **संगीत (गायन)**– एकल प्रस्तुति संगीत गायन की प्रतियोगिता निम्न दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी –
   1. संगीत गायन – शास्त्रीय संगीत
   2. संगीत गायन – पारंपरिक लोक संगीत

सामान्य सूचनाएँ

- प्रस्तुति की अवधि 4–6 मिनट की होगी।
- वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का साज सामान, प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए।
- संगीत वाद्यों पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक/छात्र हो सकते है।
- व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों का प्रयोग वर्जित है।

मूल्यांकन प्रपत्र– संगीत (गायन) शास्त्रीय संगीत

शैली की प्रमाणिकता	सुर	ताल	बंदिश / गीत के शब्दों का उच्चारण	वेशभूषा की प्रामाणिकता	राग के अनुसार प्रदर्शन	संपूर्ण प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	20	15	10	10	15	100

मूल्यांकन प्रपत्र– संगीत (गायन) पारंपरिक लोक संगीत

शैली की प्रामाणिकता	सुर	ताल	उपभाषा का उच्चारण	वेशभूषा की प्रामाणिकता	मंच सज्जा सामग्री का उपयोग	संपूर्ण प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	20	15	15	05	15	100

2. **संगीत (वादन)–एकल प्रस्तुति**वादन की प्रतियोगिता निम्न दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी –
   1. संगीत (वादन) – शास्त्रीय संगीत
   2. संगीत (वादन) – पारंपरिक लोक वाद्य

सामान्य सूचनाएँ

- प्रस्तुति की अवधि 4–6 मिनट की होगी।
- वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का साज सामान, प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए।
- संगत के लिए अन्य वाद्यों पर विद्यालय के शिक्षक/छात्र हो सकते है।
- पारंपरिक लोक संगीत हेतु केवल स्थानीय वाद्य–यंत्रों का प्रयोग कर सकते है।

* इलेक्ट्रोनिक वाद्य यन्त्रों का प्रयोग वर्जित है।

मूल्यांकन प्रपत्र– वादन – शास्त्रीय संगीत

शैली की प्रामाणिकता	नियमानुसार वादन	लय	वाद्य की सुर गुणवत्ता	सृजनशीलता	संपूर्ण प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	20	15	15	20	100

मूल्यांकन प्रपत्र– वादन–पारंपरिक लोक संगीत

शैली की प्रामाणिकता	वादन में कलात्मकता	लय	वाद्य की सुर गुणवत्ता	वेशभूषा की प्रामाणिकता	मंच सज्जा सामग्री का उपयोग	संपूर्ण प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	20	15	10	10	15	100

शिक्षण अधिगम सामग्री –

* द्वि आयामी – पेंटिंग, इत्यादि।
* त्रि आयामी – मॉड्ल

सामान्य सूचनाएँ

* प्रस्तुति की अवधि 04–06 मिनिट रहेगी।
* प्रतिभागी स्वयं की रूचि अनुसार सामग्री या माध्यम का प्रयोग कर सकते है।
* निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की मौलिकता, सृजनात्मकता एवं विषय वस्तु का अवलोकन कर निर्णय करेंगे।
* प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि निर्माण की जा रही टीएलएम सामग्री की कार्यात्मक सटीकता एवं मूल डिजाईन के साथ विषय वस्तु की प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखें।
* शिक्षण अधिगम सामग्री निम्न से सम्बन्धित हो सकती है –
    * कृषि औजार एवं उपकरण, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण।
    * विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संसाधन से सम्बन्धित उपकरण।
    * जलवायु परिवर्तन (क्लाईमेट चैंज)
    * जीवन कौशल शिक्षा
    * कैरियर मार्गदर्शन
    * स्वच्छता व्यवहार का प्रदर्शन।
    * राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम।
    * पंचतत्र की कहानियाँ, जातक कथाएँ, लोक कथाओं के चरित्र, जो प्रतिभागियों के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायक हो सकें।
    * बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बेस्ट प्रेक्टिस
    * खिलौने बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, मूल खिलौने में प्रयोग की गई सामग्री से मेल खाती हो।

RajKaj Ref
7322375

- प्रतिभागी स्थानीय एवं पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग करें।

मूल्यांकन प्रपत्र –शिक्षण अधिगम सामग्री

मौलिकता	प्रविधि	उपयोगिता	प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
25	25	20	30	100

3. **शिक्षण प्रतियोगिता (अध्यापन प्रतियोगिता)**

सामान्य सूचनाएँ

- प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनिट होगी।
- चयन की गई विषय वस्तु में नवाचारी विचारों का समावेश हो।
- वेशभूषा और मेकअप साधारण, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुति के अनुरूप ही होने चाहिए।
- प्रतिभागी स्वयं की रूचि अनुसार विषय वस्तु एवं माध्यम का प्रयोग कर सकते है।
- निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी से प्रस्तुतीकरण के समय मौलिकता, विषय वस्तु पर अवलोकन कर निर्णय करेंगे।

मूल्यांकन प्रपत्र

विषय वस्तु की प्रमाणिकता	विवेचना विवरण	सहायक सामग्री का उपयोग	रचनात्मकता	श्यामपट् कार्य	संपूर्ण प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	10	20	10	30	100

जिला स्तरीय आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान–

क.स.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1	बैठक व्यवस्था, टेण्ट सामग्री आदि	1500
2	मंच सजावट, माइक, वाद्य यन्त्र व्यवस्था	2000
3	अल्पाहार	2000
4	मेडल/ट्रॉफी, प्रमाण–पत्र	3400
5	प्रचार – प्रसार, बैनर	500
6	कन्टिजेन्सी, फोटोग्राफी अभिलेख संधारण	600
	कुल योग	10000

अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों का सहयोग लिया जावे। मदवार उपलब्ध कराई जा रही राशि में आवश्यकतानुसार स्वीकृति उपरान्त आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।

रंगोत्सव हेतु राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही हैं व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

RajKaj Ref
7322375

- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

सामान्य निर्देश –

- संगीत (गायन), संगीत (वाद्य वादन) एवं "टीएलएम निर्माण, शिक्षण प्रतियोगिता की प्रस्तुति के लिए 4–6 मिनट का समय निर्धारित रहेगा।
- प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले शिक्षकों को सहभागिता का प्रमाण–पत्र दिया जाए। विजेता प्रतिभागी को मेडल/ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।
- स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठन से सहयोग लिया जा सकता है जो सामाजिक विकास में कला पक्ष पर कार्य कर रहे हैं।
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठन या कला संगठन जो विभिन्न कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, का सहयोग लिया जा सकता है।
- राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजन हेतु राजस्थान संगीत कला अकादमी जैसे संस्थाओं का सहयोग लिया जावे तथा कला के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों का सहयोग लिया जाए।
- उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2024–25 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है–
  - **Quality Interventions**
    - ✓ **5.4 - Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)**
    - ✓ **5.4.2 - Experiential Learning (Elementary)**
    - ✓ **1-Rangotsav**

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अति. राज्य परि. निदेशक-I

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/रंगोत्सव/2024–25/F-00601/ 1053 दिनांक 20/5/24

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
9. जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. डाइट, प्राचार्य समस्त जिले।
13. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
16. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
17. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref
7322375

परिशिष्ट–1

रंगोत्सव 2024–25 में प्रविष्टियों हेतु प्रारूप

जिलेवार समेकित सूचना

1. जिला ....
2. प्रतिभागियों का विवरण ....

नोट : जिले में आयोजित प्रत्येक कला श्रेणी के प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता संभागियों का विवरण उक्त परिशिष्ट में राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।

क्र स	कला श्रेणी	शिक्षक का नाम एवं पद	Emp. ID	मो. नम्बर	लिंग (महिला/पुरूष)	राजकीय विद्यालय का नाम व पता, पिनकोड, विद्यालय की श्रेणी
1.	संगीत (गायन) – शास्त्रीय संगीत					
2.	संगीत (गायन) – पारंपरिक लोक गीत					
3.	संगीत (वादन) – शास्त्रीय संगीत					
4.	संगीत (वादन) – पारंपरिक लोक गीत					
5.	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण					
6.	शिक्षण प्रतियोगिता (अध्यापन प्रतियोगिता)					

3. संगतकर्ता का विवरण

क्र.स	संगतकर्ता का नाम	पद	लिंग (महिला/पुरूष)	विद्यालय का नाम व पता, पिनकोड, विद्यालय की श्रेणी	कला श्रेणी

4. प्रस्तुत की गई कला श्रेणी के विषय में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाये जो सौ शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
5. कला श्रेणी के अनुसार प्रस्तुतियों की वीडियों फिल्म प्रस्तुत की जाये जो पांच मिनिट से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

हस्ताक्षर
प्रमाणितकर्ता

RajKaj Ref
7322375

परिशिष्ट–2

रंगोत्सव 2024–25 में प्रविष्टियों हेतु प्रारूप

जिलेवार समेकित सूचना

1. जिला ....

क्र स	कला श्रेणी	श्रेणी	शिक्षक का नाम एवं पद	Emp. ID	मो. नम्बर	लिंग (महिला /पुरुष)	राजकीय विद्यालय का नाम व पता, पिनकोड, विद्यालय की श्रेणी
1.	संगीत (गायन) – शास्त्रीय संगीत	I					
		II					
		III					
2.	संगीत (गायन) – पारंपरिक लोक गीत	I					
		II					
		III					
3.	संगीत (वादन) – शास्त्रीय संगीत	I					
		II					
		III					
4.	संगीत (वादन) – पारंपरिक लोक गीत	I					
		II					
		III					
5.	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	I					
		II					
		III					
6.	शिक्षण प्रतियोगिता (अध्यापन प्रतियोगिता)	I					
		II					
		III					

हस्ताक्षर
प्रमाणितकर्ता

RajKaj Ref
7322375

Document certified by POONAM PRASAD SAGAR <ds1industriesrajasthan@gmail.com>.

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date :20-05-2024 03:44:35

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141-2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./जिलास्तरीय/दिशा-निर्देश/2024-25/1372 दिनांक : 5/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024-25)
जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त जिलों के विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग-थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

जिलों में स्थानीय परिस्थतियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन जिलों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता हेतु प्रावधित बजट से जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जन प्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी अध्यक्षों के साथ जिला स्तर

RajKaj Ref
7551573

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:25:50 IST
Reason: Approved

पर एक **दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला** का प्रावधान रखा गया है। **उक्त जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न कराया जाना है।** जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 100 संभागियों के लिए है। **प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 316.7878/- अर्थात 100 संभागियों के लिए ₹ 31678.78/- तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।**

कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागी –

- ✓ चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका/परिषद/निगम के सभापति/आयुक्त/महापौर एवं पार्षद आदि संभागी होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी यथा जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य अधिकारी समग्र शिक्षा, उपनिदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, सहायक/उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, जिला श्रम अधिकारी, जिला मुख्यालय के विद्यालयों के संस्था प्रधान रा.प्रा.वि., रा.उ.प्रा.वि., रा.उ.मा.वि., एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदि।
- ✓ इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 100 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते है।

क्रसं.	विवरण	जिला स्तर पर 100 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 220/– प्रति सम्भागी की दर से	22000
2	जलपान (चाय–नाशता) 30/–रूपये प्रति व्यक्ति	3000
3.	स्टेशनरी 25 रूपये प्रति व्यक्ति	2500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमन्त्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	700
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	2678.78
	योग	**31678.78**

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 15:25:50 IST
Reason: Approved

नोट– जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन माह अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न कराकर नवम्बर माह में प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./जिला स्तरीय/दिशा–निर्देश/2024–25/1372 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:25:50 IST
Reason: Approved

District Level Awareness
Year 2024-25

परिशिष्ट– 1

S.N	District	33 District Level Awareness Year 2024-25 @ 0.31678/- Lakh Per District	
		Target	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	1	0.31679
2	Alwar	1	0.31679
3	Banswara	1	0.31679
4	Baran	1	0.31679
5	Barmer	1	0.31679
6	Bharatpur	1	0.31679
7	Bhilwara	1	0.31679
8	Bikaner	1	0.31679
9	Bundi	1	0.31679
10	Chittaurgarh	1	0.31679
11	Churu	1	0.31679
12	Dausa	1	0.31679
13	Dhaulpur	1	0.31679
14	Dungarpur	1	0.31679
15	Ganganagar	1	0.31679
16	Hanumangarh	1	0.31679
17	Jaipur	1	0.31679
18	Jaisalmer	1	0.31678
19	Jalor	1	0.31678
20	Jhalawar	1	0.31679
21	Jhunjhunu	1	0.31678
22	Jodhpur	1	0.31678
23	karauli	1	0.31678
24	Kota	1	0.31678
25	Nagaur	1	0.31679
26	Pali	1	0.31679
27	Pratapgarh	1	0.31679
28	Rajsamand	1	0.31679
29	Sawi Madhopur	1	0.31679
30	Sikar	1	0.31679
31	Sirohi	1	0.31679
32	Tonk	1	0.31678
33	Udaipur	1	0.31679
	Total	33	10.454

RajKaj Ref
7551573

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:25:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / ब्लॉकस्तरीय / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1373 दिनांक : 5/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :–

राज्य के समस्त ब्लॉक में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। ऐसे स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है एतदर्थ ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना। ब्लॉक स्तर पर समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

RajKaj Ref
7540130

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024–25 में समग्र शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता मद के उपमद सामुदायिक गतिशीलता प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। **उक्त ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह सितम्बर, 2024 तक सम्पन्न कराया जाना है।** ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला **50 संभागियों** के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 174.2235/– रखी गई है। अर्थात 50 संभागियों के लिए ₹ 8711.173/– तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा – प्रधान, उपप्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। इनमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा – खण्ड विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO), अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ACBEO), बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि, ब्लॉक के पीईईओ/संस्थाप्रधान/राजकीय उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

ब्लॉक कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है–

क्र सं.	विवरण	ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 110/– प्रति सम्भागी की दर से	5500
2	जलपान (चाय–नाशता) 25/–रूपये प्रति व्यक्ति	1250
3.	स्टेशनरी 10 रूपये प्रति व्यक्ति	500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय–2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए ₹ 400/– परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	500
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	161.173
	योग	**8711.173**

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाये।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर CBEO के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेंगे, को बस/रेल किराये का भुगतान जिला प्रबन्धन मद से किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को ₹ 400/- प्रतिदिन मानदेय देय होगा।

<u>कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें</u> :-

1. कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण करें।
2. स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
3. कार्यशाला के संभागियों का चयन कर समय पर उनको सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को सदंर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
5. कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 05.00 बजे तक होगा।
6. कार्यशाला हेतु जिला परियोजना समन्वयक द्वारा CBEO को लिमिट जारी की जायेगी।
7. कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का कार्यवृत्त/प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित किया जायें तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये निर्णयों/सिफारिशों की क्रियान्विति

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 18:24:52 IST
Reason: Approved

नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./ब्लॉक स्तरीय कार्य./दिशा–निर्देश/2024–25/ 1373 दिनांक : 5/6/2024
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

RajKaj Ref
7548130

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट– 1

S.N	District	358 Block Level Awareness Year 2024-25 @ Rs.8711.173/- Per Block Target	
		Phy. (District Block)	Fin. (in lakhs)
1	AJMER	11	0.95823
2	ALWAR	16	1.39379
3	BANSWARA	11	0.95823
4	BARAN	8	0.69689
5	BARMER	21	1.82935
6	BHARATPUR	12	1.04534
7	BHILWARA	14	1.21956
8	BIKANER	9	0.78401
9	BUNDI	5	0.43556
10	CHITTAURGARH	11	0.95823
11	CHURU	7	0.60978
12	DAUSA	11	0.95823
13	DHAULPUR	6	0.52267
14	DUNGARPUR	10	0.87112
15	GANGANAGAR	9	0.78401
16	HANUMANGARH	7	0.60978
17	JAIPUR	26	2.26490
18	JAISALMER	7	0.60978
19	JALOR	10	0.87112
20	JHALAWAR	8	0.69689
21	JHUNJHUNU	11	0.95823
22	JODHPUR	22	1.91646
23	KARAULI	8	0.69689
24	KOTA	6	0.52267
25	NAGAUR	15	1.30668
26	PALI	10	0.87112
27	PRATAPGARH (RAJ.)	8	0.69689
28	RAJSAMAND	8	0.69689
29	SAWAI MADHOPUR	7	0.60978
30	SIKAR	12	1.04534
31	SIROHI	5	0.43556
32	TONK	7	0.60978
33	UDAIPUR	20	1.74224
	Total	**358**	**31.186**

RajKaj Ref
7548130

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 1?:24:52 IST
Reason: Approved

हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया जाये। प्रतिवेदन की प्रति परिषद् कार्यालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :–

- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य।
- आरटीई एक्ट–2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।
- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- बाल अधिकार।
- मिड–डे–मील।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुद्दे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।

नोट– ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला सितम्बर, 2024 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाकर अक्टूबर, 2024 तक प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1376 दिनांक : 5/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024–25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिदोष से प्रभावित CwSN छात्र–छात्राओं को **रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision)** देय होता है। सत्र 2024–25 में रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी** :– Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता में से दृष्टिदोष (Blindness and Low Vision) से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय है।
- **पात्रता** :– Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित (Blindness and Low Vision) श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित CwSN छात्र–छात्राओं को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय होगा।
- **अवधि** :– 10 माह के लिए
- **राशि** :– ₹250/–प्रति माह

RajKaj Ref
7534804

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ..:23:49 IST
Reason: Approved

- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह **जुलाई, 2024 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।**
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव
3.	सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र–छात्राओं का चयन कर रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र–छात्राओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ लिमिट जारी करनी होगी, जिससे छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें संबंधित को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए रीडर भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2024	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2024	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2025	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र–छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र–छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- **जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद** "Reader Allowance- For only VI and Low vision" **में आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र–छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

<u>विशेष बिन्दु :–</u>

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र–छात्राओं को लाभ मिल सके।

RajKaj Ref
7534604

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:23:49 IST
Reason: Approved

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र–छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र–छात्रा के बैंक खाते में / गंभीर दोष वाले बच्चों के माता–पिता / अभिभावक तथा छात्र–छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्रा–छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र–छात्रा के **बैंक खाते में** रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जमा कराने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ / यूसीईईओ / सीबीईओ द्वारा सीडीईओ एवं पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- समस्त व्यवस्था पात्र छात्र–छात्रा / संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ / संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं की तथा उनको देय रीडर भत्ता** (Reader Allowance- For only VI and Low vision) **की सूचना** PRABANDH portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) वाला ऑपशन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।
- **होमबेस्ड एज्यूकेशन वाले बालक–बालिकाओं हेतु भत्तों की राशि भुगतान किये जाने हेतु उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय / पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ / यूसीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ / ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।

RajKaj Ref
7534804

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:23:49 IST
Reason: Approved

- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➢ <u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/1376
दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
स्थापित 18 मई, 1979

RajKaj Ref
7534804

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 1?:23:49 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision)
हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा..लिंग....................
2. पिता का नाम..मोबाइल....................
3. जन्म तिथि..कक्षा....................
4. स्थानीय पूर्ण पता..
5. एस.आर. न0..दोष का प्रकार.............. एवं प्रतिशत....................
6. पीईईओ/यूसीईईओ..ब्लॉक....................
7. विद्यालय..यूडाईस कोड....................
8. आधार कार्ड नम्बर..जनआधार नं....................
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा..IFSC Code....................
10. बैंक का नाम..

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्र/छात्रा**

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा .... उक्त विद्यालय की कक्षा.................... मे अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को रीडर भत्ते हेतु ₹.................... प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/
प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.. पुत्र/पुत्री श्री..विद्यालय..को रीडर भत्ता ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित............

शपथ–पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से रीडर भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्र/छात्रा**

RajKaj Ref
7534804

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ..:23:49 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Reader Allowance-for only VI and Low vision (Rs. 250/ per Month for 10 Months)			
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY. (SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	135	3.375	44	1.100
2	ALWAR	85	2.125	75	1.875
3	BANSWARA	13	0.325	3	0.075
4	BARAN	4	0.100	2	0.050
5	BARMER	35	0.875	30	0.750
6	BHARATPUR	25	0.625	25	0.625
7	BHILWARA	40	1.000	25	0.625
8	BIKANER	60	1.500	45	1.125
9	BUNDI	10	0.250	10	0.250
10	CHITTAURGARH	15	0.375	9	0.225
11	CHURU	15	0.375	12	0.300
12	DAUSA	8	0.200	8	0.200
13	DHAULPUR	30	0.750	10	0.250
14	DUNGARPUR	28	0.700	22	0.550
15	GANGANAGAR	95	2.375	40	1.000
16	HANUMANGARH	33	0.825	21	0.525
17	JAIPUR	20	0.500	20	0.500
18	JAISALMER	7	0.175	3	0.075
19	JALOR	20	0.500	20	0.500
20	JHALAWAR	55	1.375	55	1.375
21	JHUNJHUNU	7	0.175	5	0.125
22	JODHPUR	40	1.000	80	2.000
23	KARAULI	15	0.375	15	0.375
24	KOTA	6	0.150	11	0.275
25	NAGAUR	36	0.900	36	0.900
26	PALI	30	0.750	15	0.375
27	PRATAPGARH	12	0.300	7	0.175
28	RAJSAMAND	90	2.250	30	0.750
29	SAWAI MADHOPUR	25	0.625	8	0.200
30	SIKAR	25	0.625	15	0.375
31	SIROHI	45	1.125	36	0.900
32	TONK	15	0.375	15	0.375
33	UDAIPUR	110	2.750	105	2.625
	Total	1189	29.72	857	21.42

RajKaj Ref
7534804

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:23:49 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–6, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं 0141–2715580 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1375 दिनांक : 5/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024–25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for Girls) देय होता है। सत्र 2024–25 में स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है–

- **श्रेणी** :– Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स देय होगा।
- **पात्रता** :– Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाएं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) देय होगा।
- अवधि :– 10 माह के लिए
- राशि :– ₹200/–प्रति माह

RajKaj Ref
7546729

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ..:20:27 IST
Reason: Approved

- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2023 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव
3.	सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालिकाओं का चयन कर स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स जारी किए जाने की तत्काल अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ SNA के माध्यम से लिमिट जारी करनी होगी, जिससे बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**
- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) **का भुगतान प्रतिमाह विधिवत तत्काल जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशी शिक्षा की उपमद "Stipend for girls" आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्ते का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालिकाओं की प्रमाणीकरण करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :–

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके।**
- जिले की पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ को भिजवायें। अन्यथा संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिम्मेदार होंगे।

RajKaj Ref
7546729

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 12:20:27 IST
Reason: Approved

- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स मद में जिले को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालिका के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाली बालिका के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालिकाओं के **बैंक खाते में** स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- **पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की तथा उनको देय स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN बालिकाओं को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN बालिकाओं को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।
- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
7546729

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1375 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

RajKaj Ref
7546729

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्रा..
2. पिता का नाम...मोबाइल.............................
3. माता का नाम..
4. जन्म तिथि.......................................कक्षा...
5. स्थानीय पूर्ण पता...
   ....
6. एस.आर. न0.......................................दोष का प्रकार.............. एवं प्रतिशत.....................
7. पीईईओ / यूसीईईओ..ब्लॉक..
8. विद्यालय..यूडाईस कोड़..
9. आधार कार्ड नम्बर..जनआधार नं. ....
10. बैंक का नाम...
11. खाता संख्या..IFSC Code.................................

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्रा**

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्रा.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्रा को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु ₹.......................प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्रा..पुत्री श्री..विद्यालय..को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित............

शपथ–पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से स्टाईपेन्ड भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्रा**

RajKaj Ref
7546729

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ..:20:27 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Stipend for Girls (Rs. 200/ per Month for 10 Months)			
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY. (SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	492	9.840	254	5.080
2	ALWAR	520	10.400	250	5.000
3	BANSWARA	150	3.000	40	0.800
4	BARAN	176	3.520	25	0.500
5	BARMER	360	7.200	200	4.000
6	BHARATPUR	350	7.000	225	4.500
7	BHILWARA	400	8.000	200	4.000
8	BIKANER	200	4.000	100	2.000
9	BUNDI	200	4.000	200	4.000
10	CHITTAURGARH	300	6.000	200	4.000
11	CHURU	320	6.400	155	3.100
12	DAUSA	220	4.400	125	2.500
13	DHAULPUR	150	3.000	80	1.600
14	DUNGARPUR	168	3.360	78	1.560
15	GANGANAGAR	500	10.000	250	5.000
16	HANUMANGARH	379	7.580	134	2.680
17	JAIPUR	359	7.180	189	3.780
18	JAISALMER	60	1.200	35	0.700
19	JALOR	200	4.000	100	2.000
20	JHALAWAR	400	8.000	230	4.600
21	JHUNJHUNU	225	4.500	145	2.900
22	JODHPUR	200	4.000	150	3.000
23	KARAULI	15	0.300	30	0.600
24	KOTA	88	1.760	83	1.660
25	NAGAUR	415	8.300	285	5.700
26	PALI	120	2.400	100	2.000
27	PRATAPGARH	65	1.300	48	0.960
28	RAJSAMAND	200	4.000	50	1.000
29	SAWAI MADHOPUR	190	3.800	70	1.400
30	SIKAR	150	3.000	250	5.000
31	SIROHI	136	2.720	120	2.400
32	TONK	115	2.300	50	1.000
33	UDAIPUR	500	10.000	200	4.000
	Total	**8323**	**166.46**	**4651**	**93.02**

RajKaj Ref
7546729

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फोन नं: 0141-2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./Volunters/दिशा-निर्देश/2024-25/1557 दिनांक 14/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024-25)
वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण कार्य एवं प्रशिक्षण

प्रस्तावना :-

प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियो में नवाचारों को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित किये जाने का कार्य शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओ में है। शिक्षको के सामने सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों की नियमित शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना एवं कक्षा स्तर से कम अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम स्तर तक लाना एवं नवाचारों के अवसरों को प्राप्त करना है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास को बल मिल सके। इसके लिए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कुछ वैकल्पिक सुविधाओं की शुरुआत भी की गई है जैसे कि-स्माइल, आओं घर में सीखे, मिशन समर्थ, शिक्षा वाणी (रेडियो कार्यक्रम), शिक्षा दर्शन (दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम), लर्निंग बेस्ड वर्कशीट्स (हिंदी, इंग्लिश, गणित), वीडियो कालिंग, व्हाट्स एप्प ग्रुप बनाकर वीडियो लिंक साझा करना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को कॉलिंग करना, गृहकार्य देकर जाँच करना, मीना/राजू की कहानियाँ, अम्माजी कहती थी कहानी इत्यादि।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को मजबूत करने एवं सकारात्मक सहयोग करने के लिए शिक्षकों के साथ वॉलिंटियर्स के कई प्रभावी अनुभव सामने आये हैं। वॉलिंटियर सदस्य - जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ जुड़े रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक-बालिकाओ के सीखने की प्रक्रिया एवं उनके आत्मविश्वास में कमी ना आने पाये।

इस अनुभव और इसकी प्रासंगिकता से सीखते हुए समुदाय के सेवाभावी दक्ष युवा और अनुभवी बुजुर्ग व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों आदि को वॉलिंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नयी पहल शुरू की जा रही है। **वॉलिंटियर्स के रूप में उनका लाभ विद्यार्थियों के सर्वांगीण उन्नयन में लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।**

इन वॉलिंटियर्स को कैरियर, मार्गदर्शन, माता-पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी/एसडीएमसी के साथ बातचीत, बालक-बालिकाओं की गृह कार्य की छोटी-छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसे विषयो पर संवाद शुरू करने जैसे

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार, जेंडर, बाल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षित कर वॉलिंटियर्स को अधिक उपयोगी बनाया जायेगा।

वॉलिंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गये अधिक कमजोर विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय/विद्यालयों/शिक्षकों/माता–पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजदीक लायेगी और एक सकारात्मक भागदारी से आगे बढ़ने की पहल होगी।

इन सभी प्रयासों का फील्ड पर असर तभी प्रभावी हो सकता है जब इन सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन समय–समय पर सुनियोजित तरीके से हो। ग्राम स्तर पर गाँव के बहुत से शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवा अपने गांवों में नवाचारों और सुधारों को लागू करवाना चाहते है, इस हेतु उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा मंच की आवश्यकता होती है। अतः सामुदायिक वॉलिंटियर एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो **निस्वार्थ भाव** से लोगों की मदद करते हैं तथा सामाजिक समानता तथा जनहित के कार्यों में रूचि लेते है। वॉलिंटियर्स द्वारा कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, होम आइसोलेशन, कोविड–19 के बचाव हेतु दो गज दूरी की पालना करवाना, लोगों को मास्क वितरण और विद्यार्थियों की घर पर पढ़ाई–लिखाई में मदद की है तथा ऐसे अवसरों पर सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। सामुदायिक वॉलिंटियर को संगठित करने की जरूरत है जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करें और उनका मनोबल बढ़ायें जिससे विद्यार्थी अपनी नियमित शिक्षा से वंचित ना रहें। अतः वॉलिंटियर एक ऐसा वर्ग हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

वर्ष 2024–25 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 51977 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 317.0597/– लाख व 17424 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 106.2864/– लाख का प्रावधान है। 640 रू प्रति विद्यालय बजट को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाना है–

- **30 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर मॉड्यूल अपडेशन एवं केआरपी प्रशिक्षण में किया जाना है।
- **25 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा केआरपी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले केआरपी के टीए/डीए एवं आरपी प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। केआरपी एवं आरपी प्रशिक्षक का मानदेय 250 रू से कम व 400 रू से अधिक नही होना चाहिये।
- **शेष 585 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण हेतु किया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

उद्देश्य–

- गाँव/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरन्तर रखने में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना।
- विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाये रखने में अध्यापक को सहयोग करना, भेदभाव रहित शिक्षा का सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में सहयोग करना।
- **शाला प्रबंधन समिति** के सदस्यों को के साथ मिलकर गाँव/विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

वॉलिंटियर्स की भूमिका निम्नानुसार है:–

- शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।
- विद्यार्थियों का कक्षाओं से नियमित जुड़ाव बनाये रखने में सहयोग प्रदान करना।
- ड्राप–आउट दर को रोकने, नामाकंन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- समुदाय का एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करना।
- विद्यालय में बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग हेतु अध्यापक से वार्ता करना।
- विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना।

रूपरेखा –

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण –

सभी क्षेत्र से वॉलिंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका/संस्थाप्रधान/ वार्ड पंच/सरपंच/CBEOs आदि का सामुहिक उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलिंटियर्स का चिह्निकरण किया जायेगा, जिसमें साक्षर वॉलिंटियर, सेवानिवृत शिक्षक, पूर्व सैनिक, जिला/राज्य स्तरीय खिलाड़ी, GNM/ANM प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, BEd/DElEd प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, डिप्लोमाधारी व्यकित, सेवानिवृत सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किये हुये पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद्, इंजीनियर, डॉक्टर/आयुर्वेदिक डॉक्टर एवं अधिवक्ता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

वॉलिंटियर (Volunteer) कौन हो सकते हैं–

- स्थानीय निवासी अथवा जहाँ अध्ययन, रोजगार के लिये जहाँ निवास कर रहा हो वह वॉलिंटियर का कार्य करेगा।
- वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए प्रतिदिन 2–3 घंटे का समय दे सके।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST

- जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता हो।
- वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो और सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव के युवा जो समुदाय से जुड़ाव रखते हों।
- वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हो/नशा आदि न करता हो एवं जिसका स्थानीय समुदाय से जुड़ाव हो।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) के कार्य निम्न प्रकार हैं–

- विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण मिले इस हेतु वे अभिभावकों से चर्चा कर अध्यापकों तक विद्यार्थियों की समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करना।
- गॉव/समुदाय/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर विद्यार्थियों की शिक्षा नियमित रहे और विद्यार्थी बीमारियों से बचे रहे इसको लेकर एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाना।
- सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करना।
- अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना।
- विद्यार्थियों की अधिगम से सम्बन्धित समस्याओं को पहचान कर उसका शीघ्राति शीघ्र समाधान करने का प्रयास करना।
- बालक–बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यो में आ रही समस्याओं को माता–पिता, SMC/SDMC एवं शिक्षकों तक पहुँचना।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम–

- **क्षमता/कौशल के क्षेत्र में** – शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गए मॉड्यूल के आधार पर चिहित किये गए प्रेरकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- **प्रेरणा/सम्मान–** समय–समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रमो जैसे गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस/गाँधी जयंती/योग दिवस आदि के दौरान वॉलिंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
- **शालादर्पण पोर्टल पर वालंटियर्स का डेटाबेस तैयार करना–** वॉलिंटियर्स के डेटा को स्टोर करने और वॉलिंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद हेतु शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें विद्यालय में संचालित गतिविधि पर आधारित सूचको के माध्यम से डेटा दर्ज किया जायेगा।

✓ समय–समय पर वॉलिंटियर्स का डेटा संकलित/अपडेट करना।

✓ फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव की सफल एवं प्रेरक कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जायेगा।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

✓ वॉलिंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

✓ उक्त डेटा की फीडिंग पीईईओ स्तर से की जानी है।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण मॉड्यूल – वॉलिंटियर्स (Volunteers) को राज्य स्तर पर तैयार किये गये मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। इन वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय गैर–आवासीय (विद्यालय स्तर) पर प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे विद्यालयों के विकास में कुशलता से योगदान कर सकें और एक वॉलिंटियर के रूप में उनकी भूमिका पर समझ विकसित कर सकें। प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य के लिए 10 से 20 वॉलिंटियर्स को शामिल कर सकता है। इसके लिए राज्य स्तर पर वालंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। विद्यालय वॉलिंटियर्स की प्रगति पर नियमित अपडेट लेंगे, अच्छी सकारात्मक बदलाव की सफल प्रेरक कहानियों और अनुभवों की पहचान करेंगे और उन्हें पोर्टल पर रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया जायेगा।

- **मुख्य संदर्भ व्यक्ति (KRP)–** राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी ही वॉलिंटियर्स (Volunteers) के प्रशिक्षण हेतु केआरपी का कार्य कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार अन्य केआरपी का भी चिह्निकरण किया जा सकेगा।
- **ब्लॉक स्तर पर सन्दर्भ व्यक्तियों (RP) के प्रशिक्षण–** राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त ब्लॉक स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किये गये सन्दर्भ व्यक्ति ही विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित करेंगे।
- **विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण–** विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वालंटियर्स के चिह्निकरण उपरान्त वॉलिंटियर्स के लिए **एक दिवसीय प्रशिक्षण** का आयोजन **माह सितम्बर–अक्टूबर 2023 में** किया जायेगा। जिसमें सभी चिह्नित वॉलिंटियर भाग लेगें। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिये ₹ 585 रूपये का प्रावधान रखा गया है।
- **सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति–** जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी, परन्तु नियुक्त सन्दर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित सन्दर्भ व्यक्ति (RP) को नियुक्त किया जायेगा जिससे प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 संभागियों के लिए एक सन्दर्भ व्यक्ति लगाया जायेगा।

जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व–

1. टाइमलाईन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न कराना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा–निर्देश समय रहते विद्यालय स्तर तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

3. जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु CBEO को CBEO द्वारा सम्बन्धित PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशो के साथ लिमिट जारी करना।
4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन कर सुनिश्चित करना।
5. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व–

1. जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके विद्यालयवार सन्दर्भ व्यक्ति की नियुक्त करना व विद्यालयों को अनुमोदित राशि की लिमिट जारी करना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा–निर्देश की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करना।
3. प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
4. प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थित पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
5. प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त दस दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
6. जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

संस्था प्रधान के दायित्व–

1. जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना।
2. चिह्नित वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से **कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व** दिया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. प्रशिक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण कराना यथा बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
6. प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
7. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा चाय–नाश्ता, सन्दर्भ व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में **नहीं** करना है।
8. प्रशिक्षण समाप्ति के **तीन दिवस में सूचना** प्रतिवेदन मय फोटो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

व्यय प्रावधान–

वॉलिंटियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति विद्यालय प्रावधित राशि ₹ 585 है। जिसके व्यय का विभाजन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	दिवस	दर
1	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय .	1	300 ₹
2	चाय–नाश्ता	1	200 ₹
4	अन्य विविध व्यय	1	85 ₹
कुल		1	585 ₹

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रावधान 2024–25 के अनुसार जिलावार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

<u>अति महत्वपूर्ण नोट–</u> वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण का आयोजन दिसम्बर, 2024 तक सम्पन्न कर जनवरी, 2025 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / Volunters / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1557 दिनांक : 14/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

Volunteers Training

परिशिष्ट–1

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakh)

SN.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 610 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools *	Per School @ 610 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @ 610 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	1264	7.7104	613	3.7393	1877	11.4497
2	ALWAR	1966	11.9926	886	5.4046	2852	17.3972
3	BANSWARA	2806	17.1166	521	3.1781	3327	20.2947
4	BARAN	1262	7.6982	331	2.0191	1593	9.7173
5	BARMER	3908	23.8388	958	5.8438	4866	29.6826
6	BHARATPUR	1190	7.259	593	3.6173	1783	10.8763
7	BHILWARA	2276	13.8836	631	3.8491	2907	17.7327
8	BIKANER	1549	9.4489	575	3.5075	2124	12.9564
9	BUNDI	976	5.9536	291	1.7751	1267	7.7287
10	CHITTAURGARH	1389	8.4729	439	2.6779	1828	11.1508
11	CHURU	857	5.2277	592	3.6112	1449	8.8389
12	DAUSA	1145	6.9845	439	2.6779	1584	9.6624
13	DHAULPUR	837	5.1057	306	1.8666	1143	6.9723
14	DUNGARPUR	2284	13.9324	453	2.7633	2737	16.6957
15	GANGANAGAR	1441	8.7901	513	3.1293	1954	11.9194
16	HANUMANGARH	680	4.148	434	2.6474	1114	6.7954
17	JAIPUR	2671	16.2931	1121	6.8381	3792	23.1312
18	JAISALMER	1065	6.4965	252	1.5372	1317	8.0337
19	JALOR	1434	8.7474	449	2.7389	1883	11.4863
20	JHALAWAR	1353	8.2533	341	2.0801	1694	10.3334
21	JHUNJHUNU	998	6.0878	557	3.3977	1555	9.4855
22	JODHPUR	2784	16.9824	851	5.1911	3635	22.1735
23	KARAULI	1101	6.7161	357	2.1777	1458	8.8938
24	KOTA	768	4.6848	331	2.0191	1099	6.7039
25	NAGAUR	2233	13.6213	855	5.2155	3088	18.8368
26	PALI	1292	7.8812	558	3.4038	1850	11.285
27	PRATAPGARH	1462	8.9182	278	1.6958	1740	10.614
28	RAJSAMAND	1377	8.3997	363	2.2143	1740	10.614
29	SAWAI MADHOPUR	772	4.7092	334	2.0374	1106	6.7466
30	SIKAR	1336	8.1496	684	4.1724	2020	12.322
31	SIROHI	733	4.4713	278	1.6958	1011	6.1671
32	TONK	1142	6.9662	376	2.2936	1518	9.2598
33	UDAIPUR	3626	22.1186	864	5.2704	4490	27.389
Total		**51977**	**317.0597**	**17424**	**106.2864**	**69401**	**423.3461**

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715580 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2024–25 / 1601

दिनांक : 19/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु परिवहन भत्ता
(Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024–25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2024–25 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र–छात्राओं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :–** 10 माह के लिए
- **राशि :–** ₹450 /–प्रति माह

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avinal
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2024 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य सचिव
3. सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED) – सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी – सदस्य
5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय – सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र–छात्राओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र–छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2024	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2024	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2025	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र–छात्राओं को परिहवन भत्ता** (Transport Allowance) **की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र–छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशी शिक्षा की उपमद** "Transport Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र–छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

<u>विशेष बिन्दु :–</u>

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र–छात्राओं को लाभ मिल सके।**

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation: [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:16:09 IST
Reason: Approved

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र–छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी अनुभाग को भिजवाएं।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र–छात्रा के बैंक खाते में/ गंभीर दोष वाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावक तथा छात्र–छात्रा के संयुक्त खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र–छात्राओं के **बैंक खाते में** परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**
- **छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।
- विद्यालय स्तर/पीईईओ स्तर से मॉड्यूल में CwSN विद्यार्थियों की मदवार/भत्तेवार एन्ट्री की जायेगी

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।

RajKaj Ref
7529380

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➤ **<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-</u>**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ 1601
दिनांक : 19/6/2024

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 20:16:09 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा..लिंग......................
2. पिता का नाम...मोबाइल......................
3. जन्म तिथि.......................................कक्षा..
4. स्थानीय पूर्ण पता...
5. एस.आर. न0.......................................दोष का प्रकार एवं प्रतिशत............................
6. पीईईओ/यूसीईईओ...ब्लॉक.....................................
7. विद्यालय...डाईस कोड...
8. आधार कार्ड नम्बर...
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा..जनआधार नं.........................
10. बैंक का नाम...IFSC Code...................................
11. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम...
13. क्या छात्र/छात्रा घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है
....
....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा.. उक्त विद्यालय की कक्षा........................में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹..........................प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र–छात्राओं.. पुत्र/पुत्री श्री..विद्यालय..को परिवहन भत्ता ₹........................ प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित..........

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avinal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Transport Allowance (Rs. 450/ per Month for 10 Months)			
		PHY (ELE)	FIN (in Lakh)	PHY (SEC)	FIN (in Lakh)
1	AJMER	1266	56.970	493	22.185
2	ALWAR	1250	56.250	650	29.250
3	BANSWARA	480	21.600	180	8.100
4	BARAN	398	17.910	160	7.200
5	BARMER	850	38.250	350	15.750
6	BHARATPUR	600	27.000	400	18.000
7	BHILWARA	950	42.750	400	18.000
8	BIKANER	410	18.450	220	9.900
9	BUNDI	400	18.000	200	9.000
10	CHITTAURGARH	550	24.750	200	9.000
11	CHURU	640	28.800	230	10.350
12	DAUSA	525	23.625	270	12.150
13	DHAULPUR	400	18.000	130	5.850
14	DUNGARPUR	283	12.735	104	4.680
15	GANGANAGAR	1205	54.225	550	24.750
16	HANUMANGARH	897	40.365	312	14.040
17	JAIPUR	837	37.665	375	16.875
18	JAISALMER	180	8.100	70	3.150
19	JALOR	350	15.750	250	11.250
20	JHALAWAR	900	40.500	380	17.100
21	JHUNJHUNU	550	24.750	150	6.750
22	JODHPUR	500	22.500	250	11.250
23	KARAULI	250	11.250	250	11.250
24	KOTA	385	17.325	99	4.455
25	NAGAUR	945	42.525	650	29.250
26	PALI	450	20.250	250	11.250
27	PRATAPGARH	165	7.425	76	3.420
28	RAJSAMAND	575	25.875	250	11.250
29	SAWAI MADHOPUR	500	22.500	150	6.750
30	SIKAR	450	20.250	320	14.400
31	SIROHI	350	15.750	280	12.600
32	TONK	290	13.050	125	5.625
33	UDAIPUR	850	38.250	410	18.450
	Total	**19631**	**883.40**	**9184**	**413.28**

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं. 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1602

दिनांक : 19/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्द्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024–25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को **विद्यालय आवागमन हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है**। सत्र 2024–25 में एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है :–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र–छात्राऐं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ है अर्थात इन्हे घर से विद्यालय व विद्यालय से घर तक इनके अभिभावकों द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता देय होगा।
- **अवधि :–10 माह के लिए**
- **राशि :– ₹400/–प्रति माह**

RajKaj Ref
7528226

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST
Reason: Approved

- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह **जुलाई, 2024 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।**
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव
3.	सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र–छात्राओं का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र–छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ लिमिट जारी करनी होगी, जिससे छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें संबंधित को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2024	**जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)**
अक्टूबर, 2024	**अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)**
जनवरी, 2025	**जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)**

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र–छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता** (Escort Allowance) **की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र–छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशी शिक्षा की उपमद** "Escort Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र–छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

<u>**विशेष बिन्दु :–**</u>

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र–छात्राओं को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र–छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव

RajKaj Ref
7528226

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.1[illegible] [illegible]0:18:54 IST
Reason: Approved

नही हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।

- एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्र-छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र-छात्राओं के **बैंक खाते में** एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- एस्कॉर्ट भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CwSN छात्र-छात्राओं को देय एस्कॉर्ट भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। भत्तों हेतु पात्र बच्चों के आवेदन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।**
- **पात्र छात्र-छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**
- **छात्र-छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले एस्कॉर्ट भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह अवलोकन किया जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तारित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।
- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➤ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
7528226

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ 1602
दिनांक : 19/6/2024

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7528226

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा..लिंग..................
2. पिता का नाम..मोबाइल..................
3. जन्म तिथि..........................कक्षा..................
4. स्थानीय पूर्ण पता..
5. एस.आर. न0..........................दोष का प्रकार एवं प्रतिशत..................
6. पीईईओ/यूसीईईओ..........................ब्लॉक..................
7. विद्यालय..........................डाईस कोड..................
8. आधार कार्ड नम्बर..
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा..........................जनआधार नं..................
10. बैंक का नाम..........................IFSC Code..................
11. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र छात्र–छात्राओं के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो छात्र–छात्राओं का नाम..........................
13. क्या छात्र–छात्राओं घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है
....
....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा.......................... उक्त विद्यालय की कक्षा..................में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹..................प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा ....
पुत्र/पुत्री श्री..........................
..........................विद्यालय..........................
को एस्कॉर्ट भत्ता ₹.................. प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित..........

शपथ–पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से एस्कॉर्ट भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

RajKaj Ref
7528226

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Escort Allowance (Rs. 400/ per Month for 10 Months)			
		PHY (ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY. (SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	275	11.000	183	7.320
2	ALWAR	900	36.000	425	17.000
3	BANSWARA	300	12.000	110	4.400
4	BARAN	295	11.800	30	1.200
5	BARMER	130	5.200	100	4.000
6	BHARATPUR	200	8.000	150	6.000
7	BHILWARA	200	8.000	200	8.000
8	BIKANER	200	8.000	140	5.600
9	BUNDI	200	8.000	200	8.000
10	CHITTAURGARH	200	8.000	200	8.000
11	CHURU	140	5.600	110	4.400
12	DAUSA	100	4.000	80	3.200
13	DHAULPUR	130	5.200	90	3.600
14	DUNGARPUR	80	3.200	50	2.000
15	GANGANAGAR	770	30.800	400	16.000
16	HANUMANGARH	846	33.840	270	10.800
17	JAIPUR	780	31.200	310	12.400
18	JAISALMER	180	7.200	70	2.800
19	JALOR	250	10.000	120	4.800
20	JHALAWAR	138	5.520	140	5.600
21	JHUNJHUNU	150	6.000	80	3.200
22	JODHPUR	500	20.000	250	10.000
23	KARAULI	200	8.000	200	8.000
24	KOTA	154	6.160	55	2.200
25	NAGAUR	254	10.160	140	5.600
26	PALI	200	8.000	150	6.000
27	PRATAPGARH	71	2.840	43	1.720
28	RAJSAMAND	250	10.000	80	3.200
29	SAWAI MADHOPUR	300	12.000	80	3.200
30	SIKAR	400	16.000	250	10.000
31	SIROHI	210	8.400	150	6.000
32	TONK	140	5.600	120	4.800
33	UDAIPUR	775	31.000	350	14.000
	Total	9918	396.72	5326	213.04

RajKaj Ref
7528226

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:18:54 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
email : cmsmsa2018@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फोन नं: 0141–2709114
फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / समु.जागृ.दि. / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1459 दिनांक : 10/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
समुदाय जागृति दिवस

प्रस्तावना :–

राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन का दायित्व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक की अध्यक्षता में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) को प्रदान किया गया है। विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकें अनिवार्य हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह बैठकें प्रत्येक माह **अमावस्या के दिन शिविरा अनुसार** आयोजित की जानी हैं। एसएमसी / एसडीएमसी की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2024-25 में SMC/SDMC की माह अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में **3 बैठकें** निर्धारित दिन को आयोजित कर, SMC/SDMC बैठक के पश्चात / पूर्व **"समुदाय जागृति दिवस"** के रूप में मनाया जाना है। इस समुदाय जागृति दिवस हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में 51977 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹ 155.931/- लाख एवं 17424 उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु ₹ 52.272/- लाख राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही अमावस्या के दिन **गतिविधियों एवं अध्यापक–अभिभावक संघ** की बैठक का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस निम्न विषयों पर आधारित होंगे :– **बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तीकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड–डे–मील, ठहराव व उपस्थिति, बालिका शिक्षा, जनसहयोग आदि।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.09 ...

अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है, अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक जागृति दिवस का आयोजन यथा समय किया जाये।

सामुदायिक जागृति दिवस पर आयोजित गतिविधियों में अपने बच्चों को भाग लेते हुए देखने हेतु अभिभावक विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे, साथ ही अध्यापक–अभिभावक बैठक में अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समुदाय जागृति दिवस में नियमित कक्षा कार्य करने एवं नियमित उपस्थिति वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिया जायेगा। इन सब गतिविधियों से अभिभावकों की विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी तथा बच्चों के विद्यालय मे ठहराव भी बढ़ेगा।

1. <u>समुदाय जागृति दिवस के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम :–</u>

1.1 समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम निर्धारित दिन के अंतिम चार कालांशों में आयोजित किये जायेंगे।

1.2 **प्रथम दो कालांश–** माता–पिता/अभिभावकों एवं एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की उपस्थिति में **बच्चों के लिए गतिविधियाँ** आयोजित की जायेगी। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, भाषण, वाद विवाद, नृत्य, निबन्ध लेखन, श्रुतिलेखन, पत्र वाचन, चित्रकला प्रतियोगिता, पेन्टिग प्रतियोगिता, नैतिक प्रवचन आदि का आयोजन किया जायेगा। (जो निम्न विषयों से सम्बन्धित होंगे :– बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, मिड–डे–मील, नामांकन–ठहराव, जनसहयोग, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन आदि) विषयों पर चर्चा की जायेगी। इसके अलावा विद्यार्थी हित एवं रूचि के अनुसार अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जा सकती हैं।

1.3 **अंतिम दो कालांश–** एसएमसी की कार्यकारिणी समिति/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी, साथ ही अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित की जायेगी जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे।

2. समुदाय जागृति दिवस पर आयोजित की जाने वाली कार्यकारिणी समिति एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :–

2.1 एसएमसी/एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा।

RajKaj Ref
7526047

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

2.2 विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले 3–14 आयु वर्ग के अनामांकित एवं ड्राप आउट बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश की कार्ययोजना (माइक्रो प्लान) बनाना।

2.3 विद्यालय में पढ़ रहे बालक–बालिकाओं के शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना :–

- ✓ 10 बच्चों द्वारा पठन–लेखन (Reading, writing) कौशल का एसएमसी / एसडीएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण।
- ✓ कक्षा कार्य, गृह कार्य की समीक्षा।

2.4 एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाना, साफ–सफाई, सौन्दर्यकरण आदि कार्यों में किये गये सहयोग पर चर्चा।

2.5 विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना व उसके क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करना।

2.6 विद्यालय विकास में जनसहयोग की प्राप्ति एवं उसके उपयोग पर चर्चा।

2.7 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों पर चर्चा।

2.8 मिड–डे–मील पर चर्चा।

2.9 <u>आपदा प्रबंधन</u> :–

<u>विद्यालयी दुर्घटनाओं के कतिपय उदाहरण–</u>

- वर्ष 2004 में तमिलनाडू में कुंभकोणम में लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में दोपहर का भोजन बनाने के दौरान लगी आग से लगभग 94 विद्यार्थियों की दर्दनाक मृत्यु हुई।
- वर्ष 2004 में आये सुनामी में हजारों की संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षकों को अपनी जान गवानी पड़ी।
- वर्ष 2001 में गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प में 971 विद्यार्थियों और 31 शिक्षकों की अकाल मृत्यु हुई, 1051 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 11761 विद्यालय भवन क्षतिगस्त हुये।

- वर्ष 1995 में हरियाणा के डबवाली में वार्षिक समारोह के दौरान लगी आग में 425 से अधिक लोगों की जाने गई जिनमें 200 से अधिक विद्यार्थी शामिल थे।
- उपर्युक्त आपदाओं के बारे में चर्चा एवं इनसे बचने के बारे में विमर्श करने से हमें ये सीख मिलेगी कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिये विद्यालय स्तर पर सुरक्षा के उपाय किये जाने की परम आवश्यकता है एवं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा–प्रबंधन की बुनियादी बातों की जानकारी होना आवश्यक हैं।

आपदा प्रबंधन पर समुदाय को शिक्षित करने का सबसे अधिक सशक्त माध्यम विद्यार्थियों को आपदाओं के प्रति शिक्षित करना है। इनके माध्यम से अभिभावक और अन्ततः समाज शिक्षित होता है।

समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यार्थियों को भूकम्प, आग, बाढ़, बीमारियों, जैसे महामारी, सड़क सुरक्षा के नियमो पर छोटे–छोटे बचाव के टिप्स दिये जायें। साथ ही इसी दिन अभिभावकों के साथ विभिन्न आपदाओं एवं इनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम जैसे : नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पैन्टिग, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों एवं शिक्षकों विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

2.10 स्वच्छता :–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी बालिका सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई बीच में ना छोड़े। जल सफाई, हाथ धोने, शौचालय की साफ सफाई, स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहारगत परिर्वतन हेतु वांछित जानकारियाँ समुदाय जागृति दिवस के दिन अभिभावक एवं बच्चों को सम्प्रेषित की जानी चाहिए। स्वच्छता सम्बन्धी रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, गीत, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय में नर्स (एएनएम) को आमंत्रित कर किशोरी बालिकाओं को माहवारी सम्बन्धी स्वच्छता की जानकारी दिलवायी जानी चाहिए। साथ ही सामुदायिक जागृति दिवस के दिन विद्यालय की साफ–सफाई पर चर्चा हो तथा

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में कार्ययोजना बनाई जाए।

3. <u>वित्तीय एवं व्यय प्रावधान</u> :–

3.1 प्रति समुदाय जागृति दिवस ₹ 100/- व्यय का प्रावधान किया गया है अर्थात तीन बार आयोजित समुदाय जागृति दिवस के लिए प्रति विद्यालय कुल ₹ 300/- का प्रावधान किया गया है।

3.2 जिला कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित बजट राशि सीधे PEEO को लिमिट जारी की जायेगी।

3.3 प्रति समुदाय जागृति दिवस राशि ₹ 100/- का व्यय PEEO द्वारा SNA से संबंधित को भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा।

3.4 ₹ 100/- का उपयोग बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने के लिए किया जायेगा।

1. प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस को विद्यालय में सबसे ज्यादा नियमित आने वाले पाँच बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।
2. पुरस्कृत किये जाने वाले बच्चों का रिकार्ड विद्यालय में रखा जायेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाने वाला पुरस्कार ₹ 20/- से कम का नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विद्यालय SMC/SDMC द्वारा क्रय किये जायेंगे।

तीन समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम हेतु निर्धारित कलैण्डर

क्र.सं.	माह	कार्यक्रम का आयोजन
1	अगस्त	प्रत्येक माह की अमावस्या
2	सितम्बर	प्रत्येक माह की अमावस्या
3	दिसम्बर	प्रत्येक माह की अमावस्या

3.5 **अपरिहार्य कारणों एवं अवकाश होने की स्थिति में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकें तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।** समुदाय जागृति दिवस के दौरान आयोजित की जाने वाली एसएमसी/एसडीएमसी बैठक का रिकार्ड विद्यालय में अवलोकन के लिए

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

सुरक्षित रखा जाए। समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम आयोजन पश्चात् प्रतिवेदन एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना परिषद् को उपलब्ध करानी है।

3.6 भामाशाह एवं समुदाय से जनसहयोग प्राप्त कर यथा संभव इस गतिविधि को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

नोटः—समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर, 2024 तक सम्पन्न किया जाकर व्यय राशि की प्रविष्टि प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस के माह में ही प्रबन्ध पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

4. लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अविचल चतुर्वेदी)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./समु.जागृ.दि./दिशा–निर्देश/2024–25/1459 दिनांक : 10/6/2024
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

परिशिष्ट–1

Community awareness day

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 300 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools*	Per School @ 300 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @ 300 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	1264	3.792	613	1.839	1877	5.631
2	ALWAR	1966	5.898	886	2.658	2852	8.556
3	BANSWARA	2806	8.418	521	1.563	3327	9.981
4	BARAN	1262	3.786	331	0.993	1593	4.779
5	BARMER	3908	11.724	958	2.874	4866	14.598
6	BHARATPUR	1190	3.57	593	1.779	1783	5.349
7	BHILWARA	2276	6.828	631	1.893	2907	8.721
8	BIKANER	1549	4.647	575	1.725	2124	6.372
9	BUNDI	976	2.928	291	0.873	1267	3.801
10	CHITTAURGARH	1389	4.167	439	1.317	1828	5.484
11	CHURU	857	2.571	592	1.776	1449	4.347
12	DAUSA	1145	3.435	439	1.317	1584	4.752
13	DHAULPUR	837	2.511	306	0.918	1143	3.429
14	DUNGARPUR	2284	6.852	453	1.359	2737	8.211
15	GANGANAGAR	1441	4.323	513	1.539	1954	5.862
16	HANUMANGARH	680	2.04	434	1.302	1114	3.342
17	JAIPUR	2671	8.013	1121	3.363	3792	11.376
18	JAISALMER	1065	3.195	252	0.756	1317	3.951
19	JALOR	1434	4.302	449	1.347	1883	5.649
20	JHALAWAR	1353	4.059	341	1.023	1694	5.082
21	JHUNJHUNU	998	2.994	557	1.671	1555	4.665
22	JODHPUR	2784	8.352	851	2.553	3635	10.905
23	KARAULI	1101	3.303	357	1.071	1458	4.374
24	KOTA	768	2.304	331	0.993	1099	3.297
25	NAGAUR	2233	6.699	855	2.565	3088	9.264
26	PALI	1292	3.876	558	1.674	1850	5.55
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1462	4.386	278	0.834	1740	5.22
28	RAJSAMAND	1377	4.131	363	1.089	1740	5.22
29	SAWAI MADHOPUR	772	2.316	334	1.002	1106	3.318
30	SIKAR	1336	4.008	684	2.052	2020	6.06
31	SIROHI	733	2.199	278	0.834	1011	3.033
32	TONK	1142	3.426	376	1.128	1518	4.554
33	UDAIPUR	3626	10.878	864	2.592	4490	13.47
Total		**51977**	**155.931**	**17424**	**52.272**	**69401**	**208.203**

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

सामुदायिक गतिशीलता
समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम सूचना प्रपत्र

जिला–

क्र. स.	प्रथम समुदाय जागृति दिवस				द्वितीय समुदाय जागृति दिवस				तृतीय समुदाय जागृति दिवस				योग
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1													
2													

RajKaj Ref
7526047

Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 12:43:25 IST

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जव/आईईडी/2024-25/1377 दिनांक : 5/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु संदर्भ कक्ष संचालन, सहायक सामग्री, उपकरण एवं टीएलएम

(Assistive Devices, Equipments and TLM)

प्रस्तावना :–

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) को आवश्यक शैक्षणिक एवं थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करने एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक सन्दर्भ कक्ष विकसित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत संदर्भ व्यक्तियों (CwSN) द्वारा इन संदर्भ कक्षों पर विभिन्न दोषों से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक संबलन प्रदान किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकायें संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों की सहायता से थैरेपिटिक संबलन भी प्राप्त करते है। राज्य के सभी 358 ब्लॉक्स पर एक–एक संदर्भ कक्ष का प्रावधान है। उक्त गतिविधि NEP 2020 के Group-2, Reference Para No. 6.10 & 6.11 & Tracker-184 से संबंधित है।

उद्देश्य :–

- संदर्भ कक्ष पर विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की स्क्रीनिंग, असेसमेन्ट एवं संबलन प्रदान करना।
- असेसमैन्ट कैम्प में चिकित्सक/विशेषज्ञों की अनुशंषा अनुसार चयनित छात्र–छात्राओं को सन्दर्भ कक्ष में प्राथमिकता के आधार पर बुलाकर सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को संदर्भ कक्ष पर आवश्यक शैक्षिक/थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की विविध आवश्यकताओं के प्रति बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनके अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन करना।

संदर्भ व्यक्ति (CwSN) का दायित्व :–

- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) द्वारा ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण कर उनका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चत करने हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त संस्थाप्रधानो से समन्वय स्थापित कर समस्त नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की **UDISE+** एवं **PRABANDH Portal** पर शत–प्रतिशत प्रविष्टि हेतु कार्य करना।

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation: Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण, नामांकन एवं UDISE+ डेटा फीडिंग एवं **PRABANDH Portal** पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण करना।
- असेसमेन्ट कैम्प के दौरान विशेषज्ञों के सहयोग से छात्र–छात्राओं हेतु Therapy/ Intervention Programme का निर्धारण।
- संदर्भ कक्ष में छात्र–छात्राओं के संबलन हेतु मासिक कलेण्डर तैयार करना।
- सन्दर्भ कक्ष में छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक एवं थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करना।
- सन्दर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का सही रख–रखाव एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बुलाये जा रहे प्रत्येक छात्र–छात्राओं की पृथक–पृथक दस्तावेज (File) तैयार कर पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करना।
- समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग करना।

<u>संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की साप्ताहिक कार्ययोजना :–</u>

संदर्भ व्यक्ति (CwSN)	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार	मंगलवार, गुरूवार, शनिवार
संदर्भ व्यक्ति (CwSN)-I	विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने एवं CwSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CwSN को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन एवं **होमबेस्ड एज्यूकेशन CwSN को संबलन** प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PRABANDH portal पर CwSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।
संदर्भ व्यक्ति (CwSN)-II	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CwSN को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन एवं **होमबेस्ड एज्यूकेशन CwSN को संबलन** प्रदान करना। साथ ही UDISE+/ PRABANDH portal पर CwSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।	विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने एवं CwSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का दायित्व :–

- संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) से अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- संदर्भ कक्ष का समय पर खुलना, संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की निर्धारित दिवस में उपलब्धता एवं सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी उपयोग हेतु कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा की गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता होने पर संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को विद्यालय में पदस्थापित विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी)/सामान्य शिक्षक अथवा अन्य कार्मिक का सहयोग उपलब्ध करवाना।

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की मासिक उपस्थिति प्रमाणित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपस्थिति हेतु संदर्भ कक्ष में अलग से उपस्थिति पंजिका संधारित की जायेगी।
- संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के यात्रा व्यय का भुगतान का प्रमाणीकरण करना।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी उपकरणों के रख–रखाव एवं क्रियाशीलता को सुनिश्चित करना।
- **किसी भी स्थिति में संदर्भ कक्ष विद्यालय में कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को विद्यालय के अन्य प्रभार अथवा अन्य कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।**

सीबीईओ का दायित्व :–

- संदर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के संस्थाप्रधान से संदर्भ कक्ष संचालन की अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- प्रत्येक माह में कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन कर मासिक कार्ययोजना क्रियान्विति को सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण, उनका विद्यालयों में नामांकन एवं **UDISE+ व PRABANDH Portal** पर शत–प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के संबलन चिह्नीकरण, नामांकन, असेसमेन्ट कैम्प में उपस्थिति, पेरेन्ट्स काउसंलिंग एवं समावेशी शिक्षा की अन्य गतिविधियों में संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को सहयोग करने हेतु आदेशित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त CwSN को शैक्षिक संबलन प्रदान करने हेतु संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ को निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर आयोज्य समीक्षा बैठक में समावेशी शिक्षा की प्रगति पर चर्चा करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा प्रेषित संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपस्थिति, विजिट रिपोर्ट इत्यादि को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) के प्रस्तावित एवं वास्तविक यात्रा कार्यक्रम की प्रतियाँ रखना।

पीईईओ/यूसीईईओ का दायित्व :–

- संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के समस्त विशेष आवश्यकता बालक–बालिकाओं का चिह्नीकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CwSN का UDISE+ एवं PRABANDH Portal पर Entry की सुनिश्चित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CwSN का UDISE+ एवं PRABANDH Portal पर Entry एवं अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक संबलन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना।

RajKaj Ref
7589926

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 ..:22:47 IST
Reason: Approved

- संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को उक्त कार्य के संपादन में संदर्भ व्यक्ति (CwSN) का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर समन्वय के साथ कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु समय-समय पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन में भी विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को कार्यालय, समग्र शिक्षा, ब्लॉक/जिला के आदेशानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- विशेष आवश्यकता छात्र-छात्राओ को संदर्भ कक्ष संचलन हेतु भेजने की जिम्मेदारी पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान की रहेगी।

वित्तीय प्रावधान:-

- संदर्भ कक्ष पर आने वाले प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्रा एवं अभिभावक (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के) को न्यूनतम वास्तविक किराए का भुगतान संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की अनुशंषा पर एवं परिषद् कार्यालय के पत्र कमांक-राস্কৃशिप/जय/आईईडी/2023-24/8038 दिनांक 02.01.2024 के कम में संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान को₹ 16,000/- समावेशी शिक्षा के **"Assistive Devices, Equipments and TLM"** **में से** जारी करेंगे।
- **सत्र में अधिकतम ₹ 16,000/-की राशि निम्नानुसार व्यय की जा सकेगी :-**

क्र.सं.	कार्य	राशि
1	संदर्भ कक्ष पर आने वाले CwSN का वास्तविक किराया	₹12000
2	संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य, संदर्भ कक्ष रंग रोगन, शिक्षण सहायक सामग्री, स्टेशनरी इत्यादि।	₹4000
	योग	₹16000

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC से संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र **दिसम्बर एवं मार्च माह** में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी न करने पर SMC/SDMC के सचिव व संदर्भ व्यक्ति (CwSN) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को जारी राशि एवं व्यय संबंधित समस्त रिकॉर्ड की जाँच समय-समय की जायेगी। व्यय की गई राशि के उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :-

- **संदर्भ कक्ष का समय शिविरा पंचागानुसार रहेगा।**
- संदर्भ कक्ष का प्रभारी संदर्भ कक्ष विद्यालय का संस्था प्रधान होगा तथा सहप्रभारी संदर्भ व्यक्ति (CwSN) होगा।
- संदर्भ कक्ष में संदर्भ कक्ष के उपकरणों के अलावा विद्यालय की अन्य कोई सामग्री यथा- पाठ्यपुस्तकें, वर्कबुक्स, मिड डे मील का सामान आदि नहीं रखा जायेगा। संदर्भ कक्ष को विद्यालय

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation: Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 18:22:47 IST
Reason: Approved

के सामान्य बच्चों के अध्ययन कक्ष अथवा संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/किसी अन्य कार्मिक द्वारा आवास के रूप में उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी सामग्री/उपकरणों को प्रदर्शन बोर्ड पर अंकित किया जाये।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक सामग्री/उपकरण की क्रियाशीलता एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। कोई भी सामग्री/उपकरण अक्रियाशील, अनुपयोगी अथवा डिब्बा बंद अवस्था में न रखा जाये। ऐसा पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रत्येक संदर्भ कक्ष में 4x6 के ब्लैक बोर्ड पर स्थायी कलर से संदर्भ कक्ष के खुलने का समय, उपलब्ध सुविधायें एवं अन्य जानकारी अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- संदर्भ कक्ष हवादार, रोशनीयुक्त व बड़े आकार का हो, जिसमें आवश्यक रूप से बिजली, पानी, रैम्प विद हैण्डरेल की व्यवस्था हो।
- संदर्भ कक्ष वाले विद्यालयों में विशेष शौचालय (**Disable Friendly Toilet**) की सुविधा सुनिश्चित की जाये। **(इस कार्य हेतु जनसहयोग/भामाशाह से सहयोग प्राप्त कर DFT की सुविधा बालक–बालिकाओं को उपलब्ध करायी जाये।)**
- संदर्भ कक्ष पर प्रत्येक दिवस दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार बालक–बालिकाओं को बुलाया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपलब्धता के आधार पर कार्यभार का आंवटन किया जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रति दिवस कम से कम दस बालक–बालिकाओं को संबलन प्रदान किया जाये।
- **संदर्भ कक्ष रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर :–** प्रत्येक संदर्भ कक्ष पर निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारित किया जाकर जिले के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर इनकी जाँच की जाये :–
    1. **CwSN रिकॉर्ड रजिस्टर :–** ब्लॉक के सभी चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण।
    2. **स्टॉक रजिस्टर :–**संदर्भ कक्ष को उपलब्ध करवायी गई समस्त सामग्री/उपकरणों का मूल बिल से मिलान करते हुए भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना।
    3. **आगंतुक रजिस्टर :–**संदर्भ कक्ष की विजिट के दौरान विभिन्न अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की टिप्पणी अंकित करवाते हुए तदनुसार फोलोअप कार्यवाही सुनिश्चित करना।
    4. **संबलन रजिस्टर :–** संदर्भ कक्ष में आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका का दिनांक वार संपूर्ण विवरण एवं इन्हें संदर्भित दिनांक मे दिये गये संबलन का ब्यौरा निम्न प्रारूप में रखा जायेगा।

संबलन रजिस्टर का प्रारूप

क्र. स.	नाम बालक–बालिका	उम्र	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	दिनांक	प्रदत्त संबलन/प्रशिक्षण का विवरण	संबलन की आगामी तिथि	हस्ताक्षर संदर्भ शिक्षक

5. **व्यक्तिगत फाईल :–** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका की व्यक्तिगत फाईल में निम्न सूचनाएं संधारित की जायेगी।

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

- केस हिस्ट्री
- मूल्यांकन प्रपत्र
- Individual Education Plan (IEP)
- फीजियो थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- स्पीच थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- व्यवहार मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रपत्र

6. **यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर :–** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले बालक–बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को प्रदान की जानी वाली यात्रा व्यय राशि की उपलब्धता तथा वितरण का लेखा–जोखा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।

यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर

माह.................

क्र. स.	नाम बालक–बालिका / अभिभावक	विद्यालय का नाम	संदर्भ कक्ष से विद्यालय / घर की दूरी	भुगतान किए गए किराए की राशि	हस्ताक्षर बालक / अभिभावक

माह में कुल प्राप्त राशि .... वितरित राशि.................... शेष राशि....................

- **संदर्भ कक्ष पर निम्न सूचनात्मक चार्ट आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :–**

–: संदर्भ कक्ष सामग्री उपयोग विवरण :–

क्र.स.	सामग्री का नाम	गत माह तक उपयोग करने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या	इस माह में उपयोग करने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या	कुल योग
1	ट्रेड मिल			
2	हैण्डजिम किट बोर्ड			
3	एक्टीवेटर			
4	पैरेलल वाकिंग बार			
5	वॉकर			
6	व्हील चेयर			
7	ट्राईसाईकिल			
8	ग्रुप हीयरिंग ऐड			
9	पोश्चर ट्रेनिंग मिरर			
10	ब्रेलकिट			
11	फीजियो बॉल			
12	ब्रेलर			
	अन्य			
1				
2				

- **होमबेस्ड एज्यूकेशन अन्तर्गत CwSN की सूचना**

नाम संदर्भ व्यक्ति (CwSN)....................................

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

क्र.स.	नाम बालक–बालिका	PEEO/UCEEO क्षेत्र	उम्र	दोष का प्रकार	घर का पता एवं मोबाइल नं.
1					
2					
3					
4					

नोट :– प्रत्येक संदर्भ व्यक्ति (CwSN) हेतु पृथक–पृथक संधारित किया जाये।

मॉनीटरिंगः–

- सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु जिला परियोजना समन्वयक/जिले के अन्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम **एक बार** तथा सीबीईओ द्वारा कम से कम **दो बार** तथा जिला समन्वयक (समावेशी शिक्षा) द्वारा सप्ताह में दो संदर्भ कक्षों का **अवलोकन** अनिवार्यतः किया जायेगा। आगन्तुक अधिकारियों द्वारा डायरी/रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। अवलोकन प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रारूप में संधारित होगा :–

  संदर्भ कक्ष का नाम ____________________

क्र.सं	अवलोकनकर्ता का नाम व पद	अवलोकन दिनांक	अवलोकन का संक्षिप्त विवरण	गत अवलोकन के सुझावों की क्रियान्विति।

- संदर्भ कक्षों द्वारा अधिक से अधिक बालक–बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा इनका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त प्रकार के प्रशिक्षणो, कार्यशालाओं में संदर्भ कक्षों की जानकारी सभी संभागियो को प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये।
- **पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ द्वारा प्रत्येक माह मे संदर्भ कक्ष के उपयोग एवं बालक–बालिकाओं की संख्या की सूचना माह की 5 तारीख तक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भिजवाया जाये तथा जिला परियोजना समन्वयक जिले का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।**

  संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय की प्रविष्टि *PRABANDH Portal* पर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चत करें।

प्रभावों का आंकलन :– वर्ष पर्यन्त संदर्भ कक्षों के संचालन उपरान्त विशेष आवश्यकता वाले छात्रा–छात्राओं की उपलब्धियों एवं सकारात्मक प्रभावों का आंकलन विद्यालय स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

RajKaj Ref 7589926

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जिले के विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु संदर्भ कक्षों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र की पहुँच संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ एवं संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के संस्थाप्रधान तक भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/1377 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
स्थापित 18 मई, 1979

RajKaj Ref
7589926

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 18:22:47 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Assistive Devices, Equipments and TLM (Rs.16,000 Per Block)	
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	11	1.760
2	ALWAR	16	2.560
3	BANSWARA	11	1.760
4	BARAN	8	1.280
5	BARMER	21	3.360
6	BHARATPUR	12	1.920
7	BHILWARA	14	2.240
8	BIKANER	9	1.440
9	BUNDI	5	0.800
10	CHITTAURGARH	11	1.760
11	CHURU	7	1.120
12	DAUSA	11	1.760
13	DHAULPUR	6	0.960
14	DUNGARPUR	10	1.600
15	GANGANAGAR	9	1.440
16	HANUMANGARH	7	1.120
17	JAIPUR	26	4.160
18	JAISALMER	7	1.120
19	JALOR	10	1.600
20	JHALAWAR	8	1.280
21	JHUNJHUNU	11	1.760
22	JODHPUR	22	3.520
23	KARAULI	8	1.280
24	KOTA	6	0.960
25	NAGAUR	15	2.400
26	PALI	10	1.600
27	PRATAPGARH	8	1.280
28	RAJSAMAND	8	1.280
29	SAWAI MADHOPUR	7	1.120
30	SIKAR	12	1.920
31	SIROHI	5	0.800
32	TONK	7	1.120
33	UDAIPUR	20	3.200
	Total	358	57.280

RajKaj Ref 7589926

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:22:47 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706068

rajssa.training@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / प्रशिक्षण / F-24-01798/2023–24 / 1330

दिनांक : 3/6/24

प्रशिक्षण दिशा–निर्देश 2024–25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समग्र शिक्षा के अधिकारियों, संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के निरंतर क्षमता संवर्द्धन की अभिशंषा की गई है। वार्षिक कार्ययोजना 2024.25 में संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अनुमोदित है। वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 में अनुमोदित प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु विवरण सहित विस्तृत दिशा.निर्देश निम्नानुसार है–

1. प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा/स्टार्स)
1.	प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण (FLN प्रशिक्षण कक्षा 1–5)							
1.1	एसआरजी प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति जिला – 6 33X6 = 198	राज्य स्तर ADPC, सवाई माधोपुर	3 दिवस आवासीय	10–12 जुलाई, 2024	टेबल संख्या–1 के अनुसार	स्टार्स SIG कम्पोनेंट–01 : Capacity building of L-1 Teacher 1.3.3- Training of SRG 1.3.4- Training of KRP 1.3.1- Training of L-1 grade (class 1- 5) all teachers *एक दिवस की गणना करते हुए व्यय किया जाए।
1.2	MT/KRP प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति ब्लॉक 8 359X8 = 2872	जिला स्तर	3 दिवस आवासीय	22–24 जुलाई 2024	टेबल संख्या–1 के अनुसार	
1.3	शिक्षक प्रशिक्षण	500 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षक (परिशिष्ट–अ)	ब्लॉक स्तर	3 दिवस गैर–आवासीय	• 29 जुलाई से 20 अगस्त तक में प्रस्तावित)	टेबल संख्या–2 के अनुसार	

RajKaj Ref 7661334

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा / स्टार्स)
2.	**कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण**							
2.1	एसआरजी प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति जिला 6 33x6=198	राज्य स्तर ADPC, भीलवाड़ा	3 दिवस आवासीय	21 से 23 अगस्त 2024 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Teachers Class VI to VII . (Government Schools) HMs
2.2	MT/KRP प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति ब्लॉक 6 359x6 = 2154	जिला स्तर	3 दिवस आवासीय	18 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2024 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	
2.3	विज्ञान एवं गणित शिक्षक प्रशिक्षण (कक्षा 6 से 10)	500 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–ब)	ब्लॉक स्तर	3 दिवस गैर–आवासीय	25 से 27 सितम्बर 2024 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–2 के अनुसार	
3	**राजकीय विद्यालय में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष (Librarian) के प्रशिक्षण**							
3.1	एसआरजी	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति जिला 2 33x2=66	राज्य स्तर ADPC, टोंक	2 दिवस आवासीय	24 जून से 26 जून, 2024 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Librarian
3.2	पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	जिले में कार्यरत लाइब्रेरियन संलग्न-1	जिला स्तर	2 दिवस आवासीय	29 से 31 जून, 2024 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–4 के अनुसार	
4	**पीईईओ एवं यूसीईईओ आमुखीकरण**							
4.1	एसआरजी प्रशिक्षण	2000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति जिला 2 33x2=66	राज्य स्तर (OTS)	3 दिवस आवासीय	जून, 2024 अन्तिम सप्ताह	टेबल संख्या–3 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Teachers Class XI to XII (Government Schools)
4.2	MT प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति ब्लॉक 2 359x2 = 718	जिला स्तर	3 दिवस आवासीय	25–27 जुलाई, 2024 में प्रस्तावित है।	टेबल संख्या–1 के अनुसार	
4.3	पीईईओ, यूसीईईओ आमुखीकरण	500 रूपये प्रति संभागी	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–स)	ब्लॉक स्तर	3 दिवस गैर–आवासीय	6 से 8 अगस्त, 2024 में प्रस्तावित	टेबल संख्या–2 के अनुसार	
5	**समग्र शिक्षा जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ का [illegible] विकसित करने हेतु प्रशिक्षण (APC, PO, ACBEO-2, RP)**							
5.1	एसआरजी प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति [illegible] 9x4=36	[illegible]	3 दिवस [illegible]	[illegible] 29 जून, 2024 में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Teachers Class IX to X (Government Schools)

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved
Ref 7661334

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा / स्टार्स)
5.2	(APC, PO, ACBEO-2, RP)	1000 रूपये प्रति संभागी	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–स)	संभाग स्तर	3 दिवस आवासीय	पृथक से सूचना प्रेषित की जाएगी	टेबल संख्या–1 के अनुसार	
6	राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण							
6.1	एसआरजी प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रति जिला 4 33x4= 132	राज्य स्तर ADPC, दौसा	2 दिवस आवासीय	29–31 अगस्त, 2024 में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Lab Assistant
6.2	राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक	1000 प्रति संभागी प्रति दिवस	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–स)	जिला स्तर	2 दिवस आवासीय	9–11 सितम्बर, 2024 में प्रस्तावित	टेबल संख्या–4 के अनुसार	

2. वित्तीय प्रावधान

टेबल–1

- 3 दिवसीय एस.आर.जी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 1000 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 40 संभागी प्रति बैच के अनुसार, 1000 x 3 x 40 = 120000

क्र.स	गतिविधि	कार्य दिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रू. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	43	250	32250
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	1	1000	3000
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	43	230	29670
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपेड)	1	43	50	2150
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	800	4800
6	संभागियों एवं सन्दर्भ व्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	43	1000	43000
7	तैयारी बैठक मानदेय		3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	500	1500
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				2130
	कुल योग				120000

RajKaj Ref 7661334

Signature valid
Digitally signed by Poornath Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 11:28:25 IST
Reason: Approved

टेबल–2

- ब्लॉक / कलस्टर स्तरीय गैर–आवासीय प्रशिक्षक व्यय मानक
- 40 संभागियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 500 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस 500 x 3 x 40 = 60000

क्र.स	गतिविधि	कार्य दिवस	भौतिकलक्ष्य	दर	राशि
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक व्यवस्था)	3	43	40	5160
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	0	1000	3000
3	व्यवस्थापक मानदेय	3	1	500	1500
4	संदर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	800	4800
5	संदर्भ व्यक्ति (तैयारी बैठक) मानदेय	1	3	500	1500
6	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	43	160	20640
7	स्टेशनरी (पेन एवं नोटपेड)	1	43	50	2150
8	संभागी मानदेय	3	43	150	19350
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				1900
	कुल योग				60000

टेबल–3

- एस.आर.जी / एमटी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 2000 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 40 संभागी प्रति बैच के अनुसार, 2000 x 3 x 40 = 240000

क्र.स	गतिविधि	कार्य दिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	43	800	103200
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	0	1000	3000
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	43	400	51600
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	43	50	2150
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	1500	9000
6	संभागियों एवं सन्दर्भ व्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	43	1500	64500
7	तैयारी बैठक मानदेय	[illegible]	2	500	1000
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	500	1500
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				4050
	कुल योग				240000

RajKaj Ref
7661334

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad
Sagar
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved

टेबल–4

- 2 दिवसीय एस.आर.जी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 1000 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 40 संभागी प्रति बैच के अनुसार, 1000 x 2 x 40 = 80000

क्र.स	गतिविधि	कार्य दिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रू. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	2	43	200	17200
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	2	1	1000	2000
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	2	43	200	17200
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	43	50	2150
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	2	2	800	3200
6	संभागियों एवं सन्दर्भ व्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	43	800	34400
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	2	500	1000
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	2	1	500	1000
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				1850
	कुल योग				80000

- जिला स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के द्वारा समस्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा को निर्धारित भौतिक लक्ष्य अनुसार राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ब्लॉक के भौतिक लक्ष्यानुसार राशि आहरण की सीमा ब्लॉक कार्यालयों को प्रदान की जाएगी।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईईओ को भौतिक लक्ष्यानुसार राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- प्रशिक्षण व्यवस्थापक एवं शिविर प्रभारी प्रशिक्षण व्यवस्थाओं संबंधित व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला/ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- संभागी संख्या 40 से कम होने पर अनुपातिक रूप से तदनुसार ही व्यय किया जाए। यह व्यय संकेतात्मक है।
- किसी मद में व्यय परिस्थितियों के अनुसार कम अथवा ज्यादा हो सकता है। समग्र राशि विवरणानुसार ही होगी।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://[illegible]) पर [illegible] कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त सारणियों के उपमदों में राशि आवंटन में आंशिक परिवर्तन [illegible] आवश्यकतानुसार जिला/ब्लॉक/राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा से किया जा सकता है, किन्तु कुल व्यय, दी गई बजट राशि से अधिक न हो।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिवस में ही प्रशिक्षण संबंधित समस्त व्यय का भुगतान समग्र शिक्षा के SNA खाते से संबंधित को किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Rupnarayan Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved

3. जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन स्थल :

- प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला/ब्लॉक मुख्यालय पर जहाँ सभागार/बड़ा कक्ष व समस्त संसाधन की उपलब्धता हो, वहां आयोजित किए जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रति बैच 40–50 की संख्या में संभागियों का निर्धारण किया जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर विद्युत, प्रोजेक्टर,कूलर, पेयजल एवं सुविधाएँ आदि की व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर संभागियों की संख्यानुसार टीएलएम सामग्री एवं अन्य आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता प्रशिक्षण प्रारम्भ के एक दिवस पूर्व ही सुनिश्चित की जाए ।
- **जिला स्तर पर प्रशिक्षणों हेतु समस्त व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।**
- **प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सहायक सामग्री जैसे–प्रोजेक्टर, एबीएल किट, टीएलएम इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।**

4. राज्य संदर्भ समूह एस.आर.जी. चयन का आधार :

- प्रत्येक जिले से संदर्भ व्यक्ति का चयन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक व डाइट के समन्वय से किया जाना है।
- **पीईईओ एवं यूसीईईओ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले की डाइट से FLN प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के सहायक परियोजना समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी (FLN) को SRG के रूप में नामित किया जाए।**
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एसआरजी को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जावें।
- वे सभी राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति जिन्होने पूर्व में सम्बन्धित प्रशिक्षण का कार्य किया हो।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर संचालन (पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन) में समझ रखने वाले को प्राथमिकता दी जाए।
- असाध्य रोग से पीड़ित न हो।

5. मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति (MT/KRP) चयन का आधार :

- प्रत्येक ब्लॉक स्तर से मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन प्रशिक्षण विवरण की तालिका अनुसार किया जाए। नए एवं अनुभवी शिक्षकों को MT के रूप में शामिल किया जाए।
- पीईईओ/यूसीईईओ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ब्लॉक के अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं संदर्भ व्यक्ति का चयन किया जाए।
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एवं एसआरजी प्रशिक्षण प्राप्त को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले व्यक्ति
- वे सभी राज्य/जिला स्तरीय संदर्भ व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में सम्बन्धित प्रशिक्षण का कार्य किया हो।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर में पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन संचालन की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।
- नवाचारी शैक्षिक गतिविधियों की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।

Signature valid
RajKaj Ref
7851334
Digitally signed by Poonam Prasad
Sagar
Designation: Additional State Project
Director
Date: 2024.06.01 11:28:25 IST
Reason: Approved

- सेवानिवृति में एक वर्ष से कम का समय ना हो।
- असाध्य रोग से पीड़ित न हो।

6. संभागी का चयन :

- प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक में पदस्थापित कक्षा 1–5 में अध्ययन कार्य कराने वाले समस्त शिक्षक।
- कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षक।
- ब्लॉक में पदस्थापित समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
- राजकीय विद्यालय में कार्यरत समस्त पुस्तकालय अध्यक्ष (Librarian)।
- समग्र शिक्षा जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत समस्त APC, PO, ACBEO-2, RP समस्त शिक्षक।
- राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रयोगशाला सहायक।

7. प्रशिक्षण में शिथिलन आधार :

- गर्भवती शिक्षिका संभागियों को।
- ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
- ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या इससे कम समय शेष हो।
- ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार छूट दी जाए।
- उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर छूट दिये गये कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाए, जिससे आवंटित लक्ष्य प्रभावित ना हो। छूट दिये गये कार्मिक एवं उनके स्थान पर नामांकित संस्थाप्रधान का विवरण स्कूल शिक्षा परिषद/RSCERT को भिजवाया जाए।
- **जन लेखा समिति 2021–22 की सिफारिश अनुसार प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।** अतः शिथिलन मापदण्ड के आधार पर छूट दिए गए कार्मिकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो सके।
- प्रशिक्षण से शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा की होगी।

8. प्रशिक्षण संचालन समितियां :

प्रशिक्षण के प्रभावी एवं सफल संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया जाना है :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम
जिला स्तरीय समिति :		
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं जिला नोडल प्रभारी
2	अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	प्रधानाचार्य, डाइट	सदस्य

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved

4	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण)	सदस्य
5	कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण)	सदस्य
6	लेखा प्रतिनिधि	सदस्य
7	तकनीकी प्रभारी–एमआईएस	तकनीकी सहायक
ब्लॉक स्तरीय समिति :		
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व पदेन खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं ब्लॉक नोडल प्रभारी
2	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षण)	सदस्य
4	लेखा प्रतिनिधि	सदस्य
5	तकनीकी प्रभारी–एमआईएस	तकनीकी सहायक

9. समिति के दायित्व एवं भूमिकाएँ :

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण स्थलों का चयन करना।
- प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक सहायक सामग्री जैसे – एबीएल किट, टीएलएम, मॉड्यूल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समय पर संभागियों की प्रातः एवं सांय की निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर उनके कार्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु बनाए गये समूहों के अनुसार दक्ष प्रशिक्षकों के सक्षमस्तर से आदेश जारी कराना।
- दक्ष प्रशिक्षक, मैंटर का चयन कर प्रशिक्षण हेतु आदेशित कराना।
- प्रशिक्षणों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक को नामित कर आदेश जारी कराना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक से लगातार समन्वयन बनाये रखना।
- प्रशिक्षण पूर्व दिवस को तैयारी बैठक आयोजित कराना।
- प्रशिक्षण दिवसों में कोर–समूह की बैठक आयोजित कराना एवं संबंधित अधिकारियों को सहभागिता हेतु निर्देशित करना।

10. जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु निर्देश :

- **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन जिला परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय को आवंटित लक्ष्यानुसार 40–50 संभागी प्रति समूह अनुसार संभागियों के आदेश जारी करना।**
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा से आहरण की स्वीकृति के पश्चात ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा नियमानुसार राशि का उपयोग करना।
- प्रशिक्षण प्रभारी/व्यवस्थापक प्रशिक्षण का उपस्थिति रजिस्टर निर्धारित रूप से संधारित कर एवं व्यवस्थाओं संबंधी व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत प्रेषित करना।

RajKaj Ref
Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01
Reason: Approved

- प्रशिक्षण स्थल का चयन मौसम, उपलब्ध संसाधन (पंखे, कूलर, पानी, जनरेटर आदि) को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के आदेश जारी किए जायेंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का पूर्व अवलोकन करते हुए प्रशिक्षण करवाया जायेगा।
- जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट परस्पर समन्वयन से प्रशिक्षण का सफल संचालन करेंगे।

11. मॉनिटरिंग :

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अति. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक), सहायक परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रत्येक चरण में आयोजित 4–5 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- डाइट–प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा प्रत्येक चरण में आयोजित 4–5 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रत्येक चरण में आयोजित 3–4 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षणों के अवलोकन हेतु अवलोकन कर्ताओं को अवलोकन प्रपत्र (गूगल फॉर्म/ऑनलाइन प्रपत्र) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा। अवलोकन के दौरान उक्त प्रपत्र को भरना अनिवार्य है।

12. उपस्थिति संधारण :

- प्रशिक्षण शिविर की दैनिक उपस्थिति प्रातः एवं सायं की सूचना ब्लॉक प्रशिक्षण कन्ट्रोलरूम से जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम को निर्धारित प्रपत्र–01 में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला स्तर से समस्त प्रशिक्षण शिविरों की उपस्थिति समेकित करते हुए प्रपत्र–02 अनुसार परिषद की प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ई–मेल आईडी : rajssa.training@gmail.com पर भिजवाई जानी है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण (प्रारम्भिक स्तर) एवं उपप्राचार्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण शिविर की समाप्ति के अगले दिन निम्न प्रपत्र–3 में आवश्यक रूप से जिला स्तर से समेकित कर भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र–03 की पूर्ति प्रशिक्षण अवधि के मध्य ही किया जाए।**

दैनिक उपस्थिति प्रपत्र प्रपत्र–01

जिला ....

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संभागी का नाम	Employee ID	मो. नम्बर	लिंग		पदस्थापन स्थान	पीईईओ/यूसीईईओ का नाम	हस्ताक्षर	
					M	F			प्रातः	सायं

समेकित दैनिक उपस्थिति प्रपत्र प्रपत्र–02

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	आमंत्रित संभागी	उपस्थित संभागी		अनुपस्थित	अनुपस्थित का कारण
				प्रातः	सायं		

RajKaj Ref 7661334
Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 [illegible]:28:25 IST
Reason: Approved

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र–03

S.N.	District	Block	Trainee Name	Gender (M/F)	Employee ID	NIC ID	School/Office Name	School UDISE Code	Date of Training Completion	Email ID	Phone Number

*नोट – प्रपत्र–03 के समस्त कॉलम की पूर्ति English Font में Excel Sheet (Soft Copy) में अनिवार्य रूप से करते हुए भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/प्रशिक्षण/F-24-01798/2024–25/1330

दिनांक : 3/6/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
8. अति० निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
13. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
14. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
16. UCEEO/PEEO, समस्त।
17. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref 7661334

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.01 1:28:25 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट - 'अ'

FLN Teachers Training (Class 1-5)

Targets (Elementary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	4321
2	ALWAR	6310
3	BANSWARA	7378
4	BARAN	3357
5	BARMER	9912
6	BHARATPUR	3988
7	BHILWARA	6012
8	BIKANER	4647
9	BUNDI	2608
10	CHITTAURGARH	3473
11	CHURU	3193
12	DAUSA	3043
13	DHAULPUR	2984
14	DUNGARPUR	5610
15	GANGANAGAR	3761
16	HANUMANGARH	2280
17	JAIPUR	7439
18	JAISALMER	2677
19	JALOR	4361
20	JHALAWAR	3714
21	JHUNJHUNU	2867
22	JODHPUR	7590
23	KARAULI	2972
24	KOTA	2374
25	NAGAUR	6498
26	PALI	3837
27	PRATAPGARH	3485
28	RAJSAMAND	3474
29	S. MADHOPUR	2407
30	SIKAR	3901
31	SIROHI	2515
32	TONK	2978
33	UDAIPUR	9467
	Grand Total	**145433**

परिशिष्ट-'ब'

Class 6 to 10 Science & Math teachers
6 days training (Elementary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	1658
2	ALWAR	2569
3	BANSWARA	1321
4	BARAN	900
5	BARMER	1739
6	BHARATPUR	1613
7	BHILWARA	1733
8	BIKANER	1325
9	BUNDI	950
10	CHITTAURGARH	1235
11	CHURU	1511
12	DAUSA	1174
13	DHAULPUR	814
14	DUNGARPUR	1315
15	GANGANAGAR	1466
16	HANUMANGARH	1261
17	JAIPUR	3409
18	JAISALMER	438
19	JALOR	1027
20	JHALAWAR	1122
21	JHUNJHUNU	1618
22	JODHPUR	2293
23	KARAULI	1083
24	KOTA	1105
25	NAGAUR	2273
26	PALI	1467
27	PRATAPGARH	592
28	RAISAMAND	893
29	S. MADHOPUR	926
30	SIKAR	2074
31	SIROHI	565
32	TONK	1099
33	UDAIPUR	2072
	Grand Total	46640

संलग्न-1
परिशिष्ट - 'ब'

District level, Block level Samagra Shiksha
Officials training (Secondary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	50
2	ALWAR	52
3	BANSWARA	37
4	BARAN	28
5	BARMER	67
6	BHARATPUR	50
7	BHILWARA	46
8	BIKANER	41
9	BUNDI	19
10	CHITTAURGARH	37
11	CHURU	35
12	DAUSA	37
13	DHAULPUR	22
14	DUNGARPUR	34
15	GANGANAGAR	31
16	HANUMANGARH	25
17	JAIPUR	92
18	JAISALMER	25
19	JALOR	34
20	JHALAWAR	28
21	JHUNJHUNU	37
22	JODHPUR	80
23	KARAULI	28
24	KOTA	32
25	NAGAUR	49
26	PALI	44
27	PRATAPGARH	28
28	RAJSAMAND	28
29	S. MADHOPUR	25
30	SIKAR	40
31	SIROHI	19
32	TONK	25
33	UDAIPUR	74
Grand Total		1299

परिशिष्ट - 'स'

PEEO/UCEEO Training (Secondary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	372
2	ALWAR	629
3	BANSWARA	446
4	BARAN	258
5	BARMER	738
6	BHARATPUR	443
7	BHILWARA	443
8	BIKANER	400
9	BUNDI	206
10	CHITTAURGARH	332
11	CHURU	334
12	DAUSA	316
13	DHAULPUR	210
14	DUNGARPUR	380
15	GANGANAGAR	378
16	HANUMANGARH	294
17	JAIPUR	710
18	JAISALMER	226
19	JALOR	335
20	JHALAWAR	279
21	JHUNJHUNU	373
22	JODHPUR	695
23	KARAULI	260
24	KOTA	191
25	NAGAUR	544
26	PALI	377
27	PRATAPGARH	256
28	RAJSAMAND	238
29	S. MADHOPUR	247
30	SIKAR	413
31	SIROHI	189
32	TONK	261
33	UDAIPUR	706
	Grand Total	**12485**

संलग्न -1

Librarian Training (Secondary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	110
2	ALWAR	109
3	BANSWARA	210
4	BARAN	39
5	BARMER	105
6	BHARATPUR	62
7	BHILWARA	121
8	BIKANER	47
9	BUNDI	36
10	CHITTAURGARH	74
11	CHURU	58
12	DAUSA	76
13	DHAULPUR	39
14	DUNGARPUR	143
15	GANGANAGAR	58
16	HANUMANGARH	38
17	JAIPUR	206
18	JAISALMER	17
19	JALOR	42
20	JHALAWAR	44
21	JHUNJHUNU	68
22	JODHPUR	103
23	KARAULI	42
24	KOTA	47
25	NAGAUR	101
26	PALI	72
27	PRATAPGARH	65
28	RAJSAMAND	142
29	S. MADHOPUR	60
30	SIKAR	72
31	SIROHI	36
32	TONK	64
33	UDAIPUR	193
	Grand Total	**2699**

परिशिष्ट - 'द'

Lab Assistant Training (Secondary)

S.N.	District	Physical
1	AJMER	155
2	ALWAR	251
3	BANSWARA	157
4	BARAN	72
5	BARMER	132
6	BHARATPUR	109
7	BHILWARA	146
8	BIKANER	105
9	BUNDI	68
10	CHITTAURGARH	81
11	CHURU	121
12	DAUSA	124
13	DHAULPUR	79
14	DUNGARPUR	146
15	GANGANAGAR	80
16	HANUMANGARH	105
17	JAIPUR	354
18	JAISALMER	43
19	JALOR	96
20	JHALAWAR	77
21	JHUNJHUNU	158
22	JODHPUR	204
23	KARAULI	102
24	KOTA	78
25	NAGAUR	210
26	PALI	147
27	PRATAPGARH	57
28	RAJSAMAND	53
29	S. MADHOPUR	73
30	SIKAR	192
31	SIROHI	56
32	TONK	95
33	UDAIPUR	173
Grand Total		**4099**

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail- smsa.asfc2021@gmail.com

क्रमांकः– राःस्कूःशिःप/जय/वै.शि./ -/NRSTC दिशा–निर्देश/2024-25/1635 दिनांकः– 20-6-24

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3, 6 माह) दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतु सत्र 2023–24 में राजस्थान में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशोपरान्त उस कक्षा की दक्षता विकसित करने तथा बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु 3 माह, 6 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन सत्र 2024–25 में किया जाना है। इन गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश इस प्रकार से हैः–

(1) सामान्य कार्य प्रक्रियाः–

- गत सत्र 2023–24 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान चिह्नित कर विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी आयु अनुरूप कक्षा की शैक्षिक दक्षता को ध्यान में रखते हुये 3 माह एवं 6 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया था।
- **उक्त विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण एवं गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का विवरण ब्लॉक कार्यालय की प्रबन्ध पोर्टल आई.डी. के माध्यम से सत्र 2024–25 के लक्ष्य हेतु प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। तदनुसार जिलावार लक्ष्य संलग्न है।**
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- 3 माह की अवधि तथा 6 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक–पृथक किया जायेगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारणः–

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करेंगे कि वे अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण से जोड़ना चाहते हैं या गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ 3, 6 माह की अवधि वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- **गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी 10 बालक–बालिकाओं को एक समूह मानते हुये एक शिविर संचालित होगा। बालक–बालिकाओं की संख्या 10 से कम होने पर निकटतम विद्यालय में ऐसे बच्चे जिन्हें चिन्हित किया गया है, को शामिल करते हुये गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। अधिकतम बच्चों की संख्या वाली एसएमसी द्वारा शिविर संचालन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।**

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

- **शिविर संचालन हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यार्थी संख्या न्यूनतम 10 से भी कम रहने पर गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन नहीं किया जाकर ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा ही शैक्षिक दक्षता का विकास किया जायेगा।**
- **पीईईओ/यूसीईईओ प्रत्येक तीन माह की शैक्षिक स्तर की सूचना अनिवार्य रूप से सीडीईओ को उपलब्ध करवायें। प्रशिक्षण शिविर / विद्यालय स्तर पर शिक्षकों से लाभान्वित हो रहे बच्चों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर Special Training Center Module (संलग्नक) पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।**
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- 3 माह की अवधि तथा 6 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक–पृथक किया जायेगा।

(3) **शैक्षिक व्यवस्थाः–**

- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (एज्यूकेशन वॉलिन्टियर) द्वारा किया जावेगा।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में 10 से 19 बालक–बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर होगा।

➢ **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन–**

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सकें।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के प्रभावी चयन हेतु संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/नगर पालिका कार्यालय आदि में नोटिस चस्पा कर व अन्य माध्यम से किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (EV) का चयन किया जायेगा।
- **शिविरों में ऐजुकेशन वॉलेन्टियर का चयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का किया जाए।**
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक EV उपलब्ध होने पर तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के अनुसार मैरिट निर्धारित कर चयन किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन हेतु प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति को वरियता दी जाये।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन हेतु एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्यूकेशन वॉलिन्टियर हेतु नियुक्त करेगी।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन हेतु B.Ed./BSTC होना अनिवार्य है।
- शिविर में Interns से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो Interns को किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

- मानदेय का भुगतान एस.एन.ए. के माध्यम से किया जायेगा।

तालिका 02

योग्यता	प्रतिशत	एज्यूकेशन वॉलियन्टर हेतु अंक भार
दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
BSTC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक
	तृतीय श्रेणी	1 अंक
स्नातक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	-
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	-
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	-
साक्षात्कार	–	5 अंक
कुल अंक		**30 अंक**

(4) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देशः–

- 10 से कम बच्चे होने पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ अपने–अपने क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार स्थित राजकीय विद्यालयों में से एक शिक्षक को नामित करेंगे। यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से होगा।
- उक्त शिक्षण शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर में नामांकित बालक–बालिकाओं के अनुकूल गतिविधियाँ करावेगा। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी।
- शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डीकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ द्वारा मनोनीत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- आरएससीईआरटी द्वारा तैयार की गयी वर्क बुक से कक्षा 1 से 7 तक वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- उक्त पाठ्यक्रम द्वारा एक कक्षा स्तर की दक्षताओं का विकास अधिकतम 3 माह में किया जायेगा।
- **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।**
- <u>तीन माह एवं छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर</u> – **तीन माह के शिविर** में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, सीआरसी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होंगे। इनके द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। बाह्य मूल्यांकन के परिणाम (परिशिष्ट–7) के आधार पर शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं के कक्षा स्तर का निर्धारण करेंगे तथा परिणाम अनुसार निर्धारित कक्षा में उन्हें संबंधित विद्यालय में मैनस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन–अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। **इसी प्रकार छः माह के शिविर में** द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर उन्हें उस कक्षा में संबंधित विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन–अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक–बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। अतः कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तदनुसार एस.आर. पंजिका एवं शाला दर्पण पोर्टल में परिवर्तन किया जाए।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

- विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन मिड–डे–मील योजनान्तर्गत मिलेगा। इस हेतु मिड–डे–मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवन्टित किया जावे तथा उस विद्यालय को पोषाहार कम आवन्टित किया जावे जहां पर उन बालक–बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन हुआ है।
- शिविर में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को भी मिड–डे मील व दूध आदि की योजनाओं से अन्य राजकीय विद्यालयों पर लागू नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित बालक–बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में शिविर स्थल पर संस्था प्रधान द्वारा प्रतिमाह अध्यापक–अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट–3 के अनुसार रिकार्ड संधारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलिन्टियर, अभिभावक एवं एस.एम.सी. मिलकर शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा समाधान स्थानीय स्तर पर खोजेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन कराने वाले एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एजूकेशन वालिन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करे अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- शिविरों का संचालन शिविरा पंचांग के अनुसार विद्यालय समय में किया जाएगा।
- जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है, जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलिन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।

(5) मॉनिटरिंग एवं समीक्षा:–

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:–
  - ग्राम पंचायत/कस्बा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से संबंधित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
  - एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की जायेगी।
  - जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा की जायेगी एवं सुधार हेतु सुझाव दिये जायेंगे।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

- ➢ मॉनीटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबोधन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेगी।

(6) दायित्व निर्धारण :–

1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के कार्यालयों, अधिकारियों के संयुक्त दायित्व –

- अपने जिले के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समग्र सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना। अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कर रिकार्ड संधारण करवाना।
- शिविर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- संचालित शिविरों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर सीबीईओ लॉगइन से STC मार्डयूल (संलग्नक अनुसार) पर अनिवार्य रूप से अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- एजूकेशन वालिन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर संचालन की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं आवश्यक निर्देश जारी करना।
- शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखवाना।

2. डीपीसी/एडीपीसी का दायित्व :–

- **जिले में संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।**
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा भी सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।

3. सीबीईओ का दायित्व :–

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।
- सीबीईओ निम्नलिखित रिकार्ड संधारण हेतु एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ कार्यालय में संरक्षित करें।
    - स्टाफ उपस्थिति पंजिका
    - अस्थाई/स्थाई सामग्री रजिस्टर
    - छात्र/छात्रा पोर्टफोलियो
    - कैश बुक
    - पी.टी.एम./प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजिका
    - समय विभाग चक्र
    - विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजिका

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

4. **ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ/संस्था प्रधान के दायित्वः–**

- शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना।
- बाह्य जाँच दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।

5. **विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्वः–**

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक–बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उस विद्यालय को प्रेषित करना जहां उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन करना।

6. **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर/ शिक्षक के दायित्व :–**

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत समस्त बालक–बालिकाओं का आधार नामांकन करवाना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- पंजीकृत विद्यार्थियों के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की दक्षताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक–बालिकाओं की सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधानों को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर–विद्यार्थियों की शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।

7. **बजट :–**

Non-Residential Special Training

Break up of unit cost for 3 Months (Per child unit cost @Rs. 1500/- & phy. 10 to 19 children in a center)
Break up of unit cost for 6 Months (Per child unit cost @Rs. 3000/- & phy. 10 to 19 children in a center)

S.N.	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the student no. is minimum 10, then Rs. 4500/- per month. (b) And 11 to 19 student, then Rs. 18/- per child per working day will be paid to EV.
2	Special Training Learning Material (Work books)	As per requirement of OoSc
3	Management & Miscellaneous & other sundry expenses for three months. @ Rs. 150/- per class per child	As per requirement the rest amount will be used for management & miscellaneous expenses such as TLM, Stationary , Contingency & Medical etc.

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

8. लेखा सम्बन्धी बिन्दु :–

- निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

9. अन्य निर्देश –

- **इन शिविरों की जिला/ब्लॉक स्तर से सघन मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इन शिविरों में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं की आयु एवं कक्षा स्तर के अनुरूप सीखने की दक्षता विकसित की जा सके।**
- नियमित रूप से काम आने वाली सामग्री यथा– चॉक, डस्टर, रौलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाएं जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्योरमेन्ट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जायेगा। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (गैर आवासीय) हेतु अग्रिम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संधारित किए जायें, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाये जाए।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलों पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनांक एवं डिस्पेच नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ एवं सीबीईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में किए गए समस्त व्यय का भुगतान एस.एन.ए. के माध्यम से किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु किए गए व्ययों का निश्चित समयावधि में समायोजन करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ जिम्मेदार होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

- अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- नियमानुसार शिविर संख्या नहीं होने की स्थिति में विद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी की शैक्षिक दक्षता को बढ़ाने हेतु कार्य किये जाने पर विद्यार्थी एवं शिक्षक उपयोग हेतु टीएलएम, स्टेशनरी इत्यादि हेतु उक्त बजट सारणी की क्रम संख्या 05 के अनुसार राशि जारी की जायेगी।
- **परिशिष्टानुसार विद्यालय/ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर परिषद को प्रेषित करें।**
- **ब्लॉक कार्यालय से विद्यार्थियों की नामजद सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है। अतः इनके लिये संचालित किये जाने वाले शिविरों के मैपिंग की सूचना, विद्यार्थी उपस्थिति, मैनस्ट्रीमिंग की सूचना तद्नुसार समय–समय पर गत सत्र की भांति प्रबन्ध पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें।**

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(9) सत्र 2024–25 हेतु लक्ष्यः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्न जिलों में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जाएंगे, जिनका जिलेवार संख्यात्मक स्वीकृत लक्ष्य निम्नानुसार है:–

S. No.	District	Non-Residential					
		3 Months	3 Months @0.015	6 Months	6 Months @ 0.03	Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	60	0.90000		0.00000	60	0.90000
2	ALWAR	56	0.84000		0.00000	56	0.84000
3	BANSWARA	0	0.00000	100	3.00000	100	3.00000
4	BARAN	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
5	BARMER	112	1.68000	35	1.05000	147	2.73000
6	BHARATPUR	10	0.15000		0.00000	10	0.15000
7	BHILWARA	91	1.36500	8	0.24000	99	1.60500
8	BIKANER	137	2.05500		0.00000	137	2.05500
9	BUNDI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
10	CHITTAURGARH	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
11	CHURU	24	0.36000		0.00000	24	0.36000
12	DAUSA	2	0.03000		0.00000	2	0.03000
13	DHAULPUR	105	1.57500		0.00000	105	1.57500
14	DUNGARPUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
15	GANGANAGAR	11	0.16500		0.00000	11	0.16500
16	HANUMANGARH	1	0.01500		0.00000	1	0.01500
17	JAIPUR	8	0.12000		0.00000	8	0.12000
18	JAISALMER	19	0.28500		0.00000	19	0.28500
19	JALOR	55	0.82500		0.00000	55	0.82500
20	JHALAWAR	27	0.40500		0.00000	27	0.40500
21	JHUNJHUNU	26	0.39000	1	0.03000	27	0.42000
22	JODHPUR	24	0.36000		0.00000	24	0.36000
23	KARAULI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
24	KOTA	8	0.12000		0.00000	8	0.12000
25	NAGAUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
26	PALI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
27	PRATAPGARH	0	0.00000	8	0.24000	8	0.24000
28	RAJSAMAND	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
29	SAWAI MADHOPUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
30	SIKAR	53	0.79500		0.00000	53	0.79500
31	SIROHI	65	0.97500		0.00000	65	0.97500
32	TONK	49	0.73500		0.00000	49	0.73500
33	UDAIPUR	48	0.72000		0.00000	48	0.72000
Total		991	14.86500	152	4.56000	1143	19.42500

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

.... विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव सीआरसी अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार करवाकर CBEO (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को एवं CBEO द्वारा ADPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम जिला :– ब्लाक– सीआरसी –
2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा – शिविर का प्रकार – गैर आवासीय
3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम – अवधि – 3 माह / 6 माह
4. विवरण–

सूची

क्र. सं.	नाम बालक / बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास स्थान का नाम	VER / WER में दर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) ये सब बालक / बालिकाऐं हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षा से वंचित बालक–बालिका के रूप में चिह्नित हैं।

(2) प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट सूची में अंकित बालक / बालिकाओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वास्तविक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर
सीबीईओ

हस्ताक्षर
सीआरसी

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

प्रपत्र–2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :– ....
2. सावधिक आकलन (प्रतिमाह भरा जावे)' :–

(अ) विषयगत:–

विषय	प्रवेश के समय (कक्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अन्तिम आकलन	एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा अपनाये गये उपचारात्मक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
पर्यावरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा / शारीरिक शिक्षा						

* A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

(ब) उपस्थिति:–

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनस्ट्रिमिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :–
   1. विद्यालय :– ....
   2. कक्षा :– ....
   2. प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक :– ....
   4. मैनस्ट्रिमिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :– ....

हस्ताक्षर
एज्यूकेशन वॉलिन्टियर

हस्ताक्षर
शिविर स्थल संस्था प्रधान

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 2

बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र

शिविर का प्रकार:– .... शिविर की अवधि ....

शिविर स्थल .... एस.एम.सी. .... शिविर प्रारम्भ दिनांक .....

क्र. स.	नाम बालक–बालिका	विद्यालय का नाम जिसमें आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया गया।	शिविर प्रारम्भ में बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा	शिविर समाप्ति पर बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा

हस्ताक्षर
आर.पी.
(सीबीईओ द्वारा नामित)

हस्ताक्षर
सीआरसीएफ

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्रतिनिधि

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... **यू डाईस कोड..........................**
गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु प्राप्त राशि .... **दिनांक ....**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में प्राप्त **गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर** राशि रू. ....का उपयोग एसएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि.............. है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव एसएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष एसएमसी

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में ब्लॉक .... जिला .... के .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक........................ माध्यमिक .... एवं उच्च माध्यमिक .... विद्यालयों में संचालित कुल .... गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु जारी की गई राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/उमावि	गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)			वि.वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय
....

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय
....

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में जिला .... को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC) को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता पश्चात शेष राशि .... रूपये है। शेष राशि .... का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांक:– राप्राशिप/जय/वै.शि./NRSTC दिशा निर्देश/ /2024–25/1635 **दिनांक:–** 20-6-24

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय / प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त (योजना) राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त जिले।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सीआरसी)/शहरी सीआरसी।
11. सम्बन्धित सचिव, प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, आर.ई.आई. पार्टनर्स, परिषद कार्यालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7835730

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– राख्कूशिप/जय/वै.शि./ /RSTC दिशा–निर्देश2024–25/ 1634 दिनांकः– 20-6-24

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (6 माह) दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

उद्देश्यः–

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 06 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवायी जाये। इसी भावना को ध्यान में रखते हुएनिःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतुसत्र 2023–24 में प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाएं, जिनकी सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी है। ऐसे विद्यार्थियों की आयु अनुरूप शैक्षिक दक्षता विकसित करने हेतु सत्र 2024–25 में 6 माह का आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया जाना है। आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार संचालित किये जाने हैं –

सामान्य कार्य प्रक्रियाः–

- गत सत्र 2023–24 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान चिह्नित कर विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी आयु अनुरूप शैक्षिक दक्षता को ध्यान में रखते हुये 6 माह के आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया था।
- उक्त विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण एवं आवासीय विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का विवरण ब्लॉक कार्यालय की प्रबन्ध पोर्टल आई.डी. के माध्यम से प्रबन्ध पोर्टल पर सत्र 2024–25 के लक्ष्य हेतु प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा चुका है। तद्नुसार जिलावार लक्ष्य संलग्न है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- बालक–बालिकाओं हेतु 6 माह की अवधि वाले आवासीय शिविरों का संचालन पृथक–पृथक कियाजाना है।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारणः–

- पीईईओ एवं यूसीईईओ (सीआरसी)अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करेंगे कि वे अपने पुत्र/पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ(सीआरसी) 6 माह की अवधि वाले आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिये न्यूनतम 25विद्यार्थियों के लिए एक शिविर आयोजित किया जाएगा अर्थात् शिक्षा से वंचित 25 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक शिविर संचालित होगा। बालक–बालिकाओं की संख्या 25 से कम होने पर उन प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता का विकास करने के लिए उन्हें उस परिक्षेत्र में संचालित अन्य आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्ययन हेतु शामिल किया जायेगा, पृथक से शिविर संचालित नहीं होगा।
- एक शिविर में अधिकतम 49 विद्यार्थी निवास कर सकेंगे।
- बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शिविर संचालित किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) संस्था प्रधान; प्राप्त प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- संबंधित विद्यालय के शिक्षक निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुसार) में बालक–बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाकर संधारित करेंगे।

(3) शिविर स्थल का चयन एवं शिविर संचालन प्रस्ताव तैयार करवाना:–

- प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान की उपलब्धता अनुसार शिविर स्थल का चयन सीआरसी द्वारा किया जायेगा। स्थल चयन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाये:–
  - ➢ आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए ऐसे भवनों में संचालित किये जायेंगे जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित, यथा संभव बिजली, पानी एवं शौचालय की समुचित सुविधा युक्त होंगे।
  - ➢ यदि उक्तानुसार भवन उपलब्ध नही हो तो पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीईओ; किराये पर भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। किराये पर लिए गए भवन के किराये की व्यवस्था जन–सहयोग से की जायेगी।
  - ➢ यदि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय विशेष में 25 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ(सीआरसी) द्वारा उनके क्षेत्राधिकार स्थित अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय/बहुसंख्य विद्यार्थियों के आवास स्थान के नजदीक के स्थान का प्रशिक्षण स्थल के रूप में चयन किया जायेगा।
  - ➢ इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में अभिभावकों की सहमति से पूरे ब्लॉक में एक ही आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी संचालन किया जा सकता है।
- स्थान के चयन उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओएवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) जिस विद्यालय में शिविर संचालन किया जाना है उसकी या विद्यालय भवन से भिन्न स्थान का चयन होने पर उस चयनित स्थान के निकटतम स्थित राजकीय विद्यालय की एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन का प्रस्ताव परिशिष्ट–1 के अनुसार तैयार कर सीबीईओ के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवायेंगे।
- एडीपीसी; आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस में जाँच कर तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परियोजना समन्वयक से करवा कर सम्बन्धितसीबीईओ के माध्यम से सम्बन्धित शहरी/ग्रामीणसीआरसी को सूचित करेंगे।
- प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी); आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन प्रारम्भ करेंगे, शिविर आरम्भ दिनांक से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,सीबीईओ को सूचित करेंगे।

(4) शैक्षिक व्यवस्था:–

- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (E.V.) द्वारा किया जावेगा।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक–बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं एक सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर नियुक्त किया जायेगा।

➢ एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन–

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/ चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/ नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस चस्पा कर व अन्य माध्यम से किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (EV) का चयन किया जायेगा।
- **चयन कार्य में पारदर्शिता रखते हुए कार्य के प्रति समर्पित निष्ठावान व्यक्ति का चयन किया जाए।**
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक EV उपलब्ध होने पर तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के अनुसार मैरिट निर्धारित कर चयन किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की योग्यता सारणी 02 के अनुसार BSTC/B.Ed. होनी अनिवार्य है।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन हेतु प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति को वरीयता दी जाये।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन हेतु एस.एम.सी. एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्यूकेशन वॉलिन्टियर हेतु नियुक्त करेगी।

➢ **सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन–**

- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन अनिवार्यतः तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।
- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के लिये स्नातक होना अनिवार्य है। यदि स्नातक + प्रशिक्षित (BSTC/B.Ed.) योग्यताधारी एवं मात्र स्नातक योग्यताधारी आवेदन करते हैं। साथ ही दोनों आवेदनकर्ताओं के प्राप्तांक समान हैं तो स्नातक + प्रशिक्षित योग्यताधारी को वरियता दी जाये।

तालिका 02

योग्यता	प्रतिशत	अंक भार	
		एज्यूकेशन वॉलिन्टियर हेतु	सहा0 एज्यूकेशन वॉलिन्टियर हेतु
दसवी	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक
बारहवी	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक
BSTC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक	-
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक	-
	तृतीय श्रेणी	1 अंक	-
स्नातक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	-	5 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	-	3 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	-	1 अंक
साक्षात्कार	–	5 अंक	5 अंक
कुल अंक		**30 अंक**	**30 अंक**

➢ **मानदेय भुगतान–**

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मुल्यांकन के बाद किया जायेगा।
- मानदेय का भुगतान एस.एन.एन.के माध्यम से किया जायेगा।

(5) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देश–

- शिक्षक शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर मे नामांकित बालक–बालिकाओं हेतु अनुकूलन गतिविधियाँ करवायी जायेंगी। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, सॉंस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियां संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी एवं प्रशिक्षणार्थियों का पोर्टफोलियो (परिशिष्ट–2 का प्रपत्र–2) एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता से तैयार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डीकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र पीईईओ एवंयूसीईईओ (सीआरसी) द्वारा मनोनित उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो प्रतिमाह अपडेट करेगा।
- वर्कबुक सेकक्षा 1 से 7 को आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- वर्कबुक विषयवार एवं कक्षावार वेबसाइटrajsmsa.nic.inके पब्लिक डोमने(मुख्य पृष्ठ) पर उपलब्ध है।
- छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, पीईईओ (सीआरसी) तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होंगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। प्रथम बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यक्रम/वर्कबुक के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जायेगा। द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर नियमित अध्ययन–अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।
- बालक–बालिकाओं को दोपहर का भोजन मिड–डे–मील योजनान्तर्गत मिलेगा। अतः मिड–डे–मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवन्टित किया जाये। उस विद्यालय को पोषाहार कम आवन्टित किया जाये जहां पर उन बालक–बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन हुआ है।
- बालक–बालिकाओं को सांयकाल का भोजन एवं प्रातः नाश्ता तथा अवकाश के दिन दोपहर का भोजन भी आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में दिया जायेगा। एज्यूकेशन वॉलिन्टियर, सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर तथा कुक प्रशिक्षणार्थियों के साथ रहेंगे एवं भोजन करेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के संस्था प्रधान द्वारा शिविर में उपस्थित बालक–बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में शिविर स्थल का संस्था प्रधान द्वारा दो माह में एक बार अध्यापक–अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट–3 के अनुसार रिकार्ड संधारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलिन्टियर, अभिभावक एवं एस.एम.सी. मिलकर शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर समाधान खोजेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन कराने वाले एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एजूकेशन वालिन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता हासिल करने के बाद नामांकित कक्षा की शैक्षिक मुख्यधारामें आये विद्यार्थीका पूर्ण विवरण शाला दर्पण पोर्टल/ प्रबन्ध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् की जाये। शिविर के संचालन सम्बन्धित दस्तावेज़ों कारिकार्ड सीआरसी कार्यालय में रखा जाये।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- केजीबीवी की समय सारणी के अनुसार शिविरसंचालित किये जायेंगे।
- जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है, जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलिन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल संचालन एवं उसकी व्यवस्था संबंधी समस्त उत्तरदायित्व तथा पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुपालना रिपोर्ट के निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने संबंधी दायित्वग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी)का होगा।
- **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियरको कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।**
- **शीतकालीन तथा जिला कलक्टर/राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश एवं परिषद् से संचालित गतिविधि में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है।**

(6) मॉनिटरिंग एवं समीक्षा:–

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:–
  - ➢ ग्राम पंचायत/कस्बा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से सम्बन्धित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
- मॉनीटरिंग कमेटी जिसमें सीबीईओ–अध्यक्ष, सीआरसी तथा अधिकतम प्रशिक्षणार्थी संख्या वाले विद्यालय का संस्थाप्रधान एवं शिविर संचालन करने वाली एसएमसी के अध्यक्ष तथा सचिव, सदस्य होंगे। मॉनीटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबोधन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित करेगी।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के सफल संचालन हेतु परिषद से जारी दिशा–निर्देशों की पालना में जिला, ब्लॉक एवं सीआरसी स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अवलोकन किया जाये।

(7) दायित्व निर्धारण :–

1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के कार्यालयों, अधिकारियों के संयुक्त दायित्व –

- अपने जिले के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समग्र सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना। अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कर रिकार्ड संधारण करवाना।
- शिविर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- संचालित शिविरों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर सीबीईओ लॉगइन से STC मॉड्यूल (संलग्नक अनुसार) के अन्य रिपोर्ट प्रपत्रों में अनिवार्य रूप से अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- एजूकेशन वालिन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर संचालन की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं आवश्यक निर्देश जारी करना।
- शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखवाना।

2. डीपीसी/एडीपीसी का दायित्व :–

- **जिले में संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।**
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।

3. सीबीईओ का दायित्व :–

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।

Scanned with OKEN Scanner

- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलुओं का समाधानकर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।
- सीबीईओ निम्नलिखित रिकार्ड संधारण हेतु एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ कार्यालय में संरक्षित करें।

✓ छात्र उपस्थिति पंजिका	✓ ✓ बालक/बालिका उपस्थिति पंजिका
✓ आवक/ खर्च सामग्री रजिस्टर	✓ ✓ विद्यार्थी आधारित शैक्षिक योजना पंजिका
✓ छात्र/छात्रा पोर्टफोलियो	✓ ✓ आवक/जावक पंजिका
✓ पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजिका	✓ ✓ समय विभाग चक्र
✓ विद्यार्थी आवागमन पंजिका	✓ ✓ आगन्तुक पंजिका
✓ बिल वाउचर पंजिका	✓ कैश बुक

4. ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ /संस्था प्रधान के दायित्वः–

- शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय) हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कराना।
- बाह्य जाँच दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।

5. विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्वः–

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर तथा सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक–बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उस विद्यालय को प्रेषित करना जहां उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु आवश्यक सामग्री का नियमानुसार क्रय करना, वित्तीय कार्यों हेतु जी.एफ. एण्ड ए.आर. की पालना करना, शिविर हेतु किए गए व्ययों एवं प्राप्त अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना, उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन करना।

6. एज्यूकेशन वॉलिन्टियर/ शिक्षक के दायित्व :–

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- पंजीकृत विद्यार्थियों के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की दक्षताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक–बालिकाओं की सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधानों को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर–विद्यार्थियों की शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।

Scanned with OKEN Scanner

(8) बजट / मानदेय :–

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु 6 माही यूनिट कॉस्ट का विभाजन
प्रति विद्यार्थी 6 माही यूनिट कॉस्ट /10,000तथा प्रति आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 विद्यार्थी

S.No.	Items	Per Child Cost (In Rs.)	Per Center Financial Cost (In Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including Kitchen Equipments	800	20000	
	Subtotal (Non-Recurring Cost)	800	20,000	
2	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	5400	1,35,000	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc	120	3,000	For 6 Months
(c)	Medical care/contingencies	100	2,500	For 6 Months
(d)	Misc. Expenses	100	2,500	For 6 Months
(e)	**Honorarium**			
(i)	Warden/Education Volunteer	1320	33,000	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1080	27,000	4500 per month
(iii)	Cook	1080	27,000	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	9200	2,30,000	
	Grand Total	10,000	2,50,000	

(9) **लेखा सम्बन्धी बिन्दु :–**

- पीएबी2024–25 में आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 6 माह हेतु बजट प्रावधान 10,000/– रूपये प्रति बालक–बालिका स्वीकृत किया गया है।
- नियमितरूप से काम आने वाली सामग्री यथा– चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाएं जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्योरमेन्ट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जावेगा।
- निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
-

(10) अन्य निर्देश :–

- **इन शिविरों की जिला/ब्लॉक स्तर से सघनमॉनिटरिंग की जाए, ताकि इन शिविरों में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं की आयु एवं कक्षा स्तर के अनुरूप सीखने की दक्षता विकसित की जा सके।**
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु अग्रिम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संधारित किए जावें, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नही चलाये जाएं।

Scanned with OKEN Scanner

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलों पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनांक एवं डिस्पेच नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओएवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) एवं सीबीईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी।
- अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- **संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय/ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।**

विशेष –परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(11) जिलावार सत्र 2024–25 के लिये प्रावधित लक्ष्य –जिला बांसवाड़ा में 100 विद्यार्थियों के लिये बजट का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट 1

.... विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव सीआरसीएफ अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार कराकर CBEO (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को एवं CBEO द्वारा CDEO/ADPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम जिला :– ब्लॉक– सीआरसी –

2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा – शिविर का प्रकार – आवासीय

3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम – अवधि – 6 माह

4. विवरण–

सूची

क.सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास स्थान का नाम	VER/WER में दर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

(1) ये सब बालक/बालिकायें हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षा से वंचित बालक–बालिका के रूप में चिह्नित हैं।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सूची में अंकित बालक/बालिकाओं कीशैक्षिक दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वास्तविक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर सीबीईओ	हस्ताक्षर सीआरसी	हस्ताक्षर शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

पंजीयन प्रपत्र एवं प्रोफाईल

प्रपत्र–1

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालय में भरा जावे।

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. जिला ....
2. ब्लॉक/पंचायत समिति ....
3. ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम ....
4. ग्राम का नाम ....
5. बालक/बालिका का नाम ....
6. पिता/माता का नाम ....
7. जन्म दिनांक ....
8. वर्ग – SC/ST/OBC/Miniority/Gen.................... लिंग....................
9. पूर्व में अनामांकित/ ड्रॉप आउट .... यदि ड्रॉप आउट है तो अन्तिम कक्षा ..... विद्यालय ....
10. बालक/बालिका को आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित करने वाले विद्यालय का नाम .... कक्षा ......
11. वास्तविक दक्षता जाँच अनुसार कक्षा स्तर ....
12. बालक/बालिका के निवास स्थान का पता .... विद्यालय की दूरी (कि.मी. में) ....
13. आवासीय विशेष प्रशिक्षण स्थल का नाम ....
14. मैं उपर्युक्त विवरणानुसार आयु अनुरूप कक्षा स्तर की दक्षता विकसित करने हेतु अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में रखने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षरअभिभावक

15. जाँच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (6 माह) में प्रवेश लायक है एवं इसका नाम CTS laca/kh VER/ WER में क्र.सं. .... पर दर्ज है एवं दोहरा नामांकन नहीं है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर **शिविर स्थल एस.एम.सी. सचिव** **(संस्था प्रधान)**	**हस्ताक्षर** **अध्यक्ष एस.एम.सी.**	**हस्ताक्षर** **सीआरसी**	**हस्ताक्षर** **सीबीईओ**

प्रपत्र–2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :– ....
2. आंकलन (प्रतिमाह भरा जावे) :–

(a) विषयगत:–

विषय	प्रवेश के समय (कक्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अन्तिम आकलन	एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा अपनाये गये उपचारात्मक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
पर्यावरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा						

*A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

(b) उपस्थिति:–

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनस्ट्रिमिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :–
   1. विद्यालय :– ....
   2. कक्षा :– ....
   3. प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक :– ....
   4. मैनस्ट्रिमिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :– ....

हस्ताक्षर **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर**	**हस्ताक्षर** **शिविर स्थल संस्था प्रधान**

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 3

एजूकेशन वालिन्टियर– अभिभावक बैठक रजिस्टर प्रपत्र

1. विद्यार्थियों का निम्न विवरण तैयार करें–

क्र.सं.	नाम	कक्षा	द्विमासिक कुल उपस्थिति	अध्ययन प्रगति	समस्या विवरण

2. अन्य चर्चा के बिन्दुओं का विवरण :–

....

....

हस्ताक्षर अभिभावक | हस्ताक्षर SMC अध्यक्ष | हस्ताक्षर SMC सचिव | हस्ताक्षर EV / वार्डन

परिशिष्ट 4

एजूकेशन वालिन्टियर द्वारा अभिभावक से किए गए सम्पर्क का रजिस्टर

क्र. सं.	सम्पर्क की दिनाँक	बालक– बालिका का नाम	अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	संपर्क का उद्देश्य	सम्पर्क के दौरान हुई वार्ता का संक्षिप्त विवरण	अभिभावक के हस्ताक्षर	एजूकेशन वालिन्टियर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 5

बालक / बालिकाओं का आवागमन का रजिस्टर

क. स.	बालक / बालिका का नाम	शिविर स्थल से जाने की दिनांक	शिविर स्थल से जाने का कारण	विद्यार्थी से संबंध	ले जाने वाले के हस्ताक्षर	आने की तिथि एवं समय	हस्ताक्षर एजूकेशन वालिन्टियर

परिशिष्ट 6

आगन्तुक रजिस्टर

क. स.	दिनांक	आगन्तुक का नाम	आगन्तुक का पता एवं मोबाईल नम्बर	किससे मिलने आये	उससे संबंध	आने का कारण	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर आगन्तुक	हस्ताक्षर एजूकेशन वालिन्टियर

परिशिष्ट 7

बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र

शिविर का प्रकार– .... शिविर की अवधि ....

शिविर स्थल .... एस.एम.सी. .... शिविर प्रारम्भ दिनांक ......

क. स.	नाम बालक–बालिका	विद्यालय का नाम जिसमें आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया गया।	शिविर प्रारम्भ में बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा	शिविर समाप्ति पर बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा

हस्ताक्षर आर.पी. (सीबीईओ द्वारा नामित) | हस्ताक्षर नोडल संस्था प्रधान / PEEO | हस्ताक्षर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्रतिनिधि

Scanned with OKEN Scanner

<u>परिशिष्ट 8</u>

आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता स्तर विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिए जाने वाले बालक–बालिकाओं का विवरण (शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)

(हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र-2 के अनुसार अंकित)												
क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गाँव / वार्ड	हैबिटेशन/ बसाहट	नाम बालक / बालिका	पिता का नाम	जन्म दिनांक	आयु अनुरूप कक्षा	विद्यालय का नाम जहाँ नामांकित हुआ	विद्यालय का [illegible] कोड/ यूडाइस पोर्टल का कोड	नामांकन क्रमांक (रजिस्टर क्रमांक)	प्रवेश की दिनांक	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

शिविर प्रकार			शिविर स्थल		विशेष प्रशिक्षण उपरान्त बाह्य मूल्यांकन के आधार पर जिस कक्षा में मेनस्ट्रीमिंग कराई गई	मेनस्ट्रीमिंग की दिनांक
आवासीय	गैर आवासीय		विद्यालय	अन्य		
6 माह	3 माह	6 माह				
14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर
सीआरसीएफ

हस्ताक्षर
संबंधित संस्था प्रधान

हस्ताक्षर
शिक्षक/ EV

<u>परिशिष्ट 9</u>

शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर
ब्लॉक स्तरीय उपयोगिता प्रमाण–पत्र

ब्लॉक का नाम ....

जिले का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में ब्लॉक .... में .... आवासीय विशेष प्रशिक्षण संचालित कर .... बालक .... बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों को .... रुपये जारी किये गये। उपयोग की गई राशि.............. है।

क्रमांक	शिविर संचालन करने वाली एसएमसी/एसडीएमसी का नाम	शिविर से लाभान्वित बच्चों की संख्या		आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु			वि.वि.
		बालक	बालिका	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर
जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण–पत्र

जिले का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों की राशि रू. .... जिले को प्राप्त हुए है, जिसमें से राशि रू. .... का उपयोग करते हुए माह .... के .... आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किये गये। शिविरों से .... शिक्षा से वंचित बच्चों को लाभान्वित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

हस्ताक्षर
अति0 जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

हस्ताक्षर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना
समन्वयक
समग्र शिक्षा

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/वै.शि./ /आ.वि.प्र.शि./2024–25/1634 दिनांकः– 20-6-24

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, लेखा शाखा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, बांसवाड़ा।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बांसवाड़ा।
9. रक्षित पत्रावली।

Scanned with OKEN Scanner

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / आपणी लाडो / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1653 दिनांक 21/6/24

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
"आपणी लाडो" बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :–

"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी एवं एसडीएमसी सदस्य / स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारकों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **बालिका शिक्षा हेतु "समुदाय जागृति कार्यक्रम"** मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओ को विद्यालयों में जोडने, ठहराव सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सभी विद्यालयों द्वारा एक रैली आयोजित की जायेगी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जायेगें। वर्ष 2024–25 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 51977 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 129.9425 / – लाख व 17424 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 43.5600 / – लाख का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाना है जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

RajKaj Ref
8202104

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.21 12:43:19 IST
Reason: Approved

क्रियाविधि :-

- राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **जुलाई माह में एक रैली** एवं एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी। **एसएमसी/एसडीएमसी, अध्यापकों व समुदाय के सहयोग से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जायेंगे।**
- रैली से एक दिन पूर्व ही बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायें।
- **"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ"** कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा **ब्रान्ड एम्बेसेडर** बनाई गयी सुश्री "**अवनि** " टोक्यो पैराओलम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता की जीवन की सफलता की कहानी का वृत्तान्त भी बताया जाये।
- प्रातः रैली आयोजित की जायेगी, जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक-शिक्षिकायें भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जायें। रैली में प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, छोटे-छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाये।
- बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कवितायें जानकारी आदि लिखे जायें।
- रैली विद्यालय के कैचमेंट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों से निकाली जाये। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 250/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किया जाये।
- राशि का व्यय एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार-प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- रैली की सूचना/पोस्टर गाँव के मुख्य स्थानों जैसे :- ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। रैली में एएनएम/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए।

RajKaj Ref
8202104

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.21 12:43:19 IST
Reason: Approved

रैली/पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाये जाने के बाद एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायें :–

- विद्यालय में यदि बालिकाओं का नामांकन कम है तो कम होने के कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्राप–आउट का कारण।
- विद्यालय परिक्षेत्र में आने वाली अनामांकित बालिकाओं के नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप–आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं हेतु संचालित लाभकारी योजनाओं की जानकारी

नोट :– रैली व बैठक के दौरान महिला/बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष/सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवायी जाये तथा सुश्री अवनि ब्रांड एम्बेसेडर "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" की संघर्ष/सफलता की कहानी दोहरायी जाये।

- उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारकों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाये। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव/क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्ति की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व पीईईओ/संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का

RajKaj Ref
8202104

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.21 12:43:19 IST
Reason: Approved

होगा। गतिविधि के आयोजन के उपरान्त गतिविधि से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व रिकार्ड संधारित किया जायेगा, जो अधिकारियों के अवलोकन हेतु विद्यालय में सुरक्षित रहेगा।

नोटः–आपणी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में जुलाई, 2024 तक सम्पन्न किया जाकर व्यय राशि की प्रविष्टि अगस्त 2024 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./आपणी लाडो/दिशा–निर्देश/2024–25/1653 दिनांक : 21/6/24
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
8202104

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.21 12:43:19 IST
Reason: Approved

Aapni Lado

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakhs)

S.No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @250 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools*	Per School @250 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @250 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.(in lakhs)
1	AJMER	1264	3.1600	613	1.5325	1877	4.6925
2	ALWAR	1966	4.9150	886	2.2150	2852	7.1300
3	BANSWARA	2806	7.0150	521	1.3025	3327	8.3175
4	BARAN	1262	3.1550	331	0.8275	1593	3.9825
5	BARMER	3908	9.7700	958	2.3950	4866	12.1650
6	BHARATPUR	1190	2.9750	593	1.4825	1783	4.4575
7	BHILWARA	2276	5.6900	631	1.5775	2907	7.2675
8	BIKANER	1549	3.8725	575	1.4375	2124	5.3100
9	BUNDI	976	2.4400	291	0.7275	1267	3.1675
10	CHITTAURGARH	1389	3.4725	439	1.0975	1828	4.5700
11	CHURU	857	2.1425	592	1.4800	1449	3.6225
12	DAUSA	1145	2.8625	439	1.0975	1584	3.9600
13	DHAULPUR	837	2.0925	306	0.7650	1143	2.8575
14	DUNGARPUR	2284	5.7100	453	1.1325	2737	6.8425
15	GANGANAGAR	1441	3.6025	513	1.2825	1954	4.8850
16	HANUMANGARH	680	1.7000	434	1.0850	1114	2.7850
17	JAIPUR	2671	6.6775	1121	2.8025	3792	9.4800
18	JAISALMER	1065	2.6625	252	0.6300	1317	3.2925
19	JALOR	1434	3.5850	449	1.1225	1883	4.7075
20	JHALAWAR	1353	3.3825	341	0.8525	1694	4.2350
21	JHUNJHUNU	998	2.4950	557	1.3925	1555	3.8875
22	JODHPUR	2784	6.9600	851	2.1275	3635	9.0875
23	KARAULI	1101	2.7525	357	0.8925	1458	3.6450
24	KOTA	768	1.9200	331	0.8275	1099	2.7475
25	NAGAUR	2233	5.5825	855	2.1375	3088	7.7200
26	PALI	1292	3.2300	558	1.3950	1850	4.6250
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1462	3.6550	278	0.6950	1740	4.3500
28	RAJSAMAND	1377	3.4425	363	0.9075	1740	4.3500
29	SAWAI MADHOPUR	772	1.9300	334	0.8350	1106	2.7650
30	SIKAR	1336	3.3400	684	1.7100	2020	5.0500
31	SIROHI	733	1.8325	278	0.6950	1011	2.5275
32	TONK	1142	2.8550	376	0.9400	1518	3.7950
33	UDAIPUR	3626	9.0650	864	2.1600	4490	11.2250
Total		**51977**	**129.9425**	**17424**	**43.560**	**69401**	**173.5025**

RajKaj Ref
8202104

Signature valid

Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.21 12:43:19 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2024–25 / 1641 दिनांक 20/6/2024

दिशा–निर्देश

(सत्र 2024–25)

खेल एवं एक्सपोजर विजिट
(Sports & Exposure Visit)

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को सामान्य बालक–बालिकाओं के समान ही सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र जीवनयापन के योग्य बनाने एवं बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 में उनके लिए **खेल–गतिविधि एवं एक्सपोजर विजिट** का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम हेतु प्रति ब्लॉक अधिकतम ₹34500/– (चौतीस हजार पांच रूपये मात्र) का प्रावधान है।

"अ" खेल गतिविधि

1. **खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु विशेष ध्यान योग्य बिन्दु :–**

- खेल गतिविधियों का आयोजन जिला स्तर पर किया जाना है। खेल गतिविधियों का आयोजन जिले में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के लिए किया जाना है।
- खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन तथा खेल गतिविधियों में जिले के समस्त ब्लॉकों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त श्रेणियो के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी।
- प्रत्येक ब्लॉक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को आयोजन से पूर्व खेल अभ्यास कराये जाने की जिम्मेदारी एवं जिला स्तर पर खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु लाने एवं ले जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था के संस्था प्रधान/विशेष शिक्षकों एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की होगी।
- **विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के साथ अनिवार्य रूप से महिला विशेष शिक्षिका अथवा अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।**
- इस हेतु खेल गतिविधियों के आयोजन से पूर्व सम्पूर्ण जिले में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

RajKaj Ref
7618228

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 23:17:51 IST
Reason: Approved

- खेल गतिविधियों में एकल तथा समूह में दोनो तरह की गतिविधियों का आयोजन कराया जायेगा।
- खेल गतिविधियों हेतु बालक–बालिकाओं के चयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि खेल प्रतिस्पर्द्धा में दिव्यांगता (Disability) व आयु की समानता हो। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में आयु अनुसार यथा संभव सभी श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अलग–अलग समूह बनाये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत सामान्य बालक–बालिकाओं की भागीदारी भी की जा सकेगी।
- खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन हेतु स्पेशल ओलम्पिक्स (32 प्रकार के खेलों को सपोर्ट करने वाले कोच, वॉलिन्टियर्स एवं एथलीट) भारत, नई दिल्ली संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- प्रतियोगिताओं के संचालन एवं निर्णय हेतु आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भ शिक्षकों की सहायता ली जा सकेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन किया जाये।
- प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय विजेताओं एवं अन्य सभी संभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया जायेगा।
- <u>कार्यक्रम का आयोजन यथासंभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केन्द्र वाले विद्यालय में अथवा उपलब्धता के अनुसार अन्यत्र किया जाये।</u>

2. **सत्र 2024–25 में खेल गतिविधि हेतु वित्तीय प्रावधान प्रति ब्लॉक ₹ 7500/– है।**
3. **आयोजित की जानी वाली खेल गतिविधियाँ :–**

खेल गतिविधियों में निम्नलिखित एकल तथा समूह दोनों तरह की गतिविधियों को शामिल किया जायेगा :–

- **सामूहिक गतिविधियाँ–** बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबिल टेनिस, खो–खो, रूमाल झपट्टा, रस्सा कशी, चम्मच दौड़ आदि।
- **एकल गतिविधियाँ–** बैडमिंटन, लोग जम्प, हाई जम्प, थ्रोइंग, टेबिल टेनिस, 50 मीटर एवं 100 मीटर की दौड़, ट्राई साईकिल दौड़/बैसाखी दौड़, तेज चाल, कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़, जलेबी दौड आदि।
- Blind Chess Competition– दृष्टिबाधित बच्चों हेतु Chess का आयोजन किया जाना है। इस हेतु पूर्व से ही संदर्भ कक्षों पर Chess खेलना सिखाया जायेगा।
- **अन्य गतिविधियाँ** :– क्षेत्रीय एवं परम्परागत खेल तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की अभिरूचि एवं क्षमता अनुसार अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

<u>"ब" एक्सपोजर विजिट</u>

सत्र 2024–25 में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु एक्सपोजर विजिट करवायी जानी है। एक्सपोजर विजिट के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को बाहरी

RajKaj Ref
7618228

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.10 13:17:51 IST
Reason: Approved

वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाना है। एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राज्य में संचालित विशेष विद्यालय, संदर्भ कक्ष, बैंक, रेलवे–स्टेशन, डाकघर, म्युजियम, चिडियाघर एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जायेगी। अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट राज्य के सभी 33 जिलों में आयोजित की जायेगी। विजिट जिले के बजट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम दो दिवस हेतु प्लान की जा सकेगी।

1. **विजिट हेतु बालक–बालिकाओं का चयन : –**

- ब्लॉक स्तर पर बालक–बालिकाओं का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर किया जाये। ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर आकर अभ्यास करने वाले बालक–बालिकाओं को एवं प्रतिभाशाली बालक–बालिकाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाये।
- एक्सपोजर विजिट में प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 15 संभागियों का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नानुसार संभागी होंगे– 10 विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकायें, 2 सामान्य बालक–बालिकायें एवं 3 अन्य संभागी (संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/अभिभावक)।
- प्रत्येक ब्लॉक से आनुपातिक संख्या में बालक–बालिकाओं का चयन किया जा सकता है।
- सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को अवसर दिया जाये।
- इस एक्सपोजर विजिट में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष वाले बालक–बालिका ही शामिल हो सकेंगे।
- **उपलब्धता की स्थिति में एक्सपोजर विजिट में लगभग 50 प्रतिशत बालिकाएं ले जाना सुनिश्चित करें, इसमें कम से कम 2 महिला संदर्भ शिक्षकों/अभिभावकों का भी चयन करें।**

2. **सत्र 2024–25 में एक्सपोजर विजिट गतिविधि हेतु वित्तीय प्रावधान 15 संभागियों हेतु प्रति ब्लॉक ₹ 22,500/– है एवं वित्तीय मानदण्ड निम्नानुसार रहेगा :–**

क्र.सं.	मद	दर	राशि (₹ में)
1	बस किराया एवं ठहरने की व्यवस्था (वास्तविक)	700	10500
2	चाय, नाश्ता एवं भोजन (प्रति संभागी/प्रति दिवस)	400	6000
5	प्रतिवेदन/बैनर/टिकट दर्शनीय स्थल, परिचय पत्र स्टेशनरी (एक कॉपी एक पैन)	100	1500
6	बालक–बालिकाओं का जिला मुख्यालय तक आने–जाने का वास्तविक किराया	वास्तविक	3500
7	विविध व्यय आवश्यकता की स्थिति में		1000
		योग	₹22500

नोट :–

- उक्त उपमदों में से यदि अपरिहार्य स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय होती है तो यह राशि किसी अन्य उपमद से समायोजित की जा सकेगी।
- कुल अधिकतम व्यय जिले को आवंटित राशि की सीमा में ही किया जायेगा।

3. **उल्लेखनीय बिन्दु : –**

- बालक–बालिकाओं के चयन उपरान्त अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।

RajKaj Ref 7618228

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

सहमति पत्र

मैं...अपने पुत्र/पुत्री...जो कि.......................................विद्यालय में कक्षा..........में अध्ययनरत है। उक्त को दिनांक से............दिनांक तक.........................स्थान हेतु.......................................एक्सपोजर विजिट हेतु सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर अभिभावक

प्रमाणीकरण संस्थाप्रधान

- स्थान का चयन करते समय मुख्यालय से स्थान की दूरी एक तरफ, कम से कम 150 कि.मी. होगी।
- विजिट के दौरान संदर्भ कक्ष आदि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाये। रात्रि में ठहरने की व्यवस्था यथा संभव जिला मुख्यालय के ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थान में की जा सकेगी।
- एक्सपोजर विजिट हेतु यथा संभव राजस्थान परिवहन निगम की बसे ही हायर की जाये। अनुपलब्धता की स्थिति में निजी एजेन्सी की बस नियमानुसार निविदा/कोटेशन द्वारा हायर की जा सकेगी परन्तु दरें बाजार प्रतिस्पर्धी होनी चाहिये।
- बालक–बालिकाओं के फोटो सहित परिचय पत्र बनवाकर विजिट के दौरान उनके गले में धारण करायें।

<u>पहचान–पत्र</u>

छात्र/छात्रा का नाम...

पिता का नाम...कक्षा..........

विद्यालय का नाम...

फोटो

हस्ताक्षर छात्र

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

- विभिन्न गतिविधियों की फोटोग्राफी कराई जा सकेगी परन्तु इस मद में अनावश्यक व्यय न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- जिस जिले की विजिट की जा रही है, उस जिले के जिला परियोजना समन्वयक को बालक–बालिकाओं हेतु बिस्तर आदि जिला मुख्यालय के ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है परन्तु भुगतान विजिट करने वाले जिले द्वारा चैक आदि के द्वारा किया जावेगा।
- विजिट किये जा रहे जिले में यदि वाहन की आवश्यकता होती है तो उस जिले की पूर्व में चयनित एजेन्सी से निर्धारित दरों पर वाहन की व्यवस्था की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था में संबंधित जिले के एडीपीसी का सहयोग वांछनीय है।
- बालिकाओं के आवास की अलग से व्यवस्था (अन्य कक्ष में) की जाये तथा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु महिला संदर्भ शिक्षिकायें व दल का नेतृत्व करने वाले समावेशित शिक्षा प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avimal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

- किसी भी स्थिति में अन्य अनुभागों के कार्मिक/प्रभारी अधिकारी इस एक्सपोजर विजिट में **नहीं** जा सकेंगे।
- एक्सपोजर विजिट का आयोजन **सितम्बर–अक्टूबर माह** में किया जाना है।
- राज्य स्तर से अन्य राज्य की विजिट के कम में ₹ 16.51 लाख का परिषद स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।
- एक्सपोजर विजिट की कार्ययोजना सहित विजिट से 7 दिवस पूर्व परिषद् मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- विजिट के दौरान बालक–बालिकाओं की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक व अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की होगी।
- एक्सपोजर विजिट का विस्तृत प्रतिवेदन मय गतिविधियों के मूल फोटोग्राफ्स सहित तथा निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार
1				
2				

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1641
दिनांक : 20/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7618228

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION-2024-25

S.N.	Name of District	Sports & Exposure Visit (Rs. 30000 Per Block)	
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	11	3.30
2	ALWAR	16	4.80
3	BANSWARA	11	3.30
4	BARAN	8	2.40
5	BARMER	21	6.30
6	BHARATPUR	12	3.60
7	BHILWARA	14	4.20
8	BIKANER	9	2.70
9	BUNDI	5	1.50
10	CHITTAURGARH	11	3.30
11	CHURU	7	2.10
12	DAUSA	11	3.30
13	DHAULPUR	6	1.80
14	DUNGARPUR	10	3.00
15	GANGANAGAR	9	2.70
16	HANUMANGARH	7	2.10
17	JAIPUR	26	7.80
18	JAISALMER	7	2.10
19	JALOR	10	3.00
20	JHALAWAR	8	2.40
21	JHUNJHUNU	11	3.30
22	JODHPUR	22	6.60
23	KARAULI	8	2.40
24	KOTA	6	1.80
25	NAGAUR	15	4.50
26	PALI	10	3.00
27	PRATAPGARH	8	2.40
28	RAJSAMAND	8	2.40
29	SAWAI MADHOPUR	7	2.10
30	SIKAR	12	3.60
31	SIROHI	5	1.50
32	TONK	7	2.10
33	UDAIPUR	20	6.00
	Total	**358**	**107.40**

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinal
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715580 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1639 दिनांक : 20/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

थैरेपेटिक सेवाएं (Therapeutic Services)

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षों पर गंभीर दोष से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु संबधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपेटिक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना है। थैरेपेटिक सेवाएं में पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं साईकोलॉजिकल काउंसलिंग) एवं पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

i) पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (Rehabilitation/Therapy specialist)

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024–25 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अविशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु संदर्भ कक्षों पर विभिन्न पुनर्वास विशेषज्ञ यथा फीजियोथैरेपिस्ट (Physiotherapist), स्पीच थैरेपिस्ट (Speech Therapist), क्लीनिकल साईकॉलोजिस्ट (Psychologist) आदि की सेवाएं मानदेय/विजिट के आधार पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. फीजियोथैरेपिस्टः–

1.1 **अपेक्षित योग्यता :– मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी (M.P.T)/बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (B.P.T)**

1.2 कार्य :–

- ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की फीजियो थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
- कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपेटिक संबलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
⇨ विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

1.3 मानदेय :–
⇨ फिजियोथैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/–प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए फिजियोथैरेपिस्ट एवं विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
⇨ फीजियोथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2. स्पीच थैरेपिस्ट :–

2.1 **अपेक्षित योग्यता:– बैचलर ऑफ ऑडियोलोजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.A.S.L.P)/डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (D.H.L. S)**

2.2 कार्य :–
⇨ ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की स्पीच थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
⇨ कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
⇨ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
⇨ विद्यार्थियों (CwSN) को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
⇨ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
⇨ विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

2.3 मानदेय :–
⇨ स्पीच थैरेपस्टि हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/–प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.1? 13:14:19 IST
Reason: Approved

⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।

⇨ स्पीचथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

3. क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट :–

3.1 **अपेक्षित योग्यता– डिप्लोमा इन क्लिनिकल साईकोलोजी/एमएससी (क्लिनिकल साईकोलोजी)**

3.2 **कार्य :–**

⇨ ब्लॉक पर चिन्हित मानसिक विमन्दित बच्चों का I.Q. Level तय करना।

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) के I.Q. Level के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण करना।

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना।

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संचालन के लिए ब्लॉक संदर्भ शिक्षकों एवं अभिभावकों को परामर्श/प्रशिक्षण प्रदान करना।

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) के संबंध में संदर्भ शिक्षक एवं अभिभावकों की विशिष्ट क्षमता अभिवर्द्धन करना।

⇨ विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

3.3 **मानदेय :–**

⇨ क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/–प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।

⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।

⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।

⇨ साईकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

4. अन्य प्रावधान :–

1. जिले में ब्लॉक की संख्या तथा विद्यार्थियों (CwSN) की संख्या के आधार पर एक से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेगी परन्तु किसी भी स्थिति में व्यय जिले को आवंटित बजट राशि से अधिक नहीं किया जा सकेगा।
2. जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर उक्त विशेषज्ञों के चयन की योग्यता का उल्लेख करते हुए स्थानीय एक या दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साइज में **15 जून से 15 जुलाई 2024 के मध्य विज्ञप्ति जारी करेंगे** व प्रति विद्यार्थी की न्यूनतम दर के आधार

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

पर योग्य विशेषज्ञ का चयन पारदर्शिता से सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

3. थैरेपेटिक सर्विसेज की विज्ञप्ति हेतु व्यय इसी उपमद से किया जायेगा।
4. पुनर्वास विशेषज्ञों का चयन उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप ही जिला स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में परिषद स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
5. **संदर्भ व्यक्ति (CwSN) द्वारा विद्यार्थियों को दिये गये थैरेपिक संबंलन उपरान्त आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) राजस्थान की DEIC टीम के पास थैरेपी हेतु भिजवाया जाये।**
6. **एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में परिषद कार्यालय से निर्गत पत्र क्रमांक 5979 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।**
7. पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ जिला परियोजना समन्वयक उक्त दरों पर वर्ष पर्यन्त कार्य करने हेतु ₹50 के नॉनज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम.ओ.यू करेंगे।
8. जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में चयनित पुनर्वास विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व संपूर्ण माह का विजिट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा। विजिट कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिमाह प्रत्येक पुनर्वास विशेषज्ञ की कम से कम एक बार विजिट सुनिश्चित हो। कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
9. विद्यार्थियों (CwSN) को पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तिथियों में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/ संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा। विजिट दिवस को कम से कम 10 पात्र बालक–बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यदि इससे कम संख्या में विद्यार्थियों (CwSN) उपस्थित रहते है, तो सीबीईओ द्वारा संबंधित के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
10. थैरेपेटिक संबलन के दिन विद्यार्थियों (CwSN) एवं अभिभावकों के नाश्ते हेतु ₹20/– प्रति संभागी की दर से व्यय किया जा सकेगा।
11. विद्यार्थियों (CwSN) तथा संरक्षकों हेतु नाश्ते की व्यवस्था नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जाये।
12. विद्यार्थियों (CwSN) व अभिभावकों को साधारण रेल/बस का वास्तविक किराया परिषद कार्यालय द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु जारी परिपत्रानुसार देय होगा।
13. **यदि पुनर्वास विशेषज्ञ एम.ओ.यू के पश्चात् संतोषप्रद कार्य नहीं करते है तो उनके पंजीकरण निरस्ती हेतु लिखा जा सकेगा।**
14. उक्तानुसार समस्त रिकोर्ड का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जायेगा।
15. उक्त कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ की होगी।

RajKaj Ref
7610611

Signature valid

Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

5. <u>वित्तीय प्रावधान :-</u>

- **पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु हेतु राशि ₹15,000/- रूपये प्रति ब्लॉक का प्रावधान।**
- प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

क्रं. सं.	नाम पुनर्वास विशेषज्ञ	विशेषज्ञता का क्षेत्र	इस माह में असेसमेन्ट किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	इस माह में फोलोअप किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	असेसमेन्ट तथा फॉलोअप के पश्चात् बच्चों में परिलक्षित सुधार

ii) अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम (Parents Counselling Programme)

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् राज्य के समस्त विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की पहचान के पश्चात् उनके लिये आवश्यक सहायक सामग्री, अंग उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रबन्ध करते हुये शिक्षण व्यवस्था संदर्भ कक्ष/विद्यालयों में की जाती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं के माता-पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं विद्यार्थियों (CwSN) को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् इन विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :-

1. पेरेन्ट्स काउंसलिंग **संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार** (जुलाई एवं अक्टूबर, 2024) आयोजित की जायेगी।
2. वीआई, एचआई, आईडी, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के पेरेन्ट्स हेतु पेरेन्ट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
3. जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की योजना बनाकर समस्त ब्लॉक को भिजवायी जायेगी। कार्यक्रम के सफल कियान्वयन का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
4. अभिभावकों एवं विद्यार्थियों (CwSN) की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं L-I & II) द्वारा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावकों को समय पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।

RajKaj Ref
7610611

Signature valid

Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

5. पेरेन्ट्स काउंसलिंग में सभी तीन श्रेणियों (पूर्ण दृटिबाधित, VI श्रवणबाधित, HI एवं मानसिक विमन्दित MR) **के संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक** L-I & II) **की उपस्थिति अनिवार्य है।**

6. विद्यार्थियों (CwSN) एवं अभिभावकों को पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।

7. काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L-I & II) द्वारा पैरेन्ट्स के सहयोग से विद्यार्थियों (CwSN) की केस हिस्ट्री संलग्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी एवं प्रत्येक विद्यार्थियों (CwSN) हेतु पृथक–पृथक् फाईल का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जावेगा। काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L-I & II) द्वारा पैरेन्ट्स को भावनात्मक सम्बलन प्रदान करते हुये विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त पुनर्वास आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

8. **संदर्भ कक्ष/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किसी श्रेणी विशेष के संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक** L-I & II) **उपलब्ध न होने की स्थिति में ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय से उस श्रेणी के विशेष शिक्षक को पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करें।**

9. अभिभावकों को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों (CwSN) की अधिकतम भागादारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।

10. काउंसलिंग के दौरान लंच के पूर्व सभी अभिभावकों को एक साथ काउंसलिंग प्रदान की जायेगी एवं लंच उपरान्त अलग–अलग विकलांगता श्रेणी **(VI, HI & MR)** के अनुसार संबंधित संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं L-I & II) द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जायेगी।

11. अभिभावकों को विद्यार्थियों (CwSN) के लिये **"अतिसुरक्षा एवं परित्याग"** की प्रवृत्ति समाप्त करते हुये विद्यार्थियों (CwSN) के लिये घर–परिवार में सामान्य वातावरण एवं सामान्य व्यवहार हेतु प्रेरित किया जायेगा।

12. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों के साथ सहानुभूति (Sympathy) के स्थान पर तदनुभूति (Empathy) का सिद्धान्त अपनाया जाये ताकि अभिभावक हीनता की भावना महसूस ना करें।

13. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वों के क्रम में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

14. राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

15. यदि विद्यार्थी द्वारा किसी अंग–उपकरण का उपयोग किया रहा है तो इनकी देखभाल व निरन्तर कार्यकुशलता के लिए अभिभावक को जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

16. विद्यार्थियों (CwSN) के दोष की गंभीरता के नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण करते हुये अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।

17. होमबेस्ड एज्यूकेशन के बालक–बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष में उपलब्ध करवाये जाने वाले शैक्षिक/थैरेपेटिक संबलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. कार्यक्रम समापन उपरान्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा एकीकृत रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।

19. परिषद् कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित मॉड्यूल के आधार पर पेरेन्ट्स काउंसलिंग करवायी जायेगी।

<u>वित्तीय प्रावधान :–</u>

- सत्र में दो पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु अधिकतम राशि ₹20,000/–प्रति ब्लॉक का प्रावधान है। प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

प्रति अभिभावक काउंसलिंग व्यय प्रावधान :–

क.सं.	गतिविधि का नाम	संभागियों की संख्या	दर ₹	राशि
1	संभागियों हेतु चाय, भोजन व्यवस्था।	100	60	₹6000
2	स्टेशनरी व अन्य व्यय।	एकमुश्त		₹500
3	संभागियों हेतु आने–जाने का किराया।	वास्तविक		₹3500
		योग		₹ 10,000

- **आवश्यकता होने पर एक उपमद में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय होने के स्थिति में अन्य उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है किन्तु कुल व्यय ₹ 10,000/– प्रति पेरेन्ट काउंसलिंग कार्यक्रम से अधिक नहीं होना चाहिए।**
- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनवरी, 2025 में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु प्रति दिवस अधिकतम 50 अभिभावकों एवं 50 बच्चों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
- उक्त मानदण्डानुसार पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार जुलाई एवं अक्टूबर, 2024 में आयोजित किया जाना है।

<u>मॉनिटरिंग :–</u>

- कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीबीईओ संबंधित ब्लॉक व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- काउंसलिंग कार्यक्रम का रिकार्ड संधारण ब्लॉक कार्यालय एवं संदर्भ कक्ष पर निम्न प्रारूप में किया जायेगा :–

क्र. सं.	नाम अभिभावक	बालक का नाम	दोष का प्रकार	पता	दूरभाष न.	हस्ताक्षर अभिभावक	प्रदत्त परामर्श का संक्षिप्त विवरण

RajKaj Ref 7610611

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

इस परिप्रेक्ष्य में जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करायेंगे।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ 1639 दिनांक : 20|6|2024

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7610611

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ....

(जिले का नाम)

विज्ञप्ति

जिले में स्थापित संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के असेसमेन्ट पश्चात् अपेक्षित संबलन प्रदान करने हेतु फीजियो थैरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट व क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाओं की प्रति विजिट प्रति विद्यार्थी की दर के आधार पर आवश्यकता है। नियमानुसार योग्यता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दरें अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। दरें प्रारम्भिक असेसमेन्ट व फोलोअप कार्य दोनों हेतु अलग–अलग देनी होगी।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला..................................

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avinal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ दिनांक :

केस हिस्ट्री

- विद्यार्थी का नाम ....
- पिता/माता का नाम ....
- आयु ....
- दोष का प्रकार एवं श्रेणी ....
- स्थायी पता एवं मोबाइल न0 ....
  ....
- विद्यार्थी से संबंधित समस्याएं यदि कोई हो तो ....
- विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति (संबंधित को ✓करें)
  - (A) दैनिक जीवन के क्रियाकलाप (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
  - (B) सामाजिक कौशल (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
  - (C) शैक्षणिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
  - (D) पूर्व व्यावसायिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
- विद्यार्थी में दोष के कारण
  - (A) जन्म से पूर्व
  - (B) जन्म के समय
  - (C) जन्म के पश्चात्
- विद्यार्थी के दोष का ज्ञान कब व किसके द्वारा हुआ ?

  ....
- अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रारम्भिक प्रयास :-

  ....

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

- विद्यार्थी को वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही होमबेस्ड एजूकेशन के दौरान बच्चे में सुधार की स्थिति –
  ....
  ....
- विद्यार्थी हेतु किसी अंग व उपकरण अथवा सहायक सामग्री की आवश्यकता :–
  ....
- विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण :–
  ....
- बालक के अंग व उपकरण की वर्तमान स्थिति :–
  ....
- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक प्रयास :–
  ....
  ....
  ....
- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु अभिभावकों से अपेक्षाएँ :–
  ....
  ....
  ....
- विशेष विवरण :–
  ....
  ....
  ....

दिनांक :–

हस्ताक्षर ....

संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक)

RajKaj Ref 7610611

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Therapeutic Services Rs.35,000 Per Block	
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	11	3.850
2	ALWAR	16	5.600
3	BANSWARA	11	3.850
4	BARAN	8	2.800
5	BARMER	21	7.350
6	BHARATPUR	12	4.200
7	BHILWARA	14	4.900
8	BIKANER	9	3.150
9	BUNDI	5	1.750
10	CHITTAURGARH	11	3.850
11	CHURU	7	2.450
12	DAUSA	11	3.850
13	DHAULPUR	6	2.100
14	DUNGARPUR	10	3.500
15	GANGANAGAR	9	3.150
16	HANUMANGARH	7	2.450
17	JAIPUR	26	9.100
18	JAISALMER	7	2.450
19	JALOR	10	3.500
20	JHALAWAR	8	2.800
21	JHUNJHUNU	11	3.850
22	JODHPUR	22	7.700
23	KARAULI	8	2.800
24	KOTA	6	2.100
25	NAGAUR	15	5.250
26	PALI	10	3.500
27	PRATAPGARH	8	2.800
28	RAJSAMAND	8	2.800
29	SAWAI MADHOPUR	7	2.450
30	SIKAR	12	4.200
31	SIROHI	5	1.750
32	TONK	7	2.450
33	UDAIPUR	20	7.000
	Total	**358**	**125.30**

RajKaj Ref
7610611

Signature valid
Digitally signed by Avimal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:14:19 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715660 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1640 दिनांक : 20/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)

राजकीय विद्यालयों में **कक्षा 1 से कक्षा 12** में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) के चिकित्सकीय एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं के आंकलन करने तथा इन विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्बलन, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, शिक्षण सामग्री, विविध उपकरण एवं लो–विजन उपकरण आदि प्रदान करने हेतु Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) आयोजित किये जाने हैं। उक्त गतिविधि NEP 2020 के Group-2, Reference Para No. 6.10 & 6.11 & Tracker-181से संबंधित है।

Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (Alimco) कानपुर/नई दिल्ली एवं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा के सहयोग से ब्लॉक/जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया जाकर निम्न सारणी में अंकित विवरण के अनुसार कार्य संपादित करवाया जाएगा:–

क्र. सं.	श्रेणी	किये जाने वाले कार्य
1	अस्थि दोष विशेषज्ञ	अस्थि दोष से प्रभावित छात्र–छात्राओं हेतु आवश्यक अंग व उपकरणों का निर्धारण एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।
2	आई स्पेशलिस्ट	छात्र–छात्राओं की आँखों की जाँच करके आवश्यकता अनुसार उपकरणों का निर्धारण (चश्मा, मेग्नीफायर) एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
3	ई एन टी स्पेशलिस्ट	छात्र–छात्राओं के श्रवण एवं स्वर मैकेनिज्म की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
4	मनोचिकित्सक	मानसिक विमन्दिता एवं मानसिक बीमारी की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
5	सामान्य चिकित्सक	सामान्य जांच एवं रक्त संबंधी दिव्यांगता, पहचान एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
6	फिजियोथेरेपिस्ट	छात्र–छात्राओं के गामक एवं पेशीय समन्वय की जांच करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
7	स्पीच थेरेपिस्ट	छात्र–छात्राओं का स्पीच असेसमेन्ट करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का

RajKaj Ref 7597903

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] 23:15:12 IST
Reason: Approved

		निर्धारण।
8	साइकॉलोजिस्ट	छात्र–छात्राओं की IQ असेसमेन्ट एवं व्यवहारगत समस्याओं का अध्ययन करते हुए सुधारात्मक कार्यक्रम का निर्धारण।
9	ऑप्टोमेट्रिस्ट	छात्र–छात्राओं की आँखों की जाँच में सहयोग, उपकरणों का निर्धारण, लो–विजन छात्र–छात्राओं का असेसमेन्ट कराना।
10	ऑडियोलॉजिस्ट (जांच उपकरण सहित)	श्रवण जांच करना, उपकरणों का निर्धारण असेसमेन्ट व ऑडियोग्राम जारी करना।

नोट :– Rights of Persons With Disability Act, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु जिला कलक्टर से आदेश कराकर सभी प्रकार के विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं संबंधित जांच सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का कार्य उसी दिवस करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1.1 समयावधि :– जुलाई–अगस्त, 2024

1.2 <u>वित्तीय प्रावधान</u> :–

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के असेसमेन्ट कैम्प तथा असेसमेन्ट पश्चात अंग–उपकरण वितरण कैम्प के आयोजन हेतु संयुक्त रूप से प्रति ब्लॉक कक्षा 1 से 12 के लिए कुल राशि ₹ 20,000/– अनुमोदित की गई है :–

S.No.	Activity	Unit Cost-Per Block	Target	
			Phy	Fin (In Lakh)
(Elementary)	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)	0.10000	358	35.80
(Secondary)	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)	0.10000	358	35.80
	Total			71.60

उक्त दोनों कैम्प आयोजन हेतु जिले को आवंटित कुल बजट की सीमा में कैम्प हेतु निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा :–

- विद्यार्थियों अभिभावकों एवं कार्मिकों हेतु चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच – ₹ 150/– प्रति व्यक्ति।
- बैठक एवं टेन्ट व्यवस्था लगभग – ₹ 7000/– प्रति कैम्प प्रति दिवस।
- कन्टींजेन्सी/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी – लगभग ₹ 2000/– प्रति कैम्प
- विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों हेतु यात्रा व्यय– वास्तविक।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता – ₹ 200/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस।

1.3 <u>कार्य</u>

1. **श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं हेतु ऑडियोमेटरी टेस्ट एलिम्को, कानपुर/नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। जिले के श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं को कैम्प में लाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक उपकरण हेतु चिह्नित किया जा सके।**
2. सीबीईओ/पीईईओ द्वारा संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) एवं नोडल प्रभारी की सहायता से डाइस डाटा के अनुसार जिन छात्र–छात्राओं का मेडीकल असेसमेन्ट

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:15:12 IST
Reason: Approved

नहीं हुआ है तथा जिन्हें अंग–उपकरण/लो–विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक–पृथक सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्तिशः छात्र–छात्राओं के प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर उपलब्ध करा दी जाये ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे छात्र–छात्राओं को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये।

3. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) राजस्थान के साथ समन्वय कर RBSK द्वारा चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को असेसमेन्ट कैम्प में सम्मिलित किया जाये एवं आवश्यकतानुसार अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जाये।**
4. **उक्त समस्त कैम्पों की सूचना जिले में विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को पूर्व में ही पत्र/एसएमएस/मोबाईल/WhatsApp द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समस्त पात्र छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो सकें।**
5. उक्तानुसार चयनित छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र आदि भराकर उन्हें कैम्प स्थल तक लाने का दायित्व सीबीईओ एवं संबंधित विद्यालय के पीईईओ/प्रधानाध्यापक, संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) का होगा।
6. मेडीकल बोर्ड में यथा संभव राजकीय चिकित्सक ही बुलाए जायें तथा इस हेतु पूर्व में ही जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के द्वारा आदेश जारी करवायें।
7. राजकीय चिकित्सकों की उपलब्धता **नहीं** होने पर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात् निजी चिकित्सकों को कैम्प में बुलाया जा सकेगा।
8. बोर्ड के सदस्यों को कैम्प स्थल तक लाने व ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ही की जायेगी। उक्त वाहन यथा संभव पूर्व में परियोजना कार्य में संचालित होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में वाहन उपलब्ध **नहीं** होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदन पश्चात् वित्त विभाग की अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाकर व्यय प्रबंधन मद से किया जा सकेगा।
9. एलिम्को तकनीकी दल हेतु आवास व्यवस्था सर्किट हाउस अथवा डाक बंगले में उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।
10. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग नई दिल्ली से ही देय होगा।
11. एलिम्को विशेषज्ञ तकनीकी दल को कोई मानदेय देय **नहीं** होगा।
12. छात्र–छात्राओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जाये।
13. उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
14. बजट के पारदर्शितापूर्ण उपयोग हेतु पूर्व नियोजन के साथ पात्र छात्र–छात्राओं को ही बुलवाया जाये।
15. **व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।**

1.4 क्रियान्वयन के बिन्दु :–

1. एक से अधिक ब्लॉक हेतु कैम्प स्थानीय आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से लगाये जा सकेंगे।
2. कैम्प आयोजन तिथि **(जुलाई–अगस्त, 2024)** एवं स्थान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करायी जाये।

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:15:12 IST
Reason: Approved

3. कैम्पों में गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये तथा उनकी भूमिका निर्धारित की जाये।
4. गत सत्र के शेष रहे विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की संख्या के अनुसार ही मेडीकल असेसमेन्ट सुनिश्चित कराया जाये। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प मे छात्र–छात्राओ की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्ष का कलैण्डर निर्धारित करते हुए छात्र–छात्राओं को संदर्भ कक्ष में बुलाया जाये जिससे संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा निर्धारित संबलन प्रदान किया जा सके।
5. जिन CwSN को पूर्व में अंग–उपकरण दिया गया है उनको नहीं बुलाया जाना है।
6. छात्र–छात्राओं की थैरेपी का आंकलन किया जाकर थैरेपी कार्यक्रम तैयार कराये जाये व संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा तदनुसार क्रियान्वयन किया जाये।
7. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) आयोजन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रेलवे एवं रोडवेज के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये जिससे इन छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, छात्रवृति से संबधित प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाएं हेतु सहयोग प्राप्त हो सकें।
8. कैम्प में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को निम्नांकित दस्तावेज साथ लाने हेतु अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये :–
   - ✓ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स – 4
   - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र
   - ✓ आय प्रमाण पत्र
   - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
9. कैम्प में आधार/जनआधार अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र–छात्रा के अभिभावक का **मोबाईल नम्बर** लिया जाकर अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
10. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) उपमद में राशि कम होने की स्थिति में **Providing Aids and Appliances" उपमद से व्यय किया जा सकेगा। जिसकी स्वीकृति जिले द्वारा पृथक से परिषद से लिया जाना है।
11. समस्त सूचना कैम्प समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट परिषद् मुख्यालय, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. अंग–उपकरण वितरण

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) को सामान्य विद्यालयों की मुख्यधारा में सम्मिलित कराने हेतु समावेशी शिक्षा के तहत फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु अंग–उपकरण वितरण कैम्प जिले स्तर पर आयोजन किया जाना है :–

1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) के आयोजन पश्चात् भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/ नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 13:15:12 IST
Reason: Approved

के आधार पर अग्रिम राशि परिषद् मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी। यह राशि "Providing Aids and Appliances" उपमद के अन्तर्गत आंवटित राशि में से प्रभार्य की जा सकेगी।

2. भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/नई दिल्ली के सहयोग से आयोज्य Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में चयनित विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/नई दिल्ली से अंग–उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एलिम्को से सहमति प्राप्त तिथियों में सामग्री का वितरण किया जायेगा।
4. अंग–उपकरण वितरण कैंम्प में एलिम्को के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से बुलाये जाएंगे जिनके द्वारा छात्र–छात्राओं की आवश्यकतानुसार अंग–उपकरणों का माप लेकर अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें।
5. जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एलिम्को से प्राप्त समस्त सामग्री पात्र छात्र–छात्राओं को वितरित कर दी जाये तथा कोई भी अंग–उपकरण अवितरित <u>**नहीं**</u> रहे।
6. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र–छात्रा के अभिभावक को अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम <u>**तीन दिवस पूर्व**</u> तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
7. अंग–उपकरण उपलब्ध कराने हेतु SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES (ADIP SCHEME) योजना के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।
8. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एलिम्को, कानपुर/नई दिल्ली से ही देय होगा।
9. छात्र–छात्राओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जाये।
10. **अंग–उपकरण वितरण कार्यक्रम पर व्यय समावेशी शिक्षा के** Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) **से किया जा सकेगा। इस हेतु राशि कम होने की स्थिति में कम राशि हेतु परिषद् कार्यालय से अनुमति लिया जाकर Providing Aids and Appliances से प्रभार्य किया जा सकेगा।**
11. बजट की उपलब्धता कम होने की स्थिति में छात्र–छात्राओं को अंग–उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निःशुल्क दिलाये जाये। व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. **परिषद् स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले अंग–उपकरणों की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। उक्त मॉड्यूल पर उपकरणों की विद्यार्थीवार प्रविष्टि की जानी है।**
13. गंभीर दोष से ग्रसित CwSN के शिविर में नहीं आने की स्थिति में अभिभावक को उपकरण दिया जायेगा।

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:15:12 IST
Reason: Approved

14. उक्तानुसार कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करते हुए कैम्प आयोजन के 7 दिवस में प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1640
दिनांक : 20/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:15:12 IST
Reason: Approved

अंग–उपकरण वितरण की सूचना

क्र. सं.	नाम छात्र–छात्रा	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	अंग –उपकरण का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation : [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]3:15:12 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) (Rs. 10,000 per Block)			
		PHY. (ELE.)	FIN. (In Lakh)	PHY. (SEC.)	FIN. (In Lakh)
1	AJMER	11	1.100	11	1.100
2	ALWAR	16	1.600	16	1.600
3	BANSWARA	11	1.100	11	1.100
4	BARAN	8	0.800	8	0.800
5	BARMER	21	2.100	21	2.100
6	BHARATPUR	12	1.200	12	1.200
7	BHILWARA	14	1.400	14	1.400
8	BIKANER	9	0.900	9	0.900
9	BUNDI	5	0.500	5	0.500
10	CHITTAURGARH	11	1.100	11	1.100
11	CHURU	7	0.700	7	0.700
12	DAUSA	11	1.100	11	1.100
13	DHAULPUR	6	0.600	6	0.600
14	DUNGARPUR	10	1.000	10	1.000
15	GANGANAGAR	9	0.900	9	0.900
16	HANUMANGARH	7	0.700	7	0.700
17	JAIPUR	26	2.600	26	2.600
18	JAISALMER	7	0.700	7	0.700
19	JALOR	10	1.000	10	1.000
20	JHALAWAR	8	0.800	8	0.800
21	JHUNJHUNU	11	1.100	11	1.100
22	JODHPUR	22	2.200	22	2.200
23	KARAULI	8	0.800	8	0.800
24	KOTA	6	0.600	6	0.600
25	NAGAUR	15	1.500	15	1.500
26	PALI	10	1.000	10	1.000
27	PRATAPGARH	8	0.800	8	0.800
28	RAJSAMAND	8	0.800	8	0.800
29	SAWAI MADHOPUR	7	0.700	7	0.700
30	SIKAR	12	1.200	12	1.200
31	SIROHI	5	0.500	5	0.500
32	TONK	7	0.700	7	0.700
33	UDAIPUR	20	2.000	20	2.000
	Total	358	35.80	358	35.80

RajKaj Ref
7597903

Signature valid
Digitally signed by Avimal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.10 13:15:12 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर–302017 E-mail: primarypre@yahoo.com

क्रमांक : राजस्कूलशिप/पूर्व प्राथमिक शिक्षा/Portfolio/efile No.139 /2024–25/7962 दिनांक 28.06.2024

बालवाटिका संचालित विद्यालय (महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय) पोर्टफोलियो दिशा–निर्देश 2024–25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 व NCF-FS की अभिशंषाओं के क्रम में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, जो शिक्षा के नियम के रूप में परिभाषित की गई है तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास की अपेक्षा की गई है। समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों का गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सतत् आंकलन किया जाए। सतत् आंकलन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (1006) में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण Early Childhood Care & Education (ECCE) एवं 03 वर्ष की आयु से ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी बनाने के लिए समग्र शिक्षा की स्टार्स वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024–25 में "Child Portfolio Folder for Pre-Primary" गतिविधि हेतु 1006 बालवाटिकाओं के लिए (प्रति बालवाटिका 40 विद्यार्थियों हेतु) 100/– रूपये प्रति विद्यार्थी राशि अनुमोदित की गयी है। उक्त राशि को प्रति बालवाटिका के अनुसार जिलों को जारी किया जाना है एवं जिलो द्वारा संबंधित ब्लॉक को राशि जारी कर विद्यालय स्तर पर गतिविधि सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करें। गुणात्मक शिक्षा के विकास हेतु विद्यालयों में पोर्टफोलियो संधारण के क्रम में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है–

उद्देश्य –

- विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समग्र रूप से देखना।
- सृजनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान करते हुए सहभागिता का आंकलन।
- सह–शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का समेकित निरूपण करना।
- विकासात्मक आयाम के अनुसार विद्यार्थी की प्रगति का समग्र रूप से अध्ययन करना।

विशेष निर्देश –

- एक निश्चित अवधि में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 3 से 6 आयुवर्ग वाले बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में 3 वर्ष तक एक ही पोर्टफोलियो समेकित रूप में संधारित किया जाना है। पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का दर्पण है। पोर्टफोलियो के प्रारम्भ में विद्यार्थी का बेसिक प्रोफाइल कलर पेज में प्रिंट करवाकर लगाया जाए।
- इसमें बच्चे की कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन के दौरान अकादमिक प्रगति के साक्ष्य जैसे– आयामवार नियमित कार्यपत्रक, मौखिक गतिविधियो के आधार पत्र एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास संबंधित दस्तावेज संकलित किए जाए।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

- वर्षपर्यन्त बच्चे द्वारा किये गये कार्यों के दस्तावेज जैसे – कार्य पत्रक, सृजनात्मक कार्य से संबंधित प्रपत्र आदि पोर्टफोलियो में संकलित किये जाए जो बच्चों की विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार अधिगम प्रगति को समयवृद्ध रूप से दर्शाते रहे।
- बच्चे के सृजनात्मक कार्यों यथा मानसिक, शारीरिक विकास के खेलों, नियमों का पालन, आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी, रचनात्मक, कलात्मक और उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए कला गतिविधियों में भागीदारी, संख्यात्मक कौशल और पर्यावरण जागरूकता, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन, उभरते पठन व लेखन कौशल का प्रदर्शन आदि का समावेश पोर्टफोलियो फाइल में पृथक–पृथक संधारित किया जाए।
- बच्चों के द्वारा कक्षा–कक्ष मे किए गए अभ्यास कार्य का नियमित आंकलन/मूल्यांकन किया जावें। इसके अन्तर्गत बच्चे के द्वारा की गई त्रुटियो को संकेत के माध्यम से हाईलाईट किया जाए। साथ ही इन त्रुटियों के सुधार के लिए यथा समय पर्याप्त अवसर दिये जाने है, जिससे बच्चों के द्वारा किए गए कक्षा–कक्षीय कार्यों का समुचित मूल्यांकन कर सुधार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्रक विकासात्मक लक्ष्यों वार संधारित कर शिक्षक द्वारा अवलोकन टिप्पणी अंकित की जाए। अवलोकन टिप्पणी सार्थक एवं सकारात्मक हो। बच्चे द्वारा सृजित मौलिक चित्र आदि को शामिल किया जावें।
- विकास के आयामों से संबंधित अलग–अलग कार्यपत्रक लगाए जावे। न्यूनतम 20 कार्यपत्रक पोर्टफोलियो में संधारित किए जावें।
- पोर्टफोलियो फाइल कवर पर स्कूल का नाम, सत्र, बच्चे का नाम, लिंग एस.आर. नम्बर जन्मतिथि, माता पिता का नाम, एवं सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर व पता अंकित किया जावे। बच्चे की फाइल पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जावें।
- शिक्षक द्वारा बच्चे के कार्यपत्रकों पर गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाए। टिप्पणी में बच्चे के कार्य के बारे में ऐसी टिप्पणी करें जिससे पता चले कि उसने कार्यपत्रक में क्या गलती की है। सीखने के प्रति बच्चे में सकारात्मक सोच विकसित हो एवं भयमुक्त होकर अधिगम कर सकें।
- पोर्टफोलियों में जांच के पश्चात् कार्यपत्रक में शिक्षक द्वारा मय दिनांक हस्ताक्षर एवं नाम अंकित किया जावें।
- पोर्टफोलियों में बच्चे के कार्यपत्रकों को पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में माता–पिता/संरक्षक के साथ बच्चे की प्रगति को साझा किया जावे एवं बच्चे की अतिविशिष्ट योग्यता से अभिभावक को अवगत कराया जावें।
- बच्चों के पोर्टफोलियो का अवलोकन कर विद्यालय की भित्ती पत्रिका पर कार्यपत्रक को प्रदर्शित किया जावें।
- संस्था प्रधान/पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा कलस्टर की बैठकों में विशिष्ट पोर्टफोलियों फाईल का प्रदर्शन कर कार्यपत्रकों को अन्य विद्यालयों को प्रेरणा हेतु साझा किया जावें।
- पोर्टफोलियो हेतु प्राप्त राशि रूपये 100/– का उपयोग निम्नानुसार किया जाए:–

पोर्टफोलियो फाईल (मोटे कवर व स्प्रिंग सहित अच्छी गुणवत्ता युक्त)	30/– रूपये
विद्यार्थी की फोटो	[illegible]
विद्यार्थी प्रोफाइल पेज प्रिंट (कलर)	20/– रूपये

RajKaj Ref
7962159

Signature valid
Digitally signed by Av[illegible]al
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 [illegible]0:51:58 IST
Reason: Approved

कार्य पत्रक हेतु फोटो कॉपी व्यय	30/– रूपये

Samagra Shiksha

Student profile page

Student Photo

School Name : ---------------------------------

Portfolio

Session ....

Student Name : ....

Class : ....

Father Name : ....

Mother Name : ....

Gender : ....

Date of Birth : ....

S.R. No. : ....

NIC ID : .... **Aadhaar No.** ....

Address : ....

Mobile No. (Father) : .... **Mother** ....

Height : .... **Weight** ....

Area of interest : ....

Remark :

....

....

RajKaj Ref 7962159

Signature valid

Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

हमारे दायित्व :–

<u>जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :–</u>

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु ब्लॉक के लिए लिमिट जारी कराना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. जिला, ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. जिले के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

<u>ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :–</u>

1. अनुमोदित आवंटित राशि के अनुसार विद्यालय स्तर पर गतिविधि सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें।
2. कलस्टर एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

<u>क्लस्टर स्तरीय अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के रूप में :–</u>

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु गतिविधियों का आयोजन कराना।
2. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. कलस्टर स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. निर्देशानुसार कलस्टर के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

<u>प्रभारी शिक्षक/संस्थाप्रधान के रूप में :–</u>

1. विद्यार्थी का प्रोफाइल पेज तैयार कर पोर्टफोलियो फोल्डर बनाना/तैयार करना।
2. विद्यार्थी की फोटो बनवाकर पोर्टफोलियो में लगवाना।
3. पोर्टफोलियो में बच्चे के द्वारा सृजित पत्रकों को संधारित करना। शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी दर्ज कर प्रतिपुष्टि प्रदान करना।
4. पोर्टफोलियों में बच्चे के कार्यपत्रकों को पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में माता–पिता/संरक्षक के साथ बच्चे की प्रगति को साझा किया जावे एवं बच्चे की अतिविशिष्ट योग्यता से अभिभावक को अवगत कराया जावे।
5. संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

<u>विशेष :–</u>

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावें।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.25 10:51:58 IST
Reason: Approved

- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें। गतिविधि पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित प्रारुप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्राशि एवं माशि, राजस्थान–बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप–जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त–स्टार्स, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक–शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला प्रभारी (OIC) समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रभारित जिले में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गतिविधि का सम्पादन करायें।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. संस्थाप्रधान – संबंधित विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7962159

Signature valid
Digitally signed by Avimal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

प्रारूप–1

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक ....

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री–प्राइमेरी सेक्शन्स

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नही बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर एडीपीसी**

उक्त प्रपत्र जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।

प्रारूप–2

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .... जिला ....

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री–प्राइमेरी सेक्शन्स

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नही बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर सीबीईओ**

उक्त प्रपत्र ब्लॉक स्तर से समेकित कर जिला स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

प्रारूप–3

कार्यालय .... ब्लॉक .... जिला..
क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री–प्राइमेरी सेक्शन्स

क्र. सं.	कलस्टर का नाम	चयनित विद्यालयों का नाम	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नही बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर संस्था प्रधान**

उक्त प्रपत्र कलस्टर स्तर से समेकित कर ब्लॉक स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid
Digitally signed by Avinal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

Child Portfolio folder for Pre-Primary Sections
District wise count (1006 MGGS)

S.No.	District	No. of School
1	AJMER	33
2	ALWAR	47
3	BANSWARA	31
4	BARAN	18
5	BARMER	19
6	BHARATPUR	34
7	BHILWARA	17
8	BIKANER	52
9	BUNDI	15
10	CHITTAURGARH	29
11	CHURU	53
12	DAUSA	24
13	DHAULPUR	19
14	DUNGARPUR	34
15	GANGANAGAR	17
16	HANUMANGARH	25
17	JAIPUR	137
18	JAISALMER	8
19	JALOR	14
20	JHALAWAR	9
21	JHUNJHUNUN	51
22	JODHPUR	29
23	KARAULI	27
24	KOTA	20
25	NAGAUR	34
26	PALI	30
27	PRATAPGARH	19
28	RAJSAMAND	16
29	S.MADHOPUR	11
30	SIKAR	63
31	SIROHI	19
32	TONK	13
33	UDAIPUR	39
Grand Total		**1006**

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

RCScE

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधि
दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

प्रस्तावना

भारत अपनी युवा आबादी के लिये विश्व स्तर पर जाना जाता है और समय के साथ सबसे युवा राष्ट्र के रूप में उभरा है। किशोरावस्था की आबादी में विशेष रूप से किशोरी बालिकायें अधिकांश परिस्तिथियों में अपराध एवं हिंसा का शिकार होती है। हमारे देश की एक तिहाई से अधिक आबादी की उम्र 18 वर्ष से कम है। बलात्कार, हिंसा, शोषण आदि के बढ़ते मामले हर व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। परन्तु इससे किशोरो व किसी के भी सर्वांगीण विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) 2022 के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाते हैं। प्राप्त आकडो के अनुसार भारत में बच्चे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे है। दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी 4,45,256 मामले दर्ज किये गए। जो हर घंटे लगभग 51 एफआईआर और हर दिन 87 महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाते है। यह हमे किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा के लिये अपनी योजनाओं को और सशक्त तरीके से करने की और प्रोत्साहित करती है।

जब हम राज्य स्तर पर नजर डालते हैं, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामलों के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र (45,331) और राजस्थान (45,058) का स्थान है। बलात्कार गैंगरेप के साथ हत्या किशोरियों के लिये खतरा है। लिंग आधारित भेदभाव की भी हिंसा और अपराध बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में, किशोर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। बालिकाओं की सुरक्षा का मुद्दा उनकी शिक्षा और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल उन्हें सशक्त बनाता है, बल्कि शिक्षा जारी रखने के लिए आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करता है। आत्मरक्षा कौशल से सशक्त बालिकाएं स्कूल और कॉलेज में सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, जिससे वे भयमुक्त होकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी।

उपरोक्त उद्देश्य के साथ रानी-लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि बालिकाएं बुनियादी आत्मरक्षा तकनीकों को सीख सकें। जिसमें वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस कर सकें। जिससे वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

इससे बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मरक्षा के गुण सीखने से प्रचलित रूढ़ियाँ भी टूटेंगी। इस उद्देश्य से राज्य ने वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पायलट आधार पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया गया। समग्र शिक्षा के तहत 2018-19 में यह जेंडर समानता का एक नियमित घटक रहा है और राज्य इस गतिविधि पर सतत रूप से कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में पुनः वर्ष 2024–25 में समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को शारीरिक रूप से आत्मरक्षा तकनीक पर प्रशिक्षित किया जाना है जिससे कि वह मानसिक रूप से भी सशक्त हो सके इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) को संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का लक्ष्य / विजन–

1. बालिकाओं के विद्यालयी ठहराव एवं शिक्षा पूर्ण करने में आने वाली बाधाओं यथा छेड़छाड़ एवं असुरक्षा से मुकाबला करने के लिये उन्हें तैयार करना।

उद्देश्य –

1. शिक्षक–समुदाय–विद्यार्थी की सहभागिता से विद्यालयों को बालिकाओं हेतु सुरक्षित बनाना।
2. समय–समय पर विद्यालय की सुरक्षा का पूर्व निर्धारित सूचकांकों पर स्वआकलन करना।
3. बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाना ।
4. बालिकाओं को अपने अधिकार हेतु जागरूक करना, संभावित खतरों / बाधाओं की पहचान करना और समस्याओं की शिकायत एवं आपसी सहयोग से निराकरण हेतु मानसिक रूप से तैयार करना।
5. बालिकाओं को मार्शल आर्ट सीखने हेतु प्रोत्साहित करना और बालिकाओं की शारीरिक कमजोरी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की पहल करना।
6. बाल–संरक्षण से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को बालिकाओं तक पहुँचाना।
7. पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विशेष प्रावधानों की जानकारी और राष्ट्रीय और राज्य बाल सुरक्षा आयोग एवं महिला आयोग की सूचना तंत्र के बारे में बालिकाओं और बालकों को जागरूक करना।

कवरेज

कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएँ जो कि प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, इस गतिविधि में सम्मिलित की जायेंगी। उक्त गतिविधि का संचालन 18550 उ0प्रा0 एवं 17418 मा0 / उ0मा0 राजकीय विद्यालयों में होगा।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर कैलेण्डर अनुसार तीन माह में कुल 45 दिन हेतु आयोजित किये जायें। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में निरन्तर भी इस गतिविधि को रिक्त कालांश / समयावधि में आयोजित किया जावे।

बजट

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

उक्त गतिविधि अन्तर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिये उच्च प्रा0 विद्यालयों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रुपये 5000/– प्रतिमाह, प्रति विद्यालय अनुमोदित हुए हैं।

गतिविधि हेतु राज्य पर कुल उपलब्ध बजट

Activity	Unit cost in Rs.	Phy			Budget (Rs in Lakh)	Remarks
		Ele	Sec	Total		
Self Defense training	5000 @ per school	18550	17418	35968	927.5 (E) 870.9 (S)	

संचालन –

उक्त अनुमोदित बजट में बालिकाओं को उक्त प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नांकित चरणों में गतिविधियां प्रस्तावित है :–

1. राज्य स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से एक महिला शारीरिक शिक्षिका का आर.पी.ए के सहयोग से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।
2. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से महिला शिक्षिका का 07 दिवसीय प्रशिक्षण।
3. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं का प्रशिक्षण।

1 राज्य स्तर पर एसआरजी प्रशिक्षण (राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर राजस्थान में)– वर्तमान सत्र 2024–25 में राज्य स्तर पर आर.पी.ए के सहयोग से आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर से एक महिला शारीरिक शिक्षिका को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिले द्वारा राज्य के 358 ब्लॉक से एक पीईटी को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लिये जाने हेतु सूची तैयार कर 15 जून 2024 तक पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शिक्षा प्रकोष्ठ की ई–मेल आईडी rajsmsa-girlsedu@rajasthan-gov-in पर भेजा जाना सुनिश्चित करावें।

jkT; Lrj ij vkjih, ds lg;ksx ls flysokj izf'k{k.k gsrq fnukad

क्र.सं.	जिले	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक	संभागी
1	बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर	01.07.2024 से 11.07.2024	89
2	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, बीकानेर	15.07.2024 से 26.07.2024	93
3	बून्दी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर	29.07.2024 से 08.08.2024	87
4	झालावाड़, झुंझनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक	27.08.2024 से 06.09.2024	90
			359

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

प्रशिक्षण व्यय – 10 दिवसीय बेसिक कोर्स हेतु प्रति प्रशिक्षु 12,329/– रूपये की दर से कुल 4413782/– राजस्थान पुलिस अकादमी को भुगतान किया जावेगा। जिसमें भोजन, नाश्ता आवास, गेस्ट फेकल्टी, ट्रेनिंग किट आउटडोर प्रशिक्षण सामग्री सम्मिलित है।

1.2 एस.आरपी प्रशिक्षण मानक एवं अन्य मापदंड –

1. आरपीए से पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
2. संबंधित जिले द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु यथासंभव शारीरिक रूप से सक्षम, 45 वर्ष से कम आयुवर्ग की पीईटी अध्यापिका का चयन किया जावे।
3. यह प्रशिक्षण पूर्ण आवासीय होगा। अतः सभी प्रशिक्षु अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में प्रशिक्षण आरंभ होने से एक दिन पूर्व सांयकाल तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगें।
4. प्रशिक्षणार्थी नीला ट्रैक सूट, सफेद टी–शर्ट एवं सफेद पीटी शूज साथ लेकर आएंगें।
5. प्रशिक्षणार्थी बच्चे साथ लेकर नहीं आएं। बच्चे साथ लेकर आने पर प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. गर्भवती महिला पीटीआई को प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
7. प्रशिक्षण के दौरान दैनिक उपयोग में आने वाला आवश्यक सामान साथ लेकर आवें। भोजन एवं आवास की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण व्यय परिषद द्वारा वहन किया जावेगा।
8. समय–सीमा उपरांत राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं माना जावेगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षु आरपीए के प्रशिक्षण दिशा–निर्देश की संपूर्ण पालना करेंगें।

2nd ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण –

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – प्रत्येक विद्यालय से एक महिला पीईटी/शिक्षिका बालिकाओं हेतु प्रशिक्षक का दायित्व निर्वहन करेगी। इन पीईटी/शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर तैयार करने एवं बाल–अधिकार संबंधित जानकारी देने हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जावेगा। प्रशिक्षण पश्चात उक्त प्रशिक्षक अपने–अपने विद्यालयों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवायेंगें एवं सत्रपर्यन्त कुल 45 दिन (15 दिन प्रतिमाह, तीन–माह) में बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों का अभ्यास करायेंगें। राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं के जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ किये जायेंगें। इस हेतु ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा सकेंगें।

क्र.सं.	जिले	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक	संभागी
1	बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर	22.07.2024 – 28.07.2024	8259
2	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, बीकानेर	01.08.2024 – 07.08.2024	9361
3	बून्दी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर	27.08.2024 – 02.09.2024	8855
4	झालावाड़, झुंझनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक	17.09.2024 – 23.09.2024	9493
	कुल		35968

RajKaj Ref 7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Chaturvedi
Designation : [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

izf'k{k.k O;;

क्र. सं.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	प्रशिक्षणदाता	संभागी	व्यय	कुल व्यय	टिप्पणी
1	ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण (7 दिवसीय गैर आवासीय)	एसआरजी (राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षित) द्वारा	प्रा0वि0 एवं मा0वि0 के प्रत्येक विद्यालय से 01 शारीरिक शिक्षिका/शिक्षिका नोट – विद्यालय में कोई भी शिक्षिका ना होने की स्थिति में पुरुष शिक्षक प्रतिभागी होगा।	300/– रूपये प्रति दिवस प्रति संभागी	75532800/-	यह 35968 विद्यालय का है।
2	टीम निडर का गठन	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय मॉनीटरिंग दल (6 सदस्यीय)	03 प्रा0वि0 से एवं 03 मा0वि0 से शारीरिक शिक्षिका (यथासंभव महिला) 33 जिले के 198 शिक्षिकाएं	700/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिवस (07 दिवस हेतु)	9,70,200/-	पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षिकाओं को टीम नीडर में शामिल किया जावे।

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत आत्मरक्षा प्रशिक्षण (गैर आवासीय)-
व्यय मानक प्रति संभागी (07 दिवसीय गैर आवासीय शिविर हेतु)- 300 : izfr laHkkxh

izfrfnol dk foHkktu

क्र.सं.	व्यय मानक	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	राशि प्रति दिवस रूपये	कुल राशि
1	एक समय का भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल	7 दिवस	50	150	52500
2	प्रशिक्षण स्थल एवं बैठक व्यवस्था	1 बार	50	150	7500
3	पेन, डायरी, टी.एल.एम, स्टेशनरी, बैनर,	1 बार	50	30	1500
4	एसआरजी मानदेय	7 दिवस	2	700	9800
5	शिविर प्रभारी व्यवस्थापक	7 दिवस	1	500	3500
6	संभागी यात्रा भत्ता	7 दिवस	50	50	17500
7	विविध (फोटो कॉपी, लेपटॉप, प्रोजेक्टर, टीएलएम, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में उपयोग हेतु अन्य सहायक सामग्री, किराया इत्यादि)	एकमुश्त			12700
	कुल व्यय				105000

नोट :– यह विभाजन 50 संभागियों के बैच के आधार पर किया गया है। बैच विद्यालयों की संख्या के आधार पर 50 से कम या अधिक (जैसे 45 या 55) हो सकता है।

2.3 प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड :–

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.0 0:17:39 IST
Reason: Approved

1. प्रत्येक बैच में विभाजन के आधार पर संभागियों की संख्या (45–55) के मध्य निर्धारित की जाये। प्रत्येक बैच के लिये 02 प्रशिक्षक नियुक्त किये जाये (एक प्रशिक्षक – वर्तमान सत्र में आरपीए से प्रशिक्षित एवं 01 प्रशिक्षक पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता)।
2. प्रत्येक विद्यालय से शारीरिक शिक्षिका उक्त प्रशिक्षणों में संभागी के रूप में भाग लेंगी। शारीरिक शिक्षिका नहीं होने पर अन्य सामान्य शिक्षिका (संस्थाप्रधान द्वारा चयनित) प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
3. प्रशिक्षण समय–सीमा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

2.4 प्रशिक्षण में शिथिलन का आधार :–

1. गर्भवती शिक्षिका संभागी को।
2. ऐसी शिक्षिका जिसके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
3. ऐसी शिक्षिका जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर।
4. ऐसी शिक्षिका जिनकी सेवानिवृति में 02 वर्ष शेष हो।
5. शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जावे। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की होगी।

नोट :– प्रत्येक शिक्षिका को प्रशिक्षण के पश्चात दिक्षा पोर्टल से जीवन कौशल कार्यक्रम को पूर्ण कर उसका सर्टिफिकेट राज्य स्तर पर प्रेषित करना है।

विद्यालयों में बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा शिविर का आयोजन एवं बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास –

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित पीईटी/अध्यापिका विद्यालय में समस्त बालिकाओं को छोटे समूह में आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के साथ–साथ बालिकाओं के साथ बाल–अधिकार एवं सुरक्षा के सत्रों का भी आयोजन करेंगे। विद्यालय स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर आयोजन के संबंध में निर्देश :–

संस्थाप्रधान की जिम्मेदारियां :–

- प्रशिक्षक/शिक्षक द्वारा संस्थाप्रधान का प्रशिक्षण – आत्मरक्षा तकनीकों एवं चर्चा सत्रों के आयोजन संबंधी समस्त जानकरियां उपलब्ध करायेगा और उसकी कार्ययोजना तैयार करेगा।
- कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 की बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु पृथक–पृथक समूह बनाये जायें।
- संस्थाप्रधान आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यालय समय–सारणी में प्राथमिकता देंगे। प्रशिक्षक द्वारा चर्चा–सत्रों को भी समय–सारणी में सम्मिलित किया जाये।
- प्रशिक्षण पश्चात नियमित अभ्यास हेतु संस्था प्रधान यथासंभव अभ्यास करवाया जाने का भी सुनिश्चित करें।
- शिविर प्रभार एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण का दायित्व महिला शारीरिक शिक्षक का होगा। उक्त विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षक पदस्थापित न होने की स्थिति में निकटस्थ विद्यालय जहां महिला पीईटी के कार्यादेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जा सकेंगें। सहयोग के रूप में विद्यालय से अन्य महिला शिक्षक को लगाया जा सकेगा।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avishal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:17:39 IST
Reason: Approved

- बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर नियमित अभ्यास के पूरे अवसर मिलें और प्रशिक्षक/पीईटी की देखरेख में हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।
- भोजन के तुरन्त बाद किसी तरह का शारीरिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- किसी भी बालिका को विद्यालय परिसर से बाहर अथवा विद्यालय समय से पूर्व/बाद में संस्थाप्रधान अथवा एसएमसी/ एसडीएमसी की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- प्रत्येक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल का गठन किया जाना है। वर्तमान सत्र में बालिकाओं हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक कक्षा से इच्छुक छात्राएं भाग ले सकेंगी। विद्यालयों में तीन–माह में कुल 45 दिन हेतु (30 मिनट का अभ्यास) बालिकाओं के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।
- उक्त शिविर हेतु (25 – 30 छात्राओं) बालिकाओं के नाम का चयन करें एवं रिकार्ड संधारित करें। यह शिविर गैर आवासीय होगा एवं विद्यालय समय के दौरान आयोज्य होगा। प्रशिक्षण हेतु समय–सारिणी विद्यालय समय के अनुरूप निर्धारित होगी।

नोट :– बैच में प्रतिभागियों की संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित लक्ष्य से अधिक (प्रधानाचार्य की अनुशंषा से) भी रखी जा सकती है।

विद्यालय स्तर पर बजट प्रावधान

क्र.सं.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	प्रशिक्षण स्थल	दिनांक	संभागी	व्यय
1	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर (नवीन)	विद्यालय स्तर	07 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024	कक्षा 06–12 की चयनित एवं दल का प्रतिनिधित्व करने वाली 20–25 छात्राएं	प्रति विद्यालय 2650/– रुपये (1000/– रुपये पोस्टर बैनर, फोटोकॉपी एवं अन्य विविध तथा 1650/– रुपये बालिकाओं हेतु अल्पाहार)

नोट :– 2 पोस्टर्स विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बना कर आपको प्रेषित किए जायेगें। जिनकी 3–3 प्रतियां बनाकर प्रत्येक विद्यालय में प्रदर्शित किया जाना हैं एवं उक्त पोस्टर्स पर विद्यार्थियों से चर्चा की जानी है।

बालिकाओं के साथ शिविर संचालन के दिशा निर्देश :–

1. शिविर में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।
2. विद्यालय स्तर पर प्रदान किये जा रहे बजट से बालिकाओं का प्रातःकालीन एवं सांयकालीन अल्पाहार एवं आवश्यकतानुसार आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे – अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु प्रचार–प्रसार की सामग्री (पोस्टर/बैनर) एवं अन्य आवश्यक सामग्री यथा गद्दे, दरी इत्यादि।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाये।
4. प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को पहले से सूचना प्रदान की जाये कि वे इस हेतु मानसिक रूप से तैयार रहें एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित ट्रैकसूट (व्हाईट टीशर्ट एवं ब्लू लोवर, स्पोर्टस शू ब्लू या व्हाईट कोई भी) आवश्यक पोशाक जूते उपलब्धता के आधार पर साथ लेकर आयें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण पोशाक हेतु भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा सकता है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास कोष के माध्यम से एसडीएमसी/एसएमसी की सहमति से सहयोग लिया जा सकता है।
5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री – मैट, फोम पैड, पंच पैड, चेस्ट गार्ड, हैड गार्ड, ढाल, तुर्रा, बुडन स्टिक, नान चाकू, ढोल।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avimal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.10 10:17:39 IST
Reason: Approved

नोट :– उपरोक्त सामग्री को विद्यालय में उपलब्धता के आधार पर प्रयोग में ली जाये। 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गये 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रयोग किया जाये।

6. सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ पीईईओ द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिविर केन्द्रों का गहन अवलोकन किया जाये एवं बालिकाओं को संबलन प्रदान करें।
7. विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को चाईल्ड हैल्पलाईन नं0 की जानकारी के साथ–साथ उसका उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं डेमोंस्ट्रेशन दिया जायें ताकि बालिका अपने साथ हो रहे हिंसा/अपराध की शिकायत दर्ज कर सके।
8. शिविर आयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय को एकमुश्त राशि 2650/– रूपये प्रति विद्यालय परिषद द्वारा प्रदान की जा रही है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान आईईसी सामग्री (पोस्टर/बैनर्स) बालिकाओं हेतु अल्पाहार, बालिकाओं हेतु सर्टिफिकेट, प्रशिक्षणों के दौरान काम में आने वाली अन्य मूलभूत सामग्री हेतु किया जायेगा।
9. **बीट–कान्स्टेबल द्वारा विद्यालय विजिट** –समस्त विद्यालय अपने निकटतम पुलिस स्टेशन से सम्पर्क कर थाना–प्रभारी एवं बीट कान्स्टेबल को विद्यालय में छात्राओं–छात्रों से चर्चा करने हेतु आमंत्रित करे। चर्चा में बाल–सुरक्षा, प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लेख हो। छात्राओं को संदर्भ व्यक्ति से अपने सवाल करने एवं बात कहने हेतु व्यक्तिगत बातचीत के आयोजन का भी प्रावधान किया जाये। बालिकाओं से पर्चियों पर भी अपनी उलझन/समस्या/असुरक्षा को साझा किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

मॉनीटरिंग एवं अभिलेख संधारण –

1. प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात् समस्त संभागियों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से प्री–टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना होगा। फीडबैक गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जायेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को गूगल फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा।
2. आत्मरक्षा शिविर एवं प्रतिदिवस आत्मरक्षा अभ्यास प्रक्रिया में भाग लेने वाली बालिकाओं की संख्या शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा भरी जायेंगी। यह प्रक्रिया शाला दर्पण मॉड्यूल में अपडेट की जायेगी। प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के फोटोग्राफ्स शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें।
3. राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों की मॉनीटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
4. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान, मॉनीटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण, सीबीईओ कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।
5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण की विषय विशेषज्ञों के माध्यम से मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर 06 सदस्यीय मॉनीटरिंग कमेटी टीम निडर का गठन पूर्व के वर्षो में किया गया है। जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में सहयोग एवं मॉनीटरिंग दायित्व प्रदान किया जायेगा।
6. गतिविधि सम्पन्न होने के पश्चात् रेण्डम सेम्पलिंग मूल्यांकन पद्धति से चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन किया जायेगा।
7. प्रशिक्षण व पोस्टर्स पर चर्चा की फोटोज, बालिकाओं के साथ सत्रों के संचालन की अच्छी फोटोज आपको परिषद स्तर पर गूगल ड्राईव के माध्यम से साझा करनी होगी।
8. संबंधित गतिविधि के प्रत्येक स्तर के फोटो व विडियो परिषद स्तर पर भेजे जायें।
9. गतिविधि से संबंधित प्रत्येक जिले से दो केस स्टोरी परिषद मे साझा की जाये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]0:17:39 IST
Reason: Approved

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।

2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : 1778 दिनांक : 26-06-2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3 जिला कलेक्टर्स, समस्त जिले।
4 निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी।
5 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक –1, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
10 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित सी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
11 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ।
12 संबंधित ब्लॉक के सीबीईईओ एवं पीईईओ।
13 प्रधानाध्यापिका / वार्डन समस्त केजीबीवी।
14 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.26 10:17:39 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन न. 0141-2715816, Email :- rajsmsa.girlsedu@rajasthan.gov.in

RCSCE

अंतर–राज्यीय डायवरसिटी एक्सप्लोरेशन भ्रमण
दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

संकल्पना–

2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम की शुरूआत भारत की विविधता को एकता के रूप में मनाने के लिए की गई थी। यह पहल राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने, हमारी विविध धरोहर और संस्कृति का प्रदर्शन करने, अर्थपूर्ण व्यापारों की अनुकूलित प्रगति करने, और एक अनुकूल शिक्षा परिवेश को उत्पन्न करने का प्रयास करती है। राज्यों के साझा विचार के सिद्धांत के माध्यम से, अंतर–राज्यीय संबंधों को बढ़ावा देने और विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच सामंजस्य को बढ़ाने के उद्देश्य से यह गतिविधि करायी जाती रही है।

वर्तमान में प्रौद्योगिकी ने कनेक्टिविटी और संचार के माध्यमों से दूरियों को काफी हद तक कम कर दिया है। साथ ही, सामंजस्य और विश्वास देश की शक्ति के आधार हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि छात्र भारत के प्रत्येक राज्य में सांस्कृतिक रूप से एकीकृत महसूस करे।

लक्ष्य–

सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ करने और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के समस्त कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की छात्राओं के लिए अंतर–राज्यीय (मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तरप्रदेश) "डायवर्सिटी एक्सप्लोरेशन भ्रमण" किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को अन्य राज्यों की भाषा, साहित्य, त्यौहार, सांस्कृतिक आयोजन, पर्यटन, खान–पान आदि क्षेत्रों में एक–दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। भ्रमण के पश्चात् केजीबीवी विद्यालयों की छात्राएं अन्य बालिकाओं के साथ अपना अनुभव साझा करेंगी। साथ ही प्रति वर्ष होने वाले किशोरी मेले में भी अलग–अलग माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करेंगी।

अन्तर्राज्यीय डायवरसिटी एक्सप्लोरेशन भ्रमण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

i- सांस्कृतिक विविधता को समझना एवं छात्राओं को अन्य राज्यों की विभिन्न संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं, और लोक कलाओं से अवगत होने के अवसर उपलब्ध कराना।

ii- राज्य की शिक्षा प्रणाली का अनुभव :– छात्राओं को अन्य राज्यों की शिक्षा प्रणाली (वातावरण) का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है।

Signature valid

Digitally signed by A[illegible] Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.26 [illegible]0:50:38 IST
Reason: Approved

iii- नए दृष्टिकोण का विकासः– छात्राओं को अन्य राज्यों की जीवनशैली, व्यवहार और समाज को देखने एवं दृष्टिकोण को समझने का अवसर उपलब्ध कराना है।

iv- सामाजिक संवादः– अन्य राज्यों के विद्यार्थियों एवं वहां के स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर छात्राओं का सामाजिक विकास के अवसर प्रदान कराना है।

v- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के निवासियों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु छात्राओं के चयन का आधार :

- छात्राओं का चयन शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- यदि किसी परिस्थितिवश प्रथम स्थान प्राप्त बालिका भाग नहीं ले पाती है तो इस स्थिति में द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रा का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भ्रमण से पूर्व परिषद कार्यालय को कारण सहित प्रेषित की जानी आवश्यक है।

गतिविधि का विवरण	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय विद्यालय	बालिकाओं की संख्या	चयनित कक्षा की बालिका	चयन का आधार
अंतर्राज्यीय यूनिवर्सिटी एक्सप्लोरेशन लर्निंग विजिट	टाइप-1	55	कक्षा 7	बालिका जिसने सत्र 2023-24 में इन कक्षाओं में शैक्षिक रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो।
	टाइप-3	259	कक्षा 8 एवं 10	
	टाइप-4	128	कक्षा 10	
	मेवात बालिका आवासीय विद्यालय	10	कक्षा 7	
Total		452		

अन्तर्राज्यीय भ्रमण की तैयारी से सम्बन्धित निर्देश–

1. **प्रत्येक केजीबीवी से शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एक ही छात्रा का चयन करना होगा।**
2. **टाईप–3 की केजीबीवी से कक्षा 06–08 की एक छात्रा एवं कक्षा 09–12 की एक छात्रा का चयन किया जाएगा।**
3. भ्रमण से पूर्व ही चयनित छात्राओं के माता–पिता से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. छात्राओं के भ्रमण पर जाने से पूर्व सामान्य स्वास्थ्य जाँच हो।
5. उक्त भ्रमण अक्टूबर 2024 से पूर्व किया जाना प्रस्तावित है।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक व परिषद् भ्रमण दल के लिये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, भोजन,चाय–नाश्ता आदि हेतु दल प्रभारी नियुक्त करेगा।
7. लर्निंग विजिट हेतु राज्य के स्थानों का चयन औचित्यपूर्ण तरीके से किया जाये एवं विस्तृत एजेंडा तैयार किया जाये।

Signature valid
Digitally signed by [illegible]al Chaturvedi
RajKaj R… 78269…
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] 0:50:38 IST
Reason: Approved

8. बालिकाओं को जिस राज्य का भ्रमण करवाया जा रहा है भ्रमण से पूर्व उस राज्य से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी छात्राओं को दी जाये, जिससे भ्रमण और ज्यादा ज्ञानवर्द्धक एवं रूचिपूर्ण हो सके।

9. परिषद् स्तर से भुगतान स्वीकृति उपरान्त इस गतिविधि का आयोजन किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : 1779

दिनांक : 26-06-2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3 जिला कलेक्टर्स, समस्त जिले।
4 निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी।
5 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक –1, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित बी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ।
11 संबंधित ब्लॉक के सीबीईईओ एवं पीईईओ।
12 प्रधानाध्यापिका/वार्डन समस्त केजीबीवी।
13 रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.26 10:50:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
782890

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी शिक्षा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन न. 0141-2715514, Email :- rajsmsa.girlseduc@rajasthan.gov.in

RCSCE

क्रमांक रास्कूशिप/जय/बालिका शिक्षा/सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस/2024-25/1777 दिनांक 26/06/2024

सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस कार्यक्रम
दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

प्रस्तावना:–

समस्त टाइप 1 और टाइप 3 कस्तूरबा गाँधी और मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के साथ "सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस" कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर अनेक परिवर्तन होते हैं। शोध दर्शाते हैं कि 60 प्रतिशत से अधिक लड़के–लड़कियाँ अपने पसंदीदा गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व के प्रति असहज महसूस करते हैं। गतिविधियों में शामिल नहीं होने से उनका आत्मविश्वास कम होता है, जिससे वे कक्षा में सिखने–सिखाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते है। यह उनके समग्र विकास में बाधा डालता है। इस उम्र में विद्यार्थियों के साथ उनकी सेल्फ एस्टीम को मजबूत करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे उनके नेतृत्व कौशल को मजबूती मिलेगी। यह उनके परिवार, समाज व कक्षा–कक्ष में उनकी भागीदारी को बढ़ायेगा। ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षण प्रक्रिया में ऐसी गतिविधियाँ शामिल करना आवश्यक है, जो इस आयु वर्ग के किशोर–किशोरियों को उनकी पहचान बनाने और स्वयं का सही आकलन करने में मदद कर सके।

विद्यालय में ऐसे माहौल को उपलब्ध कराने और उस पर संवाद स्थापित करने के लिए आधाफुल की 6 मोशन कॉमिक RSCERT के तत्वाधान में UNICEF के साथ मिलकर तैयार की गई हैं।

कवरेज

राज्य के टाइप 1 एवं टाइप 3 के कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में अध्यनरत समस्त बालिकाएं इस गतिविधि में सम्मिलित की जायेंगी।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में अपने शरीर के प्रति आत्मविश्वास और सकारात्मक समझ बनाने के लिए प्रेरित करना।

RajKaj Ref
7761943

Signature valid
Digitally signed by Anupama Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.2? ?0:23:05 IST
Reason: Approved

- विद्यार्थियों में जेंडर सबंधी समझ, नकारात्मक बॉडी टॉक और मिडिया के ऋणात्मक प्रभावों को समझने के अवसर उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों को अपने एवं दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए बॉडी चैम्पियन बनने के लिए प्रेरित करना।

आधाफुल मोशन कॉमिक्स क्या है:–

"आधाफुल मोशन कॉमिक्स को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिको और शारीरिक छवि विशेषज्ञों के सहयोग से बनाया गया है। इन कॉमिक बुक्स को बनाते समय शरीर की छवि (बॉडी इमेज) से जुड़े शोधों का उपयोग किया गया है ताकि किशोर अपने व्यक्तित्व के प्रति आत्मसम्मान महसूस करे सके। "आधाफुल–आत्म सम्मान एवं बॉडी कॉन्फिडेंस" कार्यक्रम में छह अलग–अलग विषयों के अंतर्गत छह मोशन कॉमिक्स को शामिल किया गया गया है:–

कॉमिक बुक संख्या	कॉमिक बुक का टाईटल	कॉमिक बुक की मुख्य थीम
1	खजाने का नक्शा	जेंडर आधारित रूढ़ियाँ (Gender Stereotypes)
2	बदलीपुर के चीते	आदर्श रूप (Appearance Ideals)
3	फिल्म स्टार का अपहरण	मीडिया में आदर्श रूप (Appearance Ideals in Media)
4	गायब हाथी	रूप–रंग की तुलना को समझना (Comparing looks)
5	खतरे में बदलीपुर	शारीरिक बातों से जुड़ी हानिकारक बातों पर संवाद (Dialogue on managing negative body talks)
6	बोलती चट्टान	चलिए बदलाव लाएँ (Becoming body confident)

- प्रत्येक मोशन कॉमिक बुक आत्मसम्मान और सकारात्मक बॉडी इमेज से जुड़े किसी एक मुद्दे पर आधारित है।
- प्रत्येक मोशन कॉमिक बुक पर लगभग 60 मिनट का एक सत्र है।
- एक सप्ताह में एक कॉमिक बुक पर कार्य किया जाना अपेक्षित है।
- विद्यालय/छात्रावासों में शिक्षकों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण में भागीदारी के आधार पर कक्षा 6 से 8 के साथ अलग–अलग कार्य किया जाना है
- मोशन कॉमिक पर सत्रों का आयोजन शनिवार को किया जा सकता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधिया प्रस्तावित है:

- कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों/ वार्डन का राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के पश्चात् प्रत्येक वार्डन एवं शिक्षिका को RSCERT द्वारा दिक्षा पोर्टल/ UniLearn पर "आत्म सम्मान एवं बॉडी कॉन्फिडेंस" कोर्स पर बनाये गए ऑनलाइन कोर्स को पूर्ण करना अनिवार्य है व कोर्स सम्बन्धित सर्टिफिकेट प्राप्त कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाना है।

RajKaj Ref
7761943

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]0:23:05 IST
Reason: Approved

- प्रशिक्षण के पश्चात् कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में नो बेग डे पर कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के साथ 6 मोशन कॉमिक पर सत्र संचालित करना।
- सत्र संचालन के पश्चात् प्रत्येक बालिका दिक्षा पोर्टल से सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस कार्यक्रम का सेल्फ असेस्मेंट कर स्वयं के हेतु बॉडी कॉन्फिडेंट चैम्पियन सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। यह सर्टिफिकेट भी बाद में ऑनलाइन फोल्डर के माध्यम से राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा।

मोशन कॉमिक पर सत्र संचालन के दिशा निर्देश–

सत्र पूर्व तैयारी–

- मोशन कॉमिक्स पर सत्रों के आयोजन से पूर्व सॉफ्ट में दी गई शिक्षक मार्गदर्शिका (जो केवल शिक्षिकाओं के लिए है) को आवश्यक रूप से पढ़ें और तैयारी करें।
- इस मार्गदर्शिका को पढ़ने से पूर्व आप मोशन कॉमिक्स देख ले। इससे आपको शिक्षक मार्गदर्शिका को समझने में मदद होगी ।
- बच्चों के साथ मोशन कॉमिक पर सत्र लेने के दौरान शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए क्रम का आवश्यक रूप से पालन करें।
- सत्र से पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री से स्वयं परिचित हो जावे।
- जांचे कि कक्षा में प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी आदि सही से कार्य कर रहा हो।
- सत्र के दौरान अपनी भाषा को अनुकूलित रखें।
- प्रत्येक सत्र पर लगभग 45 मिनट का समय रखे।

सत्र के दौरान

- सत्र की शुरूआत में प्रत्येक कॉमिक बुक की थीम पर आवश्यक रूप से बच्चों के साथ चर्चा करें।
- कॉमिक बुक पर काम करने के दौरान बच्चों को थीम सम्बन्धित अनुभवों को साझा करने का अवसर उपलब्ध कराएं।
- शिक्षक साथी आध्यायुत की कॉमिक बुक्स के अंत में दी गई गतिविधियों को (कि 'अवश्य खेलें' और' इच्छा हो तो यह भी खेलें' के शीर्षक से है) सत्र लेने के दौरान या पश्चात इन गतिविधियों को आवश्यक रूप से करवाए।
- कॉमिक के अंत में दिए गए प्रमुख संदेश पर बच्चों के साथ आवश्यक रूप से चर्चा करें।
- कॉमिक पर बच्चों को समूह में काम करने के अवसर दें। बच्चों से प्रत्येक कॉमिक पर चार्ट, पोस्टर्स तैयार करवाएँ और कक्षा– कक्षों में चस्पा करे। बच्चों द्वारा तैयार किए गए चार्ट पोस्टर्स को व्हाट्स अप समूह में साझा करें।

RajKaj Ref
7761943

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Chaturvedi
Designation [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:23:05 IST
Reason: Approved

- प्रत्येक कॉमिक पर सत्र होने के बाद विद्यार्थियों से कहे कि वे इन कॉमिक की कहानियाँ, मुद्दों और सीख को अपने अभिभावकों एवं दोस्तो के साथ साझा करे। अगले दिन प्रार्थना में या कक्षा–कक्ष में उनके अनुभवों को जाने।
- गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करें।
- प्रत्येक कॉमिक बुक पर काम करने के पश्चात बच्चों से अनुभव लिखवाएँ और बच्चों के लिखित अनुभवों को फाइल में संधारित करे।

सत्र पश्चात्–

- प्रत्येक कॉमिक पर बच्चों के साथ सत्र आयोजन के तुरंत पश्चात डेटा संकलन के लिए बनाए गए टूल को आवश्यक रूप से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भरें।
- कॉमिक पर आयोजित किए गए सत्रों के फोटोज और वीडियो सेल्फ एस्टीम व्हाट्स ग्रुप में आवश्यक रूप से शेयर करें।
- इन 6 मोशन कॉमिक को विद्यालय की गतिविधियों में संसाधन के रूप में उपयोग करना जैसे कक्षा–कक्ष की प्रक्रियाओं में डिजिटल कॉमिक को शामिल करना, पुस्तकालय व मीना–राजू मंच की गतिविधियों में शामिल करना।
- विद्यालय स्तर पर मनाये जाने वाले दिवस (15 अगस्त, 26 जनवरी,) व प्रार्थना सभा, बाल संसद, अभिभावक बैठक, एस.एम.सी. बैठक आदि पर भी बच्चों को कॉमिक की थीम पर नाटक तैयार कर प्रस्तुतीकरण के अवसर उपलब्ध कराएं।
- कॉमिक से संबन्धित तैयार किए गए नाटकों को प्रार्थना सत्रों के दौरान भी सामुहिक रूप से प्रस्तुत करवाया जा सकता है।
- कॉमिक को आप कक्षा–कक्ष में पाठों के साथ काम करने के दौरान भी उपयोग करें। अपने विषयों के उन पाठों को छाँटे जो कॉमिक की थीम से मिलते जुलते है। इसके लिए आप आरएससीईआरटी द्वारा बनाए गए नोट कॉमिक और सेलेबस को आवश्यक रूप से पढ़ें।

बजट विवरण:–

Special project for equity

S. No.	Activity	Ele			Total	
		Phy	Unit cost	Financial	Physical	Financial
1	Self esteem and body confidence	210	0.015	3.15	210	3.15

RajKaj Ref 7761943

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.10 10:23:05 IST
Reason: Approved

वार्षिक गतिविधि कैलेंडर

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा											
		2024									2025		
		April	May	June	July	Aug.	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1	गतिविधि सम्बन्धित गाइडलाइन												
2	सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस कार्यक्रम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण												
3	सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट को पूर्ण कर सर्टिफिकेट को स्टेट पर साझा/जमा करना।												
4	नोडल प्रिंसिपल,छ,विछ,छ का ऑनलाइन प्रशिक्षण												
5	कक्षा/ छात्रावास में गतिविधियों को छात्राओं के साथ करना												
6	सफलता की कहानियां राज्य पर साझा करना												

प्रशिक्षण मानक एवं अन्य मापदंड

1. प्रशिक्षण में उन्ही का चयन करे जो आगे जाकर पूरे अकादमीक सत्र में विद्यार्थियों के साथ स्वयं सत्र संचालित कर रही हों ।
2. सभी प्रशिक्षु अपनी सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ प्रशिक्षण आरम्भ होने से पूर्व अपनी उपस्तिथि दर्ज करायेंगे।
3. प्रशिक्षण समय–सीमा के अनुसार प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय व मेवात बालिका आवासीय विद्यालय से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण में उन अध्यापिकाओं को शामिल नहीं करे, जिनकी प्रतिनियुक्त समाप्त होने में 6 माह से कम समय शेष है।
5. इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की होगी।

मॉनीटरिंग एवं अभिलेख संधारण –

1. प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात् समस्त संभागियों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से प्री–टेस्ट एवं पोस्ट टैस्ट देना होगा। फीडबैक गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जायेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को गूगल फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा।
2. राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों की मॉनीटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
3. गतिविधि सम्पन्न होने के पश्चात् रेण्डम सेम्पलिंग मूल्यांकन पद्धति से चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकार, सी.बी.ओ, ऐ.सी.बी.ओ आदि द्वारा की जाएगी।

RajKaj Ref
7761943

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation : [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:23:05 IST
Reason: Approved

केस स्टोरी/सक्सेज स्टोरी प्रपत्र

सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट

केस स्टडी–बच्चे/शिक्षिका/वार्डन का नाम

शीर्षक : आपकी स्टोरी का टाइटल जैसे " रंग–रूप नहीं काम से बनाओ पहचान"

प्रणाली (Strategies)	प्रसंग विषय (Comic Book Theme)	जनसंख्या समूह (Population Group)
किस छात्रियों/शिक्षक/वार्डन द्वारा की गई पहल		विद्यार्थी/शिक्षक/वार्डन

- सार संक्षेप आपकी पूरी केस स्टडी का सार फोटो के साथ।
- प्रसंग व पृष्ठभूमि जिसकी भी केस स्टडी उसकी पृष्ठभूमि के बारे मे जैसे परिवार, समाज, गाँव आदि की जानकारी।
- क्या किसी प्रकार का मूल्यांकन किया ? इसकी सफलता के बारे में लिखें– (जो उसने किया उससे उसे क्या सफलता मिली)।
- किसी प्रकार की और कोई सूचना जिसकी केस स्टोरी है (उसके स्वयं के कथन/वक्तव्य)।

<u>सम्पर्क सूत्र</u>–

नाम:

कक्षा:

राज्य: राजस्थान

जिला:

केजीबीवी का पूरा नाम:

मोबाइल नम्बर:

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक रा.प्र./राजस्कूशिप/जस/बालिका शिक्षा/सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस/2024–25/ दिनांक : / /2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी।

RajKaj Ref
7701943

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Chaturvedi
Designation : [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible]:23:05 IST
Reason: Approved

4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित बी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ।
10. संबंधित ब्लॉक के सीबीईईओ एवं पीईईओ।
11. सम्बन्धित केजीबीवी नोडल संस्थाप्रधान।
12. प्रधानाध्यापिका/वार्डन समस्त केजीबीवी।
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7761943

Signature valid

Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible]0:23:05 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715580 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2024–25 / 1601

दिनांक : 19/6/2024

दिशा–निर्देश
(सत्र 2024–25)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024–25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2024–25 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र–छात्राओं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :–** 10 माह के लिए
- **राशि :–** ₹450 / –प्रति माह

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 20:16:09 IST
Reason: Approved

- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2024 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	—	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	—	सदस्य सचिव
3.	सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	—	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	—	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	—	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र-छात्राओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र-छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2024	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2024	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2025	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र-छात्राओं को परिहवन भत्ता** (Transport Allowance) **की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र-छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशी शिक्षा की उपमद** "Transport Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

<u>विशेष बिन्दु :-</u>

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके।**

RajKaj Ref 7529380

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 20:16:09 IST
Reason: Approved

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र–छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी अनुभाग को भिजवाएं।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र–छात्रा के बैंक खाते में/ गंभीर दोष वाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावक तथा छात्र–छात्रा के संयुक्त खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र–छात्राओं के **बैंक खाते में** परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**
- **छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।
- विद्यालय स्तर/पीईईओ स्तर से मॉड्यूल में CwSN विद्यार्थियों की मदवार/भत्तेवार एन्ट्री की जायेगी

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➤ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024–25/ 1601
दिनांक : 19/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा...लिंग.....................
2. पिता का नाम...मोबाइल.........................
3. जन्म तिथि...कक्षा...
4. स्थानीय पूर्ण पता...
5. एस.आर. न0..दोष का प्रकार एवं प्रतिशत...............................
6. पीईईओ/यूसीईईओ...ब्लॉक.....................................
7. विद्यालय..डाईस कोड.......................................
8. आधार कार्ड नम्बर..
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा..जनआधार नं.............................
10. बैंक का नाम...IFSC Code..................................
11. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम..
13. क्या छात्र/छात्रा घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है
....
....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹.........................प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र–छात्राओं.. पुत्र/पुत्री श्री...विद्यालय..को परिवहन भत्ता ₹......................... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित..........

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avinal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2024-25

S.N.	Name of District	Transport Allowance (Rs. 450/ per Month for 10 Months)			
		PHY (ELE)	FIN (in Lakh)	PHY (SEC)	FIN (in Lakh)
1	AJMER	1266	56.970	493	22.185
2	ALWAR	1250	56.250	650	29.250
3	BANSWARA	480	21.600	180	8.100
4	BARAN	398	17.910	160	7.200
5	BARMER	850	38.250	350	15.750
6	BHARATPUR	600	27.000	400	18.000
7	BHILWARA	950	42.750	400	18.000
8	BIKANER	410	18.450	220	9.900
9	BUNDI	400	18.000	200	9.000
10	CHITTAURGARH	550	24.750	200	9.000
11	CHURU	640	28.800	230	10.350
12	DAUSA	525	23.625	270	12.150
13	DHAULPUR	400	18.000	130	5.850
14	DUNGARPUR	283	12.735	104	4.680
15	GANGANAGAR	1205	54.225	550	24.750
16	HANUMANGARH	897	40.365	312	14.040
17	JAIPUR	837	37.665	375	16.875
18	JAISALMER	180	8.100	70	3.150
19	JALOR	350	15.750	250	11.250
20	JHALAWAR	900	40.500	380	17.100
21	JHUNJHUNU	550	24.750	150	6.750
22	JODHPUR	500	22.500	250	11.250
23	KARAULI	250	11.250	250	11.250
24	KOTA	385	17.325	99	4.455
25	NAGAUR	945	42.525	650	29.250
26	PALI	450	20.250	250	11.250
27	PRATAPGARH	165	7.425	76	3.420
28	RAJSAMAND	575	25.875	250	11.250
29	SAWAI MADHOPUR	500	22.500	150	6.750
30	SIKAR	450	20.250	320	14.400
31	SIROHI	350	15.750	280	12.600
32	TONK	290	13.050	125	5.625
33	UDAIPUR	850	38.250	410	18.450
	Total	**19631**	**883.40**	**9184**	**413.28**

RajKaj Ref
7529380

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.19 10:16:09 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फोन नं: 0141-2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / Volunters / दिशा-निर्देश / 2024-25 / 1557 दिनांक 14/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण कार्य एवं प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियो में नवाचारों को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित किये जाने का कार्य शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओ में है। शिक्षको के सामने सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों की नियमित शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना एवं कक्षा स्तर से कम अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम स्तर तक लाना एवं नवाचारों के अवसरों को प्राप्त करना है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास को बल मिल सके। इसके लिए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कुछ वैकल्पिक सुविधाओं की शुरुआत भी की गई है जैसे कि–स्माइल, आओं घर में सीखे, मिशन समर्थ, शिक्षा वाणी (रेडियो कार्यक्रम), शिक्षा दर्शन (दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम), लर्निंग बेस्ड वर्कशीट्स (हिंदी, इंग्लिश, गणित), वीडियो कालिंग, व्हाट्स एप्प ग्रुप बनाकर वीडियो लिंक साझा करना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को कॉलिंग करना, गृहकार्य देकर जाँच करना, मीना / राजू की कहानियाँ, अम्माजी कहती थी कहानी इत्यादि।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को मजबूत करने एवं सकारात्मक सहयोग करने के लिए शिक्षकों के साथ वॉलिंटियर्स के कई प्रभावी अनुभव सामने आये हैं। वॉलिंटियर सदस्य – जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ जुड़े रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक–बालिकाओ के सीखने की प्रक्रिया एवं उनके आत्मविश्वास में कमी ना आने पाये।

इस अनुभव और इसकी प्रासंगिकता से सीखते हुए समुदाय के सेवाभावी दक्ष युवा और अनुभवी बुजुर्ग व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों आदि को वॉलिंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नयी पहल शुरू की जा रही है। **वॉलिंटियर्स के रूप में उनका लाभ विद्यार्थियों के सर्वांगीण उन्नयन में लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।**

इन वॉलिंटियर्स को कैरियर, मार्गदर्शन, माता–पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी / एसडीएमसी के साथ बातचीत, बालक–बालिकाओं की गृह कार्य की छोटी–छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसे विषयो पर संवाद शुरू करने जैसे

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार, जेंडर, बाल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षित कर वॉलिंटियर्स को अधिक उपयोगी बनाया जायेगा।

वॉलिंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गये अधिक कमजोर विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय/विद्यालयों/शिक्षकों/माता-पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजदीक लायेगी और एक सकारात्मक भागदारी से आगे बढ़ने की पहल होगी।

इन सभी प्रयासों का फील्ड पर असर तभी प्रभावी हो सकता है जब इन सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन समय-समय पर सुनियोजित तरीके से हो। ग्राम स्तर पर गाँव के बहुत से शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवा अपने गांवों में नवाचारों और सुधारों को लागू करवाना चाहते है, इस हेतु उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा मंच की आवश्यकता होती है। अतः सामुदायिक वॉलिंटियर एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो **निस्वार्थ भाव** से लोगों की मदद करते हैं तथा सामाजिक समानता तथा जनहित के कार्यों में रूचि लेते है। वॉलिंटियर्स द्वारा कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, होम आइसोलेशन, कोविड-19 के बचाव हेतु दो गज दूरी की पालना करवाना, लोगों को मास्क वितरण और विद्यार्थियों की घर पर पढ़ाई-लिखाई में मदद की है तथा ऐसे अवसरों पर सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। सामुदायिक वॉलिंटियर को संगठित करने की जरूरत है जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करें और उनका मनोबल बढ़ायें जिससे विद्यार्थी अपनी नियमित शिक्षा से वंचित ना रहें। अतः वॉलिंटियर एक ऐसा वर्ग हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 51977 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 317.0597/- लाख व 17424 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 106.2864/- लाख का प्रावधान है। 640 रू प्रति विद्यालय बजट को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाना है-

- **30 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर मॉड्यूल अपडेशन एवं केआरपी प्रशिक्षण में किया जाना है।
- **25 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा केआरपी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले केआरपी के टीए/डीए एवं आरपी प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। केआरपी एवं आरपी प्रशिक्षक का मानदेय 250 रू से कम व 400 रू से अधिक नही होना चाहिये।
- **शेष 585 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण हेतु किया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग-थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

उद्देश्य–

- गाँव/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरन्तर रखने में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना।
- विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाये रखने में अध्यापक को सहयोग करना, भेदभाव रहित शिक्षा का सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में सहयोग करना।
- **शाला प्रबंधन समिति** के सदस्यों को के साथ मिलकर गाँव/विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

वॉलिंटियर्स की भूमिका निम्नानुसार है:–

- शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।
- विद्यार्थियों का कक्षाओं से नियमित जुड़ाव बनाये रखने में सहयोग प्रदान करना।
- ड्राप–आउट दर को रोकने, नामाकंन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- समुदाय का एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करना।
- विद्यालय में बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग हेतु अध्यापक से वार्ता करना।
- विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना।

रूपरेखा –

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण –

सभी क्षेत्र से वॉलिंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका/संस्थाप्रधान/ वार्ड पंच/सरपंच/CBEOs आदि का सामुहिक उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलिंटियर्स का चिह्निकरण किया जायेगा, जिसमें साक्षर वॉलिंटियर, सेवानिवृत शिक्षक, पूर्व सैनिक, जिला/राज्य स्तरीय खिलाड़ी, GNM/ANM प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, BEd/DElEd प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, डिप्लोमाधारी व्यकित, सेवानिवृत सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किये हुये पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद्, इंजीनियर, डॉक्टर/आयुर्वेदिक डॉक्टर एवं अधिवक्ता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

वॉलिंटियर (Volunteer) कौन हो सकते हैं–

- स्थानीय निवासी अथवा जहाँ अध्ययन, रोजगार के लिये जहाँ निवास कर रहा हो वह वॉलिंटियर का कार्य करेगा।
- वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए प्रतिदिन 2–3 घंटे का समय दे सके।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avinal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST

- जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता हो।
- वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो और सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव के युवा जो समुदाय से जुड़ाव रखते हों।
- वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हो/नशा आदि न करता हो एवं जिसका स्थानीय समुदाय से जुड़ाव हो।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) के कार्य निम्न प्रकार हैं–

- विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण मिले इस हेतु वे अभिभावकों से चर्चा कर अध्यापकों तक विद्यार्थियों की समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करना।
- गाँव/समुदाय/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर विद्यार्थियों की शिक्षा नियमित रहे और विद्यार्थी बीमारियों से बचे रहे इसको लेकर एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाना।
- सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करना।
- अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना।
- विद्यार्थियों की अधिगम से सम्बन्धित समस्याओं को पहचान कर उसका शीघ्राति शीघ्र समाधान करने का प्रयास करना।
- बालक–बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यों में आ रही समस्याओं को माता–पिता, SMC/SDMC एवं शिक्षकों तक पहुँचना।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम–

- **क्षमता/कौशल के क्षेत्र में** – शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गए मॉड्यूल के आधार पर चिहित किये गए प्रेरकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- **प्रेरणा/सम्मान–** समय–समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस/गाँधी जयंती/योग दिवस आदि के दौरान वॉलिंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
- **शालादर्पण पोर्टल पर वालंटियर्स का डेटाबेस तैयार करना–** वॉलिंटियर्स के डेटा को स्टोर करने और वॉलिंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद हेतु शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें विद्यालय में संचालित गतिविधि पर आधारित सूचको के माध्यम से डेटा दर्ज किया जायेगा।

✓ समय–समय पर वॉलिंटियर्स का डेटा संकलित/अपडेट करना।

✓ फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव की सफल एवं प्रेरक कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जायेगा।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

✓ वॉलिंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
✓ उक्त डेटा की फीडिंग पीईईओ स्तर से की जानी है।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण मॉड्यूल – वॉलिंटियर्स (Volunteers) को राज्य स्तर पर तैयार किये गये मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। इन वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय गैर–आवासीय (विद्यालय स्तर) पर प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे विद्यालयों के विकास में कुशलता से योगदान कर सकें और एक वॉलिंटियर के रूप में उनकी भूमिका पर समझ विकसित कर सकें। प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य के लिए 10 से 20 वॉलिंटियर्स को शामिल कर सकता है। इसके लिए राज्य स्तर पर वालंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। विद्यालय वॉलिंटियर्स की प्रगति पर नियमित अपडेट लेंगे, अच्छी सकारात्मक बदलाव की सफल प्रेरक कहानियों और अनुभवों की पहचान करेंगे और उन्हें पोर्टल पर रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया जायेगा।

- **मुख्य संदर्भ व्यक्ति (KRP)**– राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी ही वॉलिंटियर्स (Volunteers) के प्रशिक्षण हेतु केआरपी का कार्य कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार अन्य केआरपी का भी चिह्निकरण किया जा सकेगा।
- **ब्लॉक स्तर पर सन्दर्भ व्यक्तियों (RP) के प्रशिक्षण**– राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त ब्लॉक स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किये गये सन्दर्भ व्यक्ति ही विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित करेंगे।
- **विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण**– विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वालंटियर्स के चिह्निकरण उपरान्त वॉलिंटियर्स के लिए **एक दिवसीय प्रशिक्षण** का आयोजन **माह सितम्बर–अक्टूबर 2023 में** किया जायेगा। जिसमें सभी चिह्नित वॉलिंटियर भाग लेगें। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिये ₹ 585 रूपये का प्रावधान रखा गया है।
- **सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति**– जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी, परन्तु नियुक्त सन्दर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित सन्दर्भ व्यक्ति (RP) को नियुक्त किया जायेगा जिससे प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 संभागियों के लिए एक सन्दर्भ व्यक्ति लगाया जायेगा।

जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व–

1. टाइमलाईन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न कराना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा–निर्देश समय रहते विद्यालय स्तर तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

3. जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु CBEO को CBEO द्वारा सम्बन्धित PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशो के साथ लिमिट जारी करना।
4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन कर सुनिश्चित करना।
5. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व–

1. जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके विद्यालयवार सन्दर्भ व्यक्ति की नियुक्त करना व विद्यालयों को अनुमोदित राशि की लिमिट जारी करना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा–निर्देश की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करना।
3. प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
4. प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थित पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
5. प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त दस दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
6. जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

संस्था प्रधान के दायित्व–

1. जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना।
2. चिह्नित वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से **कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व** दिया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. प्रशिक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण कराना यथा बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
6. प्रशिक्षण मॉडयूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
7. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा चाय–नाश्ता, सन्दर्भ व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में **नहीं** करना है।
8. प्रशिक्षण समाप्ति के **तीन दिवस में सूचना** प्रतिवेदन मय फोटो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved

व्यय प्रावधान—

वॉलिंटियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति विद्यालय प्रावधित राशि ₹ 585 है। जिसके व्यय का विभाजन निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	विवरण	दिवस	दर
1	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय .	1	300 ₹
2	चाय—नाश्ता	1	200 ₹
4	अन्य विविध व्यय	1	85 ₹
कुल		1	585 ₹

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रावधान 2024—25 के अनुसार जिलावार विवरण परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।

<u>अति महत्वपूर्ण नोट</u>— वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण का आयोजन दिसम्बर, 2024 तक सम्पन्न कर जनवरी, 2025 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :—</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा—निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./Volunters/दिशा—निर्देश/2024—25/1557 दिनांक : 14/6/2024

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

Volunteers Training

परिशिष्ट–1

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakh)

SN.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 610 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools *	Per School @ 610 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @ 610 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	1264	7.7104	613	3.7393	1877	11.4497
2	ALWAR	1966	11.9926	886	5.4046	2852	17.3972
3	BANSWARA	2806	17.1166	521	3.1781	3327	20.2947
4	BARAN	1262	7.6982	331	2.0191	1593	9.7173
5	BARMER	3908	23.8388	958	5.8438	4866	29.6826
6	BHARATPUR	1190	7.259	593	3.6173	1783	10.8763
7	BHILWARA	2276	13.8836	631	3.8491	2907	17.7327
8	BIKANER	1549	9.4489	575	3.5075	2124	12.9564
9	BUNDI	976	5.9536	291	1.7751	1267	7.7287
10	CHITTAURGARH	1389	8.4729	439	2.6779	1828	11.1508
11	CHURU	857	5.2277	592	3.6112	1449	8.8389
12	DAUSA	1145	6.9845	439	2.6779	1584	9.6624
13	DHAULPUR	837	5.1057	306	1.8666	1143	6.9723
14	DUNGARPUR	2284	13.9324	453	2.7633	2737	16.6957
15	GANGANAGAR	1441	8.7901	513	3.1293	1954	11.9194
16	HANUMANGARH	680	4.148	434	2.6474	1114	6.7954
17	JAIPUR	2671	16.2931	1121	6.8381	3792	23.1312
18	JAISALMER	1065	6.4965	252	1.5372	1317	8.0337
19	JALOR	1434	8.7474	449	2.7389	1883	11.4863
20	JHALAWAR	1353	8.2533	341	2.0801	1694	10.3334
21	JHUNJHUNU	998	6.0878	557	3.3977	1555	9.4855
22	JODHPUR	2784	16.9824	851	5.1911	3635	22.1735
23	KARAULI	1101	6.7161	357	2.1777	1458	8.8938
24	KOTA	768	4.6848	331	2.0191	1099	6.7039
25	NAGAUR	2233	13.6213	855	5.2155	3088	18.8368
26	PALI	1292	7.8812	558	3.4038	1850	11.285
27	PRATAPGARH	1462	8.9182	278	1.6958	1740	10.614
28	RAJSAMAND	1377	8.3997	363	2.2143	1740	10.614
29	SAWAI MADHOPUR	772	4.7092	334	2.0374	1106	6.7466
30	SIKAR	1336	8.1496	684	4.1724	2020	12.322
31	SIROHI	733	4.4713	278	1.6958	1011	6.1671
32	TONK	1142	6.9662	376	2.2936	1518	9.2598
33	UDAIPUR	3626	22.1186	864	5.2704	4490	27.389
Total		51977	317.0597	17424	106.2864	69401	423.3461

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 19:31:21 IST
Reason: Approved